मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उ0प्र0 प्रभाग में क्षेत्रीय योजना–2021 के अन्तर्गत विभिन्न विकास नीतियों, प्रस्तावों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का समन्वय एवं निरीक्षण करने हेतु स्टेयरिंग कमेटी की प्रस्तावित सप्तम् बैठक की कार्यसूची।

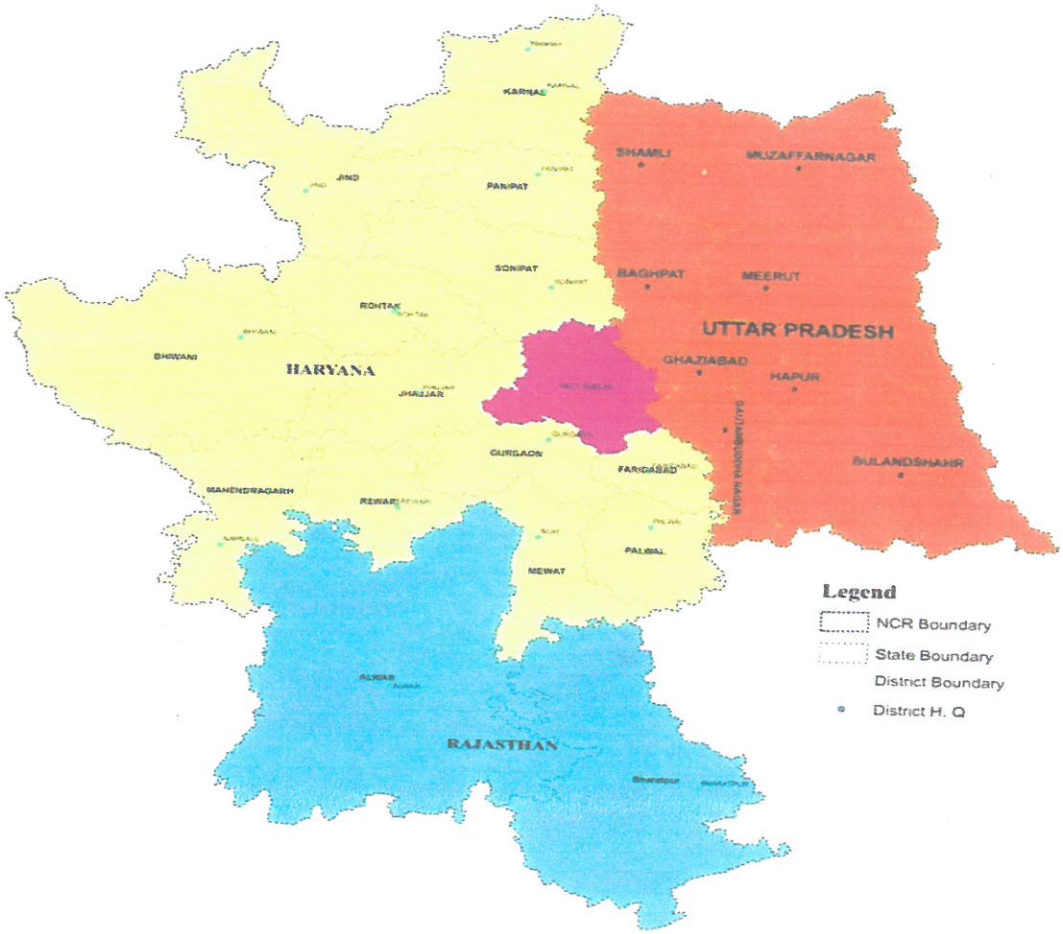

दिनांकः–09.01.2024

समयः अपरान्ह 04:00 से 05:00 बजे के मध्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय योजना–2021 के अन्तर्गत विभिन्न विकास नीतियों, प्रस्तावों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का समन्वय एवं निरीक्षण करने हेतु उ0प्र0 शासन स्तर पर गठित स्टेयरिंग कमेटी की प्रस्तावित सप्तम् बैठक की कार्यसूची।

मद संख्या	कार्य सूची का विवरण	पृष्ठ संख्या
01.	दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम बैठक के कार्यवृत की पुष्टि।	1–5
02.	दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम बैठक के कार्यवृत्त में उल्लेखित निर्णयों की अनुपालन आख्या।	6–23
03.	हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0 (HORC) द्वारा प्रेषित ईस्टर्न ऑरबिटल रेल कॉरीडोर परियोजना की फिजीबिल्टी स्टडी कराये जाने के सम्बन्ध में।	24–34
04.	उ0प्र0 प्रभाग की उपक्षेत्रीय योजना–2041 को तैयार करने के सम्बन्ध में।	35–40
05.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली परियोजना (Rapid Regional Transit System) की प्रगति के सम्बन्ध में।	41–72
06.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उ0प्र0 प्रभाग से सटे दिल्ली एवं हरियाणा प्रभाग के मध्य इन्टर स्टेट रोड़ कनेक्टीविटी के सम्बन्ध में।	73–98
07.	क्षेत्रीय योजना–2041 (ड्राफ्ट) के सम्बन्ध में।	99–102
08.	क्षेत्रीय योजना–2021 एवं उ0प्र0 पभाग की उपक्षेत्रीय योजना–2021 के प्रस्तावों के अनुरूप विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।	103–108
09.	उ0प्र0 प्रभाग में भौतिक/सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली से वित्तीय ऋण लिये जाने के सम्बन्ध में।	109–120
10.	एन0सी0आर0 सेल, उ0प्र0 में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।	121–134
11.	अन्द मद।	135–136

1. <u>मद संख्या–1</u>

दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त **(संलग्नक–1)** सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दिया गया था। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत विवरण का अवलोकन करते हुए सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

संलग्नक—1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय योजना-2021 के अन्तर्गत विभिन्न विकास नीतियों, प्रस्तावों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का समन्वय एवं निरीक्षण करने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित स्टेयरिंग कमेटी की दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक के प्रारम्भ में चीफ को-ओर्डिनेटर प्लानर, एन0सी0आर0 सेल, उ0प्र0 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उ0प्र0 प्रभाग का संक्षिप्त विवरण एवं स्टेयरिंग कमेटी के गठन से सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत किया गया तथा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की गयी।

<u>मद संख्या-1:</u>

दिनांक 28.09.2018 को सम्पन्न हुई स्टेयरिंग कमेटी की पंचम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

स्टेयरिंग कमेटी की दिनांक 28.09.2018 में सम्पन्न हुई पंचम बैठक में लिये गये निर्णयों एवं कार्यवृत्त के सम्बन्ध में प्रस्तुत विवरण का अवलोकन करते हुये सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

<u>मद संख्या-2:</u>

दिनांक 28.09.2018 को सम्पन्न हुई पंचम बैठक के कार्यवृत्त में उल्लेखित निर्णयों की अनुपालन आख्या।

दिनांक 28.09.2018 को सम्पन्न हुई पंचम बैठक की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

<u>मद संख्या-3:</u>

क्षेत्रीय योजना-2041 (ड्राफ्ट) के सम्बन्ध में।

बैठक में क्षेत्रीय योजना-2041 (ड्राफ्ट) के सम्बन्ध में किये गये संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण एवं अद्यतन स्थिति का अवलोकन किया गया।

(कार्यवाही द्वारा-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली एवं एन0सी0आर0 सेल, उ0प्र0 गाजि0)

<u>मद सं0-4:</u>

उ0प्र0 प्रभाग की उपक्षेत्रीय योजना-2041 को तैयार करने के सम्बन्ध में।

निर्णयः- उ0प्र0 प्रभाग की उप-क्षेत्रीय योजना-2041 को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का अवलोकन करते हुए उप-क्षेत्रीय योजना-2041 को बनाने हेतु पूर्व तैयारी प्रारम्भ करने के निर्देश प्रदान किये गये, जिससे कि क्षेत्रीय योजना-2041 की स्वीकृति के उपरांत शीघ्र उप-क्षेत्रीय योजना-2041 तैयार की जा सके।

(कार्यवाही द्वारा -एन0सी0आर सेल, उ0प्र0)

<u>मद सं0-5:</u>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली परियोजना (Rapid Regional Transit System) के सम्बन्ध में।

निर्णयः- क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली परियोजना (**Rapid Regional Transit System**) के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रगति विवरण का अवलोकन किया गया।

(कार्यवाही द्वारा -एन.सी.आर.टी.सी., नई दिल्ली)

<u>मद सं0-6:</u>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उ0प्र0 प्रभाग से सटे दिल्ली एवं हरियाणा प्रभाग के मध्य मार्ग व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

(i) **UER-I, Delhi to Khekra City till NH-57 in U.P.**

निर्णयः- UER-I के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को निर्देश दिये गये कि UER-I को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे से जोड़े जाने एवं अन्य मार्गों से कनैक्टीविटी के सम्बन्ध मे परीक्षण करते हुए एन 0 एच 0 ए 0 आई 0 से सम्पर्क स्थापित कर कार्यवाही करें एवं एन 0 सी0 आर 0 योजना बोर्ड तथा एन 0 सी0 आर 0 सेल, उ 0 प्र 0, गाजियाबाद को भी अवगत करायें।

(कार्यवाही द्वारा -लोक निर्माण विभाग, उ 0 प्र 0)

(ii) Elevated road along Shahdara drain-alignment form Chilla Regulator (near Mayur Vihar), Sector-14A to MP-3 road (Mahamaya Flyover in NOIDA.

निर्णयः-नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग, उ 0 प्र 0 को प्रश्नगत प्रकरण में सम्पर्क स्थापित करते हुए मार्ग की आवश्यकता को दृष्टिगत् रखते हुए शीघ्र कार्यवाही संपादित करें।

(कार्यवाही द्वारा -नो0 औ 0 वि0 प्राधिकरण एवं लो0 नि0 वि0, उ 0 प्र 0)

(iii)Construction of bridge on Yamuna river near sector-168 & sector-167A Noida Connecting Lalpur Village, Faridabad in Haryana Sub-region.

निर्णयः-नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा दी गयी सहमति (consent) का अवलोकन किया गया एवं इसी क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही की अपेक्षा की गयी।

(कार्यवाही द्वारा -नोएडा प्राधिकरण)

(iv) Bridge over Yamuna river between Chhaprauli (Baghpat) and Hathwala Village, Panipat in Haryana Sub-region.

निर्णयः-इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बागपत एवं लोक निर्माण विभाग, उ 0 प्र 0 से समन्वय बनाते हुए वांछित शीघ्र कार्यवाही कराने की अपेक्षा की गयी। उपरोक्तानुसार इन्टर स्टेट कनेक्टीविटी मुद्दों का अवलोकन करते हुए सम्बन्धित संस्थाओं को आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये।

(कार्यवाही द्वारा -नोएडा प्राधिकरण, लो0 नि0 वि0, उ 0 प्र 0 तथा एन 0 सी0 आर 0 सेल, उ 0 प्र 0)

<u>मद सं0-7:</u>

क्षेत्रीय योजना-2021 एवं उ 0 प्र 0 प्रभाग की उपक्षेत्रीय योजना-2021 के प्रस्तावों के अनुरूप विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णयः-क्षेत्रीय योजना-2021 एवं उ 0 प्र 0 प्रभाग की उपक्षेत्रीय योजना-2021 के प्रस्तावों के अनुरूप विकास कार्य कराए जाने के अनुश्रवण हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली से यह अपेक्षा की गयी कि वह इस हेतु एक ऐसा वेब-पॉर्टल तैयार करें, जिस पर सभी सम्बन्धित अभिकरण/विभाग वांछित विवरण ऑनलाईन सिस्टम के माध्यम से अपलोड कर सके।

(कार्यवाही द्वारा -एन 0 सी0 आर 0 सेल, उ 0 प्र 0 एवं एन 0 सी0 आर 0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली एवं संबंधित अभिकरण/विभाग)

<u>मद सं0-8:</u>

उ 0 प्र 0 प्रभाग में भौतिक/सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली से वित्तीय ऋण लिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णयः-उ 0 प्र 0 प्रभाग में भौतिक/सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए सभी विभागों से यह अपेक्षा की गयी कि वे अन्य वैकल्पिक वित्तीय

संस्थाओं से ब्याज की दरों का तुलनात्मक परीक्षण करते हुए परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली को प्रेषित करें।

(कार्यवाही द्वारा -सभी सम्बन्धित विभाग एवं एन0सी0आर0 सेल, उ0प्र0)

मद सं0-9 :

एन0सी0आर0 में अतिरिक्त क्षेत्र सम्मिलित किये जाने हेतु डेलीनिएशन स्टडी (Delineation Study) के सम्बन्ध में।

निर्णयः-बैठक में प्रस्तुत एन0सी0आर0 में अतिरिक्त क्षेत्र सम्मिलित किये जाने हेतु डेलीनिएशन स्टडी (Delineation Study) के प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

मद सं0-10:

अमृत योजनान्तर्गत तैयार की जा रही महायोजनाओं के सम्बन्ध में।

निर्णयः-सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत प्रस्ताव विलोपित (ड्रॉप) किया गया।

मद सं0-11:

एन0सी0आर0 सेल, उ0प्र0 में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

निर्णयः-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन सेल, उ0प्र0 में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में यथासम्भव तैनाती की कार्यवाही की अपेक्षा के साथ यह निर्देश दिये गये कि एन0सी0आर0 सेल के विभिन्न कार्यों/सेवाओं को आउटसोर्स के माध्यम से भी सम्पादित कराया जा सकता है।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2
संख्या- 15 NCR /आठ-2-2023-12 विविध/2012
लखनऊ दिनांकः 09 फरवरी, 2023.

उपरोक्त कार्यवृत्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग, उ.प्र. शासन,
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग,उ.प्र. शासन, लखनऊ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
10. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

File No.8-2099/405/2020- -2-

11. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ ग्रेटर नोयडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
12. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली।
13. अध्यक्ष, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
14. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
15. आयुक्त, एन0सी0आर0, उ0प्र0 प्रभाग, गाजियाबाद।
16. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद/मेरठ/ बुलन्दशहर /खुर्जा/ हापुड़-पिलखुआ/ बागपत-बडौत-खेकडा, मुजफ्फरनगर।
17. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
18. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
19. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
20. निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ।
21. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शीतला प्रसाद)
अनु सचिव।

2. मद संख्या–2

दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक के कार्यवृत्त में उल्लेखित निर्णयों की अनुपालन आख्याः–

दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त में वर्णित निर्णयों की अनुपालन आख्या निम्नानुसार हैः–

दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक की कार्यसूची के मद संख्या का विवरण	दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक में लिये गये निर्णय	अनुपालन आख्या
मद संख्या–03 **क्षेत्रीय योजना –2041 (ड्राफ्ट) के सम्बन्ध में।** **3.1** आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (NCRPB Act, 1985) के अंतर्गत क्षेत्रीय योजना तैयार की जाती है। वर्तमान में क्षेत्रीय योजना–2021 सम्पूर्ण एन0सी0आर0 में प्रभावी है, जिसे वर्ष 2005 में अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा क्षेत्रीय योजना–2041 (ड्राफ्ट) तैयार की गयी है, जिसमें उ0प्र0 प्रभाग के कुल 08 जनपद (गाजियाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, हापुड़, बागपत, गौतमबुद्धनगर, मुजफ्फरनगर एवं शामली) तथा 02 काउन्टर मैग्नेट एरिया बरेली एवं कानपुर–लखनऊ सम्मिलित हैं। **3.2** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 पत्र दिनांक 06.01.2021 के द्वारा क्षेत्रीय योजना–2041 की ड्राफ्ट रिपोर्ट उ0प्र0 शासन, लखनऊ को अभिमत/सुझाव प्राप्त करने हेतु प्रेषित की गयी। तदोपरान्त आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 23 मार्च, 2021 के माध्यम से सभी विभागों से अभिमत/सुझाव प्राप्त करने हेतु क्षेत्रीय योजना–2041 की ड्राफ्ट रिपोर्ट को विभागीय वेबसाईट (www.awas.up.nic.in) पर अपलोड किया गया। **3.3** क्षेत्रीय योजना–2041 (ड्राफ्ट) पर उ0प्र0 के विभिन्न विभागों यथा–आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, नागरिक उड्डयन	बैठक में क्षेत्रीय योजना–2041 (ड्राफ्ट) के सम्बन्ध में किये गये संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण एवं अद्यतन स्थिति का अवलोकन किया गया।	एन0सी0आर0 सेल, उ0प्र0 से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक की कार्यसूची के मद संख्या का विवरण	दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक में लिये गये निर्णय	अनुपालन आख्या
विभाग, खेल विभाग तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय योजना–2041 (ड्राफ्ट) के सम्बन्ध में अपने सुझाव एन0सी0आर0पी0बी0, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये हैं। **3.4** एन0सी0आर0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली की बोर्ड बैठक दिनांक 12.10.2021 में क्षेत्रीय योजना–2041 ड्राफ्ट को जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु अनुमोदित किया गया। तदोपरान्त क्षेत्रीय योजना–2041 (ड्राफ्ट) पर दिनांक 09.12.2021 से दिनांक 07.01.2022 तक जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में करने के साथ–साथ एन0सी0आर0पी0बी0 की विभागीय वेबसाईट (www.ncrpb.nic.in) पर जनसामान्य के सुलभ–सन्दर्भ हेतु अपलोड भी किया गया। **3.5** मा0 मुख्यमन्त्री, उ0प्र0 शासन के समक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की क्षेत्रीय योजना–2041 के मसौदे पर प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसका कार्यवृत्त पर प्रस्तुत है। **3.6** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली की दिनांक 05.07.2022 को आयोजित होने वाली 42वीं बैठक में क्षेत्रीय योजना–2041 (ड्राफ्ट) को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना था, जो अपरिहार्य कारणोंवश स्थगित हो गई।		
<u>मद संख्या–04</u> **उ0प्र0 प्रभाग की उपक्षेत्रीय योजना–2041 को तैयार करने के सम्बन्ध में।** **4.1** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा–17 (1) के अंतर्गत समस्त सहभागी राज्यों द्वारा उपक्षेत्रीय योजना को तैयार किया जाता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में एन0सी0आर0 के उ0प्र0 प्रभाग के छः जिलों (गाजियाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, हापुड़, बागपत एवं गौतमबुद्धनगर) हेतु वर्तमान में प्रभावी उ0प्र0 उपक्षेत्रीय योजना–2021 को तैयार किया गया था, जिसे एन0सी0आर0 योजना बोर्ड,	उ0प्र0 प्रभाग की उप–क्षेत्रीय योजना–2041 को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का अवलोकन करते हुए उप–क्षेत्रीय योजना–2041 को बनाने हेतु पूर्व तैयारी प्रारम्भ करने के निर्देश प्रदान किये गये, जिससे कि क्षेत्रीय योजना–2041 की स्वीकृति के उपरांत शीघ्र उप–क्षेत्रीय योजना–2041 तैयार की जा सके।	• इस सम्बन्ध में अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र सं0–494/आठ–2– 23– 01 एनसीआर/ 2023 दिनांक 22 मार्च, 2023 के साथ संलग्न मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या– 2131/वा.नि./एन.सी.आर./क्षे.यो.– 2041/2022–23 दिनांक 28 फरवरी,

दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक की कार्यसूची के मद संख्या का विवरण	दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक में लिये गये निर्णय	अनुपालन आख्या
नई दिल्ली द्वारा दिनांक 01.07.2013 में अनुमोदित किया गया है। **4.2** उ0प्र0 प्रभाग में नये जिले मुजफ्फरनगर एवं शामली क्रमशः वर्ष 2015 एवं 2018 में सम्मिलित किए गये, जिनकी उपक्षेत्रीय योजना –2021 को एन0सी0आर0 पी0बी0, नई दिल्ली की बैठक दिनांक 12.10.2021 में अनुमोदित किया जा चुका है। अनुमोदनोपरांत जिला मुजफ्फरनगर एवं शामली की उप क्षेत्रीय योजना–2021 को दिनांक 08.01.2022 में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की वेबसाईट पर अपलोड भी किया जा चुका है। **4.3** अतः उपरोक्त उल्लेखित विवरण के अनुसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र की उपक्षेत्रीय योजना–2021 एन0सी0आर0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित है। **4.4** उप–क्षेत्रीय योजना–2041 की संरचना हेतु एन0सी0आर0 सेल कार्यालय द्वारा RFP & RFQ Document तैयार किया गया है, जिसे आयुक्त, एन0सी0आर0, उ0प्र0 गाजियाबाद के पत्रांक 315/उ.क्षे.यो–2041/एन0सी0आर0/2022–23 दिनांक 28.12.2022 के माध्यम से प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को निरीक्षणोंपरांत अग्रिम निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित किया जा चुका है, जो परीक्षाणाधीन है।		2023 में वर्णित अभिमत से अवगत कराते हुये प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये। • कार्यालय आयुक्त, एन0सी0 आर0, उ0प्र0 में सम्पन्न समीक्षा बैठक दिनांक 05.06.2023 में उप–क्षेत्रीय योजना–2041 को तैयार करने हेतु विभिन्न सैक्टर्स से सम्बन्धित समस्त डाटा उपलब्ध कराने के लिये निर्धारित प्रोफार्मा उपलब्ध कराते हुये सर्व संबंधित विकास/ औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निर्देशित किया गया। • मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 के अभिमत के अनुसारक्षेत्रीय योजना–2041 के अनुमोदनोपरान्त शीघ्र उप– क्षेत्रीय योजना–2041 के सम्बन्ध में RFQ & RFP जारी कर दिया जायेगा।
<u>मद संख्या–05</u> **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली परियोजना (Rapid Regional Transit System) के सम्बन्ध में।** **5.1** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सहभागी राज्यों की सहमति के उपरान्त प्रथम चरण में क्रियान्वित किये जाने हेतु आर.आर.टी.एस. योजना के 3 कोरीडोर (दिल्ली–सोनीपत–पानीपत, दिल्ली–गुडगांव– रेवाडी–अलवर एवं दिल्ली–गाजियाबाद– मेरठ) चयनित किये गये थे। उ0प्र0 शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–53एनसीआर/आठ–2–17–14 एनसीआर/ 10 टीसी दिनांक 19 मई, 2017	क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली परियोजना (Rapid Regional Transit System) के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रगति विवरण का अवलोकन किया गया।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक की कार्यसूची के मद संख्या का विवरण	दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक में लिये गये निर्णय	अनुपालन आख्या
के द्वारा दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कोरीडोर रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) से सम्बन्धित डी.पी.आर. एवं प्रस्तावित परियोजना पर राज्य सरकार की सहमति प्रदान की गयी एवं प्रस्तावित परियोजना में राज्य सरकार के अंशदान के रूप में निर्धारित कुल रु0 4304.00 करोड़ के सापेक्ष टोकन मनी के रूप में वर्ष 2017–18 के बजट में रु0 100.00 करोड का प्राविधान किया गया था। **5.2** तदोपरान्त उ0प्र0 शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–198934/2022/04/2022 फाईल न0 8–2099 /69/2021–22 दिनांक 05 अगस्त, 2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आर. आर.टी.एस. परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1306.00 करोड में से स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि रू0 1106.00 करोड के सापेक्ष रू0 450.00 करोड़ आहरित कर प्रबन्ध निदेशक, एन.सी.आर.टी.सी., नई दिल्ली को अवमुक्त कराये जाने हेतु राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। आर. आर.टी.एस. परियोजना के दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कोरीडोर की दिनांक 31. 05.2022 तक की अद्यतन स्थिति एन.सी.आर. टी.सी., नई दिल्ली के पत्र संख्या–NCRTC /Fin./Fund/Delhi-Meerut/54-A/iv Date: 07.06.2022 द्वारा परियोजना की भौतिक प्रगति–30.1%, तथा वित्तीय प्रगति–28.2% पूर्ण होने से अवगत कराया गया। तदोपरान्त आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–I/227096/ 2022/05/2022-go Mp/-8-2099/69/2021-22 दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022–23 में उ0प्र0 सरकार के अंश के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 656 करोड़ के अन्तर्गत रू0 350.00 करोड़ आहरित कर प्रबन्ध निदेशक, एन.सी. आर.टी.सी., नई दिल्ली को अवमुक्त कराये जाने हेतु राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। 5.3 आर.आर.टी.एस. परियोजना को मेरठ से मुजफ्फरनगर तक विस्तार करने हेतु फिजीबिलिटी स्ट्डी कराये जाने के लिए		

दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक की कार्यसूची के मद संख्या का विवरण	दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक में लिये गये निर्णय	अनुपालन आख्या
सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली से अनुरोध किए जाने के लिए आयुक्त, एन0सी0आर0, उ0प्र0 का पत्रांक 244 दिनांक 13.07.2021 के माध्यम से प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सुझाव/अभिमत प्रेषित किया गया। तत्क्रम में आवास अनुभाग–2, लखनऊ के पत्र संख्या–60एन0सी0 आर0/आठ–2–2021 दिनांक 12 अगस्त, 2021के द्वारा सदस्य सचिव, एन0सी0आर0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् एन0सी0आर0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र सं0–Y-13/3/2021-NCRPB(9102020) Dated: 08-10-2021 के माध्यम से आवश्यक ट्रैफिक स्टड़ी अपने स्तर से कराने अथवा आर.आर. टी.एस. की कार्यदायी संस्था एन0सी0आर0 टी0सी0, (National Capital Region Transport Corporation) नई दिल्ली से यथावश्यक सहयोग प्राप्त करने से से संबंधित निर्देश/सुझाव उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया। उपरोक्त के अनुक्रम में प्रश्नगत कॉरीडोर हेतु वांछित ट्रैफिक स्टडी कार्यदायी संस्था एन0सी0 आर0टी0सी0, नई दिल्ली से कराए जाने के सम्बन्ध में शासन का पत्र संख्या–510/आठ–2–2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 प्रबन्ध निदेशक, एन0सी0 आर0 टी0सी0, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।		
<u>मद संख्या–06</u> **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उ0प्र0 प्रभाग से सटे दिल्ली एवं हरियाणा प्रभाग के मध्य मार्ग व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में।** **6.1** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उ0प्र0 प्रभाग में आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देने तथा प्रभाग के सन्तुलित एवं सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के आलोक में उ0प्र0 प्रभाग से सटे दिल्ली राज्य एवं हरियाणा प्रभाग के मध्य मार्ग व्यवस्था के माध्यम से कनैक्टीविटी को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। **6.2** उ0प्र0 प्रभाग की अनुमोदित उपक्षेत्रीय योजना–2021 के पैरा–5.9.2 में क्षेत्रीय मार्ग परिवहन नेटवर्क और यातायात में सुधार		

दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक की कार्यसूची के मद संख्या का विवरण	दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक में लिये गये निर्णय	अनुपालन आख्या
करने के लिये प्रस्तावित सुझावों के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–IV में यह सुझाव दिया गया है कि "अन्य राज्यों के साथ अर्न्तसम्बद्धता को उत्तर प्रदेश राज्य सीमा पर विभिन्न अभिमुख स्थलों पर मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के द्वारा बढ़ाया जायेगा, पुलों को भी उसी अनुसार चौड़ा किया जायेगा।" **6.3** एन.सी.आर. योजना बोर्ड, नई दिल्ली की दिनांक 15.06.2016 को सम्पन्न 36वीं बोर्ड बैठक में विभिन्न अर्न्तराज्जीय कनैक्टिविटी सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार–विमर्श किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि समस्त अर्न्तराज्जीय कनैक्टिविटी सम्बन्धी प्रस्तावों पर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर समस्त सहभागी राज्यों के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर समस्त मुद्दों पर विचार–विमर्श कर निस्तारित कर लिया जाये। **6.4** मद संख्या–6 के उपबिन्दु संख्या–i से vii पर वर्णित परियोजनाओं के सम्बन्ध में उ0प्र0 के विभिन्न विभागों (यथा–लोक निर्माण विभाग एवं नौएडा) से कार्यवाही अपेक्षित है, जिसको लेकर एन0सी0आर0 योजना बोर्ड के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 22.11.2022 को Committee of Transport Secretaries/ Commissioners (CoTS) की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें प्रश्नगत महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किये जाने हेतु उ0प्र0 सरकार के विभिन्न विभागों से यथावश्यक औपचारिकताएं/कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न अभिकरणों द्वारा कनैक्टीविटी सम्बन्धी प्रस्तावित परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति एवं सुझाव निम्नानुसार है:–		

दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक की कार्यसूची के मद संख्या का विवरण	दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक में लिये गये निर्णय	अनुपालन आख्या
i) **UER-I, Delhi to Khekra City till NH-57 in U.P.** उपरोक्त कनैक्टिविटी परियोजनायें उ.प्र. उपक्षेत्रीय योजना–2021 में प्रस्तावित की गयी हैं। UER-I, Delhi to Tronica City till NH-57 in U.P के सम्बन्ध में सदस्य सचिव, एन0सी0आर0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 22.11.2022 को सम्पन्न हुई Committee of Transport Secretaris/ Commissioner (CoTS) की बैठक में अवगत कराया गया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित भूमि लैण्ड पूलिंग पॉलिसी के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन है।	UER-I के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को निर्देश दिये गये कि UER-I को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेस–वे से जोड़े जाने एंव अन्य मार्गों से कनैक्टीविटी के सम्बन्ध में परीक्षण करते हुए एन0एच0 ए0आई0 से सम्पर्क स्थापित कर कार्यवाही करें एवं एन0सी0आर0 योजना बोर्ड तथा एन0सी0आर0 सेल, उ0प्र0, गाजियाबाद को भी अवगत करायें।	विस्तृत एजेण्डा मद संख्या–6 पर प्रस्तुत है।
ii) **UER-II, Delhi to Tronica City till NH-57 in U.P.** UER-II, Delhi to Tronica City till NH-57 in U.P के सम्बन्ध में सदस्य सचिव, एन0सी0आर0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 22.11.2022 को सम्पन्न हुई Committee of Transport Secretaries/ Commissioner (CoTS) की बैठक में एन0एच0 ए0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि इस परियोजना हेतु 484 वृक्षों को काटने की अनुमति मुख्य सचिव, जी.एन.सी.टी., नई दिल्ली के स्तर पर विचारधीन है।	----	विस्तृत एजेण्डा मद संख्या–6 पर प्रस्तुत है।
iii) **Construction of second bridge on Yamuna River near Kalindi Kunj-NOIDA (120 m downstream)** नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा second bridge on Yamuna River near Kalindi Kunj-NOIDA (120 m downstream) का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।		विस्तृत एजेण्डा मद संख्या–6 पर प्रस्तुत है।

दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक की कार्यसूची के मद संख्या का विवरण	दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक में लिये गये निर्णय	अनुपालन आख्या
iv) **Elevated road along Shahdara drain-alignment form Chilla Regulator (near Mayur Vihar), Sector-14A to MP-3 road (Mahamaya Flyover in NOIDA.** प्रश्नगत प्रकरण में UTTIPEC के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त Elevated road along Shahdara drain alignment form Chilla Regulator (near Mayur Vihar), Sector-14A to MP-3 road (Mahamaya Flyover) in Noida परियोजना का कार्य नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा UP Bridge Corporation को दिया गया है। वर्तमान मे निर्माण कार्य प्रगति पर नहीं है। इस सम्बन्ध में नोएडा द्वारा स्टेयरिंग कमेटी को अवगत कराना जाना अपेक्षित है।	नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 को निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत प्रकरण पर सम्पर्क स्थापित कर मार्ग की आवश्यकता को दृष्टिगत् रखते हुए शीघ्र कार्यवाही संपादित करें। औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा दी गयी सहमति (consent) का अवलोकन किया गया एवं इसी क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही की अपेक्षा की गयी।	विस्तृत एजेण्डा मद संख्या–6 पर प्रस्तुत है।
v) **Construction of bridge on Yamuna River near sector-149A & sector-150 Noida Connecting Tilori Village, Faridabad in Haryana Sub-region.** सदस्य सचिव, एन0सी0आर0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 19.09.2022 को सम्पन्न हुई Committee of Transport Secretaris/Commissioner (CoTS) की बैठक में हरियाणा द्वारा अवगत कराया गया कि सेक्टर–167 एवं एन.एच.–2 को जोड़ने हेतु पुल का निर्माण प्रस्तावित है एवं लगभग 15 कि0मी0 की दूरी पर डाउन स्ट्रीम में यमुना नदी पर एक पुल निर्माणाधीन है, जिससे सेक्टर 149–ए एवं 150 की कनैक्टिविटी सम्बन्धी अपेक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। प्रश्नगत परियोजना निर्माण से संबंधित वर्तमान अपेक्षाएं उपरोक्त पुलों/ मार्गों द्वारा पूरी हो रही है। अतः इस पुल के निर्माण कार्य को आगामी चरण हेतु रखा जा सकता है।		विस्तृत एजेण्डा मद संख्या–6 पर प्रस्तुत है।

दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक की कार्यसूची के मद संख्या का विवरण	दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक में लिये गये निर्णय	अनुपालन आख्या
vi) **Construction of bridge on Yamuna river near sector-168 & sector-167A Noida Connecting Lalpur Village, Faridabad in Haryana Sub-region.** सदस्य सचिव, एन0सी0आर0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली की Transport Secretaris/ Commissioner (CoTS) की बैठक दिनांक 22.11.2022 में इन्टर स्टेट कनेक्टीविटी के प्रकरणों में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग, नोएडा एवं लोक निर्माण विभाग, हरियाणा के मध्य दिनांक 30.11.2022 को बैठक आयोजित की गयी, जिसमें इस परियोजना से सम्बन्धित विभिन्न बिंदुओं पर विचार–विमर्श किया गया। इसी क्रम में उक्त बैठक दिनांक 30.11.2022 के कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दु सं0–b (iii) & b (iv) पर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–नौएडा/अ.मु.का.(एम)/व.प्र.–9/ 128 दिनांक 17.01.2023 द्वारा सहमति प्रेषित की गयी। इस सम्बन्ध में हरियाणा के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।	नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा दी गयी सहमति (consent) का अवलोकन किया गया एवं इसी क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही की अपेक्षा की गयी।	विस्तृत एजेण्डा मद संख्या–6 पर प्रस्तुत है।
vii.) Bridge over Yamuna river between Chhaprauli (Baghpat) and Hathwala Village, Panipat in Haryana Sub-region. सदस्य सचिव, एन0सी0आर0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली की अध्यक्षता में Committee of Transport Secretaris/ Commissioner (CoTS) की दिनांक 16.09.2021 में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अवगत कराया गया कि हरियाणा राज्य के जनपद पानीपत में बिलासपुर खोजकीपुर मार्ग एवं बड़ौत तांडा के समीप यमुना नदी पर सेतु एवं दोनों राज्यों में पड़ने वाले पहुंच मार्गों का निर्माण Central Road Fund (CRF) योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है। उक्त परियोजना के अन्तिम 92.0 मी0 लम्बाई का अधिग्रहण उ0प्र0 सरकार द्वारा किया जाना है, जबकि निर्माण कार्य हरियाणा सरकार द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 92.0 मी0 लम्बाई में भूमि अधिग्रहण का आंगणन रु. 40.14 लाख आगणित कर मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लो0नि0वि0, मेरठ के पत्रांक 2992 नि0/01 मे0क्षे.–नि0ख0 (बागपत) – मेरठ/2021 दिनांक 23.06.2021 द्वारा मुख्य अभियन्ता (मु02) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लो0नि0वि0 लखनऊ को प्रेषित किया गया था	इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बागपत एवं लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 से समन्वय बनाते हुए वांछित शीघ्र कार्यवाही कराने की अपेक्षा की गयी। उपरोक्तानुसार इन्टर स्टेट कनेक्टीविटी मुद्दों का अवलोकन करते हुए सम्बन्धित संस्थाओं को आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये।	विस्तृत एजेण्डा मद संख्या–6 पर प्रस्तुत है।

दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक की कार्यसूची के मद संख्या का विवरण	दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक में लिये गये निर्णय	अनुपालन आख्या
जिसकी स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्राप्त नहीं हो सकी थी। अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, बागपत द्वारा मुख्य अभियन्ता, लखनऊ को दिनांक 23.06.2021 को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति के उपरान्त भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित था। अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागपत के पत्र संख्या–132/23ए दिनांक 18.01.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि राजस्व विभाग द्वारा मार्ग के संरेखण के सेन्टर पॉईन्ट को मौक पर चिन्हांकन कर लोक निर्माण विभाग पानीपत (ब्रिज एण्ड रोड) को भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। अधिग्रहित किये जाने हेतु भूमि का आगणन लागत रु. 130.47 लाख स्वीकृति हेतु लोक निर्माण विभाग, अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित कर दिया गया है, जिसकी स्वीकृति अभी शासन स्तर पर विचाराधीन है।		
<u>मद संख्या–07</u> **क्षेत्रीय योजना–2021 एवं उ0प्र0 प्रभाग की उपक्षेत्रीय योजना– 2021 के प्रस्तावों के अनुरूप विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।** 7.1 एन.सी.आर सैल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली की क्षेत्रीय योजना–2021 तथा उ0प्र0 प्रभाग की उपक्षेत्रीय योजना–2021 के नीतियों/प्रस्तावों का उल्लंघन से सम्बन्धित त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट को निर्धारित प्रारूप पर अंकित कर समस्त विकास प्राधिकरणों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाता है। 7.2 इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त अभिकरणों के उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करते हुये पूर्व में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के स्थान पर प्रत्येक माह मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित किये जाने हेतु पत्रांक Y-13/78/ 2022	क्षेत्रीय योजना–2021 एवं उ0प्र0 प्रभाग की उपक्षेत्रीय योजना–2021 के प्रस्तावों के अनुरूप विकास कार्य कराए जाने के अनुश्रवण हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली से यह अपेक्षा की गयी कि वह इस हेतु एक ऐसा वेब–पॉर्टल तैयार करें, जिस पर सभी सम्बन्धित <u>अभिकरण/विभाग</u> वांछित विवरण ऑनलाईन सिस्टम के माध्यम से अपलोड कर सके।	विस्तृत विवरण **एजेण्डा सं0–08** पर प्रस्तुत है।

दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक की कार्यसूची के मद संख्या का विवरण	दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक में लिये गये निर्णय	अनुपालन आख्या
(9135101) dated 04.08.2022 के द्वारा अनुरोध किया गया था। 7.3 उक्त के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक–177/मा.प्र./एन.सी.आर.2022.23 दिनांक 24.08.2022 के माध्यम से समस्त विकास प्राधिकरणों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों यथा–गाजियाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, खुर्जा, बागपत– बडौत–खेकडा, हापुड़– पिलखुवा, मुजफ्फरनगर एवं शामली विकास प्राधिकरण तथा नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से ससमय मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है तथा सभी अभिकरणों से अपेक्षा की गयी है कि समयान्तर्गत मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित की जाये। 7.4 सदस्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 22.11.2022 को सम्पन्न Review of NCR Planning and Monitoring Cells में मद सं0–2 (ii & iii) के अन्तर्गत लिये गये निर्णयों के अनुपालन में मासिक प्रगति आख्या हेतु प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को प्रातः 11:00 बजे कार्यालय आयुक्त, एन0सी0आर0, उ0प्र0 गाजियाबाद में बैठक आहूत किए जाने के सम्बन्ध में अपर आयुक्त, एन0सी0आर0, उ0प्र0 का पत्र सं0–317 दिनांक 28.12.2022 द्वारा सर्वसम्बन्धित को अवगत कराया गया। तत्क्रम में अपर आयुक्त, एन0सी0आर0, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 02.01.2023 को सर्वसंबंधित प्राधिकरणों के साथ बैठक आयोजित की गयी तथा समयान्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर मासिक प्रगति उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।		
<u>मद संख्या–08</u> **उ0प्र0 प्रभाग में भौतिक/ सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली से वित्तीय ऋण लिये जाने के सम्बन्ध में।** 8.1 उत्तर प्रदेश प्रभाग में कुल 57 परियोजनाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना	उ0प्र0 प्रभाग में भौतिक/ सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए सभी विभागों से यह अपेक्षा की गयी कि वे अन्य वैकल्पिक वित्तीय संस्थाओं से ब्याज की	विस्तृत विवरण **एजेण्डा सं0–09** पर प्रस्तुत है।

<table>
<tr><th>दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक की कार्यसूची के मद संख्या का विवरण</th><th>दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक में लिये गये निर्णय</th><th>अनुपालन आख्या</th></tr>
<tr><td>बोर्ड, नई दिल्ली से वित्त पोषित की गयी हैं, जिनकी कुल अनुमानित लागत रू0 9121.85 करोड़ हैं। उक्त परियोजनाओं में से कुल 54 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा वर्तमान में 03 परियोजनाएं संचालित हैं। संचालित परियोजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कियान्वित संस्था द्वारा यूटीलाईजेशन/ कम्पलीशन सर्टीफिकेट प्रेषित कर दिया गया है।

वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित तालिकानुसार वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है:–

<table>
<tr><th>Types of Project</th><th>Present Rate*</th></tr>
<tr><td>Priority Infrastructure Projects viz. Water Supply, Sewerage, Sanitation, Drainage and Solid Waste Management</td><td>7.00% p.a.</td></tr>
<tr><td>Roads, ROBs & Flyover, RUB, Expressways, Affordable/EWS Housing</td><td>7.00% p.a.</td></tr>
<tr><td>Metro/Rapid Rail/RRTS</td><td>7.00% p.a.</td></tr>
<tr><td>Power Sector Projects – Generation, Transmission and Distribution</td><td>7.50% p.a</td></tr>
<tr><td>Land Development Projects – Residential/Industrial/Commercial and other Infrastructure viz. Technical / Medical Institutions</td><td>8.50%p.a</td></tr>
</table>
* In addition, a rebate of 0.25% by reduction in interest rate, for timely payment of loan installments, strictly as per repayment schedule, is available.

8.2 उ0प्र0 प्रभाग में नई परियोजनाओं का चिन्हांकन करने तथा एन0सी0आर0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली की वित्तीय सहायता से परियोजनाओं को विकसित/क्रियान्वित करने हेतु आयुक्त, एन0सी0आर0, उ0प्र0 के पत्र संख्या–176/न्यू फंडिंग/एन.सी.आर. /2022–23 दिनांक 24.08.2022 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न विभागों से अनुरोध किया गया है। तदोपरान्त समस्त सम्बन्धित विभागों/अभिकरणों को अनुस्मारक पत्र सं0–316 दिनांक 28.12.2022 भी प्रेषित किया गया।</td><td>दरों का तुलनात्मक परीक्षण करते हुए परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली को प्रेषित करें।</td><td></td></tr>
<tr><td><u>मद संख्या–09</u>

एन0सी0आर0 में अतिरिक्त क्षेत्र सम्मिलित किये जाने हेतु डेलीनिएशन स्टडी (Delineation Study) के सम्बन्ध में।

9.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन वर्ष 1985 में निर्धारित किया गया</td><td>बैठक में प्रस्तुत एन0सी0आर0 में अतिरिक्त क्षेत्र सम्मिलित किये जाने हेतु डेलीनिएशन स्टडी (Delineation Study) के प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।</td><td>एन0सी0आर0 सेल, उ0प्र0 से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</td></tr>
</table>

दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक की कार्यसूची के मद संख्या का विवरण	दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक में लिये गये निर्णय	अनुपालन आख्या
था। तत्समय क्षेत्रीय योजना का क्षेत्रफल 30242 वर्ग किमी0 था। क्षेत्रीय योजना–2021, जो कि वर्ष 2005 में अधिसूचित की गयी, में एन.सी.टी. दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा राज्य के आठ, राजस्थान का एक एवं उत्तर प्रदेश के पाँच जिले (मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर एवं बागपत) सम्मिलित थे। तत्समय एन.सी.आर. का क्षेत्रफल 33578 वर्ग किमी0 था। **9.2** वर्तमान में एन0सी0आर0 के अन्तर्गत एन.सी.टी. दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा के 14 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले (1. मेरठ, 2. गाजियाबाद, 3. हापुड़, 4. बुलन्दशहर 5. बागपत, 6. गौतमबुद्धनगर 7. मुजफ्फरनगर 8. शामली) तथा राजस्थान के दो जिले आते हैं, जिसके फलस्वरूप एन0सी0आर0 का कुल क्षेत्रफल 55083 वर्ग किमी0 है। **9.3** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वर्ष 2015 में सदस्य सचिव, एन.सी.आर. योजना बोर्ड की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी जिसमें एन.सी.आर. के डेलीनिएशन स्टडी हेतु निर्देशित किया गया। समिति द्वारा विभिन्न पहलुओं पर सभी सहभागी राज्यों से इस सम्बन्ध में राय चाही गयी। उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–48NCR/आठ-2-17-14NCR/15 दिनांक 31-08-2018 के माध्यम से सदस्य सचिव, एन.सी.आर. योजना बोर्ड, नई दिल्ली को उत्तर प्रदेश राज्य का निम्न अभिमत प्रेषित किया गया:– *"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्र को सम्मिलित/हटाये जाने हेतु जिला सीमा को आधार माना जाये। इसके अतिरिक्त सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र/जिलों की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से भौतिक निरन्तरता, पारस्परिक आर्थिक क्रियायें, भौतिक विकास की सम्भावनाएं ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटन, यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक सुविधायें एवं औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं का भी संज्ञान लिया जाना श्रेयकर होगा।'* उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में प्रश्नगत प्रकरण को दिनांक 28.09.2018 में सम्पन्न स्टेयरिंग कमेटी की पंचम बैठक में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उ0प्र0 राज्य के उक्त अभिमत पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।		

दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक की कार्यसूची के मद संख्या का विवरण	दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक में लिये गये निर्णय	अनुपालन आख्या
9.4 डेलीनिएशन हेतु गठित एक्सपर्ट कमेटी में दो विकल्प (Option-I) व (Option-II) प्रस्तुत किए गये हैं। विश्लेषणोंपरान्त उ0प्र0 प्रभाग द्वारा विकल्प–1 को अधिक औचित्यपूर्ण मानते हुए सहमति पत्र सं0–02एन0 सी0 आर0/आठ–2– 2021 –14 एनसीआर/15 दिनांक 10 मार्च 2021 के माध्यम से प्रेषित की गयी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र संख्या–Y-13/38/2021-Office of dy Director-UD Date August 11, 2021 के माध्यम से प्रेषित हरियाणा सरकार के डेलीनिएशन सम्बन्धित निम्नलिखित सुझाव पर उ0प्र0 राज्य का मत प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी थी:– *".....(a) The entire area of the State falling within 50kms buffer from centre of NCT-Delhi as well as the area covered between Western Peripheral Expressway/Kundali-Manesar-Palwal (KMP) Expressway and NCT-Delhi (where KMP Expressway extends beyond this buffer), to be covered under NCR.* *(b)Extent of NCR along National Highways/Expressways be considered with one km. wide buffer on both sides within the existing NCR alongwith extension along NH-9 and NH-44 upto CMA Hisar and Ambala respectively....."* उक्त के क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–76 एन0सी0आर0/ आठ–2 –21–300 विधि/ 2011 दिनांक 02 सितम्बर, 2021 के माध्यम से अपने पूर्व प्रेषित अभिमत में सम्प्रति परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, के सम्बन्ध में निदेशक (प्रशा/वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली को जवाब प्रेषित करते हुए वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। **9.5** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के ईमेल दिनांक 25 मई, 2022 के क्रम में हरियाणा की तीन तहसीलों को हटाते हुए संशोधित प्रस्ताव से उ0प्र0 प्रभाग पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, के सम्बन्ध में सहायक निदेशक (तक0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली को एन0सी0आर0 सेल, उ0प्र0		

दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक की कार्यसूची के मद संख्या का विवरण	दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक में लिये गये निर्णय	अनुपालन आख्या
गाजियाबाद के पत्र सं0–72/ एन0सी0आर0 डेलीनिएशन/ एन0सी0 आर0/2022 –23 दिनांक 30.05.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया।		
<u>मद संख्या–10</u> **अमृत योजनान्तर्गत तैयार की जा रही महायोजनाओं के सम्बन्ध में।** **10.1** शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित अटल मिशन फॉर रिज्यूवेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेंशन (AMRUT) के अन्तर्गत जी.आई.एस. आधारित महायोजना तैयार किये जाने हेतु उ0प्र0 के 59 नगरों का चयन किया गया था। वर्तमान में एन0सी0आर0 के उ0प्र0 प्रभाग में कुल 08 जिले यथा–गाजियाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, बागपत, मुजफ्फरनगर एवं शामली सम्मिलित हैं। **10.2** AMRUT योजनान्तर्गत एन0सी0आर0 के 10 नगरों की महायोजना–2031 तैयार की जा रही है, जिनकी अद्यतन स्थिति पर प्रस्तुत हैं, जिसमें महायोजनाएं तैयार करने के सम्बन्ध में अनुबन्ध की तिथि, महायोजना पूर्ण करने की अनुमानित तिथि तथा बोर्ड में प्रस्तुत करने तथा जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने का विवरण उल्लेखित किया गया है। **10.3** लगभग सभी महायोजनाएं अपनी समयसीमा के अन्तर्गत अभी तक पूर्ण नहीं की गयीं हैं तथा महायोजना तैयार करने की प्रक्रिया सभी सम्बन्धित प्राधिकरणों में विलम्बित हैं। **10.4** उल्लेखनीय है कि सभी 10 नगरों की महायोजनाओं के ड्राफ्ट पर सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के अनुमोदनोपरांत जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जा चुके हैं। परन्तु आपत्तियों/सुझावों के उपरांत अभी तक अंतिम स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की गयी है। विशेष रूप से बुलन्दशहर, खुर्जा, हापुड़, मुजफ्फरनगर एवं शामली की आपत्ति एवं सुझाव पर सनुवाई की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है, परन्तु अभी तक महायोजना प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत नहीं की गयीं हैं।	सम्यक विचार–विमर्श के उपरांत प्रस्ताव विलोपित (ड्रॉप) किया गया।	एन0सी0आर0 सेल, उ0प्र0 से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक की कार्यसूची के मद संख्या का विवरण	दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक में लिये गये निर्णय	अनुपालन आख्या
10.5 इस विषय में आयुक्त, एन0सी0आर0, उ0प्र0 के निम्नलिखित पत्रों के माध्यम से सम्बन्धित प्राधिकरणों को महायोजनाओं को समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने तथा महायोजनाओं को अंतिम रूप देते हुए अनुमोदन हेतु शासन को अविलम्ब प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है:– i) पत्र सं0–182/अमृत महा./एन.सी.आर./2022–23दिनांक 29.08.2022 ii) पत्र सं0–183/अमृत महा./एन.सी.आर./2022–23दिनांक 29.08.2022 iii) पत्र सं0–184/अमृत महा./एन.सी.आर./2022–23दिनांक 29.08.2022 iv) पत्र सं0–211/अमृत महा./एन.सी.आर./2022–23दिनांक 14.09.2022 v) पत्र सं0–212/अमृत महा./एन.सी.आर./2022–23 दिनांक 14.09.2022 vi) पत्र सं0–213/अमृत महा./एन.सी.आर./2022–23 दिनांक 14.09.2022		

दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक की कार्यसूची के मद संख्या का विवरण	दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक में लिये गये निर्णय	अनुपालन आख्या
<u>मद संख्या–11</u> **एन0सी0आर0 सेल, उ0प्र0 में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।** 11.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली की दिनांक 12.10.2021 को सम्पन्न हुई 40वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा नं0–40/7 (Continuation of NCR Planning & Monitoring Cells in NCR Participating States) के क्रम में लिये गये निर्णय (.....Board approved the proposal contained in the agenda that NCR Planning and Monitoring Cells be extended by 18 months from 01.04.2021 (i.e. till 30.09.22). Thereafter extension can be considered till 31.03.2025 subject to filling up at least 50% of current vacancies by June 2022.) के अंतर्गत एन0सी0आर0 प्लानिंग एवं मॉनिटरिंग सेल्स की निरन्तरता को दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 30.09.2022 (18 माह) तक बढ़ाया गया, तथा एन0सी0आर0 सेल्स के कम से कम 50% रिक्त पदों को भरे जाने के उपरांत ही उक्त निरन्तरता को दिनांक 31.03.2025 तक बढ़ाये जाने का उल्लेख किया गया। 11.2 उक्त के अनुपालन में इस कार्यालय के निम्नलिखित पत्रों के माध्यम से एन0सी0आर0 सैल, गाजियाबाद में रिक्त चल रहे पदों को भरने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन से अनुरोध किया गया:– i. पत्र सं0 397/ निरन्तरता /एन0 सी0आर0/2021– 22 दिनांक10.09.2021 ii. अर्द्धशा.पत्रांक 534/निरन्तरता/ एन0 सी0आर0/2021–22 दिनांक27.10.2021 iii. पत्र सं0 940/निरन्तरता/ एन0सी0 आर0/2021–22 दिनांक 24.03.2022 iv. अर्द्धशा0 पत्रांक–51/निरन्तरता/एन0 सी0आर0/2022–23दिनांक11.05.2022 11.3 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गाजियाबाद में सृजित पदों के सापेक्ष प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों को भरने हेतु उ0प्र0 शासन के आवास एंव शहरी नियोजन अनुभाग–6 के पत्र संख्या–941/आठ–6– 22–2टी0पी0 / 2019 दिनांक 09 जून, 2022 एवं पत्र	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन सेल, उ0प्र0 में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में यथासम्भव तैनाती की कार्यवाही की अपेक्षा के साथ यह निर्देश दिये गये कि एन0सी0आर0 सेल के विभिन्न कार्यों/सेवाओं को आउटसोर्स के माध्यम से भी सम्पादित कराया जा सकता है।	विस्तृत विवरण एजेण्डा सं0–10 पर प्रस्तुत है।

दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक की कार्यसूची के मद संख्या का विवरण	दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुई षष्ठम् बैठक में लिये गये निर्णय	अनुपालन आख्या
सख्या –GOI-04/आठ–6– 22 –2 टी0पी0/2019 दिनांक 23 जून, 2022 के माध्यम मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को एन0सी0 आर0 सेल, गाजियाबाद में अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया। **11.4** उ0प्र0 शासन के उपरोक्त पत्रों के अनुपालन में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनाती की गयी है। वर्तमान में एन0सी0आर0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत 30 पदों के सापेक्ष 16 पदों पर तैनाती है तथा 14 पद रिक्त हैं। **11.5** एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद में रिक्त पदों के 50% के सापेक्ष तैनाती किए जाने हेतु आयुक्त, एन0सी0आर0, उ0प्र0 के पत्रांक 304/निरंतरता/ एन0 सी0आर0/ 2022–23 दिनांक 08.12.2022 द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ तथा चीफ कोओर्डिनेटर प्लानर, एन0सी0 आर0 सेल, उ0प्र0 के पत्रांक 319 दिनांक 30.12.2022 के माध्यम से मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से अनुरोध किया गया है।		

3. <u>मद संख्या–03</u>

हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि0 (HORC) द्वारा प्रेषित ईस्टर्न ऑरबिटल रेल कॉरीडोर परियोजना की फिजीबिल्टी स्टडी कराये जाने के सम्बन्ध में।

3.1 एन0सी0आर0पी0बी0 की क्षेत्रीय योजना–2021 एवं 2041 (ड्राफ्ट) में पूर्वी और पश्चिमी पेरीफेरल एक्सप्रेस–वे के साथ दिल्ली के आस–पास ऑर्बिटल रेल (गाजियाबाद–नोएडा–फरीदाबाद–गुणगांव–बहादुरगढ़–कुण्डली–गाजियाबाद) कोरीडोर प्रस्तावित है। यह कॉरीडोर ईस्टर्न पैरीफरेल एक्सप्रेस–वे के समान्तर होगा। क्षेत्रीय योजना–2041 (ड्राफ्ट) में ईस्टर्न ऑरबिटल रेल कॉरीडोर परियोजना का प्रस्तावित एलाईमेन्ट उ0प्र0 राज्य के मेरठ–बागपत–खुर्जा के अन्तर्गत वर्णित है। यह प्रस्ताव नोएडा, दादरी, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ एवं बागपत नगरों को उच्च कोटि की कनैक्टिविटी के साथ–साथ औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को सुदृढ़ता एवं गति प्रदान करेगा।

3.2 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 के पत्रांक 817/आठ–2–2023–688/2023 दिनांक 28 अप्रैल, 2023 **(संलग्नक–2)** के द्वारा अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 18.05.2023 को पूर्वान्ह् 11:00 बजे बैठक आहूत की गयी। बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में कार्यालय के पत्रांक 65 दिनांक 22.05.2023 **(संलग्नक–3)** के माध्यम से ईस्टर्न ऑरबिटल रेल कॉरीडोर परियोजना से सम्बन्धित फिजिबिलटी रिपोर्ट पर विचार–विमर्श हेतु स्टेकहोल्डर्स के सक्षम अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करने हेतु आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ से अनुरोध किया गया।

3.3 ईस्टर्न ऑरबिटल रेल कॉरीडोर परियोजना (पलवल–नोएडा–डासना–बागपत–सोनीपत) तैयार किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के क्रम में फिजिविल्टी रिपोर्ट पर विचार–विमर्श हेतु आयुक्त, मेरठ मण्डल, मण्डल की अध्यक्षता में दिनांक 09.06.2023 **(संलग्नक–4)** को बैठक आहूत की गयी। बैठक में उपस्थिति सभी सदस्यों को ईस्टर्न ऑरबिटल रेल कॉरीडोर परियोजना से सम्बन्धित सूचना प्रेषित करने हेतु उ0प्र0 प्रभाग के समस्त स्टेक होल्डर्स को प्रारूप उपलब्ध कराया गया।

3.4 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 के पत्रांक 987/आठ–2–2023–688/2023 दिनांक 26 मई, 2023 **(संलग्नक–5)** के द्वारा ईस्टर्न ऑरबिटल रेल कॉरीडोर परियोजना के सम्बन्ध में संस्तुति सहित आख्या तथा पी0पी0टी0 शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी, जिसके अनुक्रम में कार्यालय के पत्रांक 137 दिनांक 12.07.2023 **(संलग्नक–6)** के माध्यम से वांछित पी0पी0टी का प्रथम ड्राफ्ट अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित की गयी। इस सम्बन्ध में सभी हितधारकों द्वारा उपलब्ध कराये गये फीडबैक को मण्डलायुक्त, मेरठ स्तर से प्रस्तुतीकरण में सम्मिलित करते हुए पुनः परियोजना से सम्बन्धित पी.पी.टी. उ0प्र0 शासन को प्रेषित की जायेगी। इसी क्रम में कार्यालय के अनुस्मारक पत्रांक 202 दिनांक 18.08.2023 **(संलग्नक–7)** के माध्यम से ईस्टर्न ऑरबिटल रेल कॉरीडोर परियोजना से सम्बन्धित पी0पी0टी का प्रथम ड्राफ्ट पुनः अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया।

3.5 ईस्टर्न आर्बिटल रेल कॉरीडोर परियोजना की फिजीविलिटी स्टडी पर विचार–विमर्श किये जाने के सम्बन्ध में मा0 आयुक्त महोदया, मेरठ मण्डल, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 06.09.2023 को बैठक आहूत की गयी। उपरोक्त सम्पन्न बैठक में फिजिविलटी स्टडी कराये जाने के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त की गयी एवं इस पर होने वाले व्यय को इस क्षेत्र में पड़ने वाले औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं आवास विभाग से सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 के शासन के निर्णयानुसार वहन किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी। तत्क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 के पत्रांक 82एनसीआर/आठ–2–2023–688/2023 दिनांक 29 सितम्बर, 2023 **(संलग्नक–7A)**, के अनुक्रम

में कार्यालय के पत्रांक 296 दिनांक 25.10.2023 **(संलग्नक–7B)**, के द्वारा उ0प्र0 शासन से अनुरोध किया गया कि परिवहन एवं रेल से सम्बन्धित विषय पर कार्यालय में विशेष अध्ययन हेतु स्टाफ उपलब्ध न होने के कारण यह कार्यवाही सम्भव नहीं है। फिजिविलटी स्टडी में आर.एफ.पी. में वैकल्पिक साधनों के अध्ययन को भी ''स्कोप ऑफ वर्क'' में रखा जाना श्रेयकर होगा।

अतः ईस्टर्न ऑरबिटल रेल कॉरीडोर परियोजना के सम्बन्ध में फिजिविलिटी स्टडी कराये जाने पर विचार किये जाने का प्रस्ताव कमेटी के समक्ष प्रस्तुत है।

12
02/05/2023

52
01-5-2023

संलग्नक–2

ई–मेल / बैठक / दिनांक 18.05.2023
संख्या–817 / आठ–2–2023–688 / 2023

प्रेषक,

शीतला प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1–अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,
औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास विभाग,उ0प्र0 शासन।

2– आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

3–आयुक्त,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उ0प्र0 प्रभाग, गाजियाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 28 अप्रैल, 2023

विषयः– हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0 के माध्यम से ईर्स्टन आर्बिटल रेल कॉरीडोर परियोजना (पलवल–नोयडा–डासना–बागपत–सोनीपत) तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–688 / आठ–2–2023 दिनांक 11.04.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में विचार–विमर्श हेतु दिनांक 18.05.2023 को पूर्वान्ह 11:00 बजे अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में बैठक आहूत की गयी है।

कृपया उक्त निर्धारित बैठक में सुसंगत सम्पूर्ण सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शीतला प्रसाद)
अनु सचिव।

Addl. Comm

संख्या व दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव / विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।

2– स्वागत अधिकारी, लाल बहादुर शास्त्री भवन, उ0प्र0 सचिवालय को इस आशय से प्रेषित कि कृपया दिनांक 18.05.2023 को पूर्वान्ह 11:00 बजे आहूत उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों का प्रवेश पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

Omm.
28/04/2023

UP.

आज्ञा से,

(शीतला प्रसाद)
अनु सचिव।

01.05.2023

Addl. Comm
01/05/2023

AE/ Mrs Rachana
Please discuss.
01/05/23
CCP

01/05/23
(AE)

NCR-13 (874) H.P.

संलग्नक–3

का0 (टे...
Email add...

कार्यालय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0

द्वितीय तल, नगर निगम भवन, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद (उ0प्र0)

पत्रांकः 65 / ओ.आर.सी. / एन0सी0आर0 / 2023–24 दिनांकः 22-5-2023

सेवा में,

मण्डलायुक्त,
मेरठ मण्डल,
मेरठ।

विषयः–हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0 के माध्यम से ईर्स्टन आर्बिटल रेल कॉरीडोर परियोजना (पलवल–नोयडा–डासना –बागपत–सोनीपत) तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक कृपया अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 18.05.2023 को सम्पन्न बैठक, जो हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0 के माध्यम से ईर्स्टन आर्बिटल रेल कॉरीडोर परियोजना (पलवल–नोयडा–डासना –बागपत–सोनीपत) तैयार किये जाने के सम्बन्ध में थी, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में ओर्बिटल रेल कॉरीडोर नेटवर्क से सम्बन्धित फिजीबिलिटी रिपोर्ट पर विचार–विमर्श करने हेतु मुख्यतः निम्नलिखित स्टेकहोल्डर्स सम्मिलित हैं:–

1. नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
2. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
3. यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
4. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
5. हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण
6. मेरठ विकास प्राधिकरण

कृपया उल्लेखित सन्दर्भ में उपरोक्त वर्णित स्टेक होल्डर्स के सक्षम अधिकारियों के साथ दिनांक 07.06.2023 से 10.06.2023 के मध्य एक बैठक मेरठ में आयोजित किया जाना उचित होगा, जिससे कि उ0प्र0 शासन को सुविचारित मत तथा प्रस्तुतीकरण तैयार कर प्रेषित किया जा सके।

भवदीया,

22/5/2023

(संयुक्ता समद्दार)
आयुक्त

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ दिनांक 18.05.2023 में सम्पन्न बैठक के क्रम में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

22/5/2023

आयुक्त

124
08-6-2023

संलग्नक—4

ई—मेल/अति—आवश्यक/बैठक दिनांक

प्रेषक,

आयुक्त,
मेरठ मण्डल,
मेरठ।

सेवा में,

चीफ कॉर्डिनेटर प्लानर,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (नियोजन सेल) यू0पी0,
गाजियाबाद नगर निगम (भवन), गाजियाबाद।

संख्या:— 916 /28—50/2022—24 दिनांक:— 05 जून, 2023

विषय:— हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा रेल इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0 के माध्यम से ईर्स्टन आर्बिटल रेल कॉरीडोर परियोजना (पलवल—नोएडा—डासना—बागपत—सोनीपत), तैयार किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 09—06—2023 (शुक्रवार) को अपरॉन्ह 05:00 बजे भौतिक रूप से आहूत बैठक में प्रतिभाग करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 18—05—2023 को सम्पन्न बैठक, जो हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा रेल इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0 के माध्यम से ईर्स्टन आर्बिटल रेल कॉरीडोर परियोजना (पलवल—नोएडा—डासना—बागपत—सोनीपत) तैयार किए जाने के सम्बन्ध में थी, में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में आर्बिटल रेल कॉरीडोर नेटवर्क से सम्बन्धित फिजीबिलिटी रिपोर्ट पर विचार—विमर्श करने हेतु दिनांक 09—06—2023 (शुक्रवार) को अपरॉन्ह 05:00 बजे मा0 आयुक्त, महोदया की अध्यक्षता में भौतिक रूप से मण्डलायुक्त कार्यालय, मेरठ स्थित सभागार में एक बैठक आहूत की गई है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 09—06—2023 (शुक्रवार) को अपरॉन्ह 05:00 बजे आहूत बैठक में संगत अद्यतन सूचनाओं सहित स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महेन्द्र प्रसाद)
अपर आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:— व्यैक्तिक सहायक को मा0 आयुक्त, महोदया के सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

(महेन्द्र प्रसाद)
अपर आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

AE | Ms Rachana & Ms Bhawana

8/6/23

8/6/23
(AG)

संलग्नक–5

संख्

प्रेषक,

शीतला प्रसाद,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) आयुक्त,

एन0सी0आर0 (उ0प्र0 प्रभाग)

गाजियाबाद।

(2) आयुक्त,

मेरठ मण्डल, मेरठ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक- 26 मई, 2023

विषय- हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0 के माध्यम से ईस्टर्न आर्बिटल रेल कॉरीडोर परियोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18.05.2023 को सम्पन्न बैठक का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया बैठक में हुए विचार विमर्श के अनुरूप क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित कर परिवहन के वैकल्पिक साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में संस्तुति सहित आख्या तथा एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण (पी0पी0टी0) शासन को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि सक्षम स्तर पर विचारार्थ प्रस्तुत कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु मत स्थिर किया जाना सम्भव हो सके।

भवदीय,

(शीतला प्रसाद)

अनु सचिव।

Addl. Comm. Pl expedite

Comm 29/05/2023

CP.

Addl Comm 29/05/23

29/05/2023

AE/Mrs Rachana

29/05/23

SK 29/5/23 (AE)

Gncro21 P-334

संलग्नक–6

का0 (...)
Email address: ncrcellup@gmail.com

कार्यालय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0

द्वितीय तल, नगर निगम भवन, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद (उ0प्र0)

पत्रांक: 137 /ई.ओ.आर.सी. /एन0सी0आर0/2023–24 दिनांक: 12-7-2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन,
लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ।

विषय:–हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0 के माध्यम से ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरीडोर परियोजना (पलवल–नोएडा–डासना–बागपत –सोनीपत) तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2, लखनऊ के पत्र सं0–987/आठ–2–2023–688/2023 दिनांक 26 मई, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत पत्र के माध्यम से दिनांक 18.05.2023 को अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में हुये विचार–विमर्श के अनुरूप क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित कर परिवहन के वैकल्पिक साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में संस्तुति सहित आख्या तथा एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण (पी.पी.टी.) शासन को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त वर्णित बैठक में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में सम्बन्धित स्टेकहोल्डर्स के सक्षम अधिकारियों के साथ बैठक आहूत किए जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–65/ ई.ओ.आर.सी./एन0सी0आर0/2023–24 दिनांक 22.05.2023 आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को प्रेषित किया गया। पत्र के अनुक्रम में ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरीडोर (पलवल–नोएडा–डासना–बागपत–सोनीपत) नेटवर्क से सम्बन्धित फिजीबिलिटी रिपोर्ट पर विचार–विमर्श करने हेतु दिनांक 09.06.20223 (शुक्रवार) को आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न की गई थी। इस बैठक में सर्वसम्बन्धित को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिये निर्धारित प्रारूप उपलब्ध कराया गया।

अतः शासन की दिनांक 18.05.2023 को सम्पन्न बैठक में हुये विचार–विमर्श के अनुक्रम में ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरीडोर परियोजना से सम्बन्धित वांछित प्रस्तुतीकरण (पी0पी0टी0) के प्रथम ड्राफ्ट की हार्डप्रति प्रेषित की जा रही है। मण्डलायुक्त, मेरठ द्वारा सभी हितधारकों से इस प्रोजेक्ट के परिप्रेक्ष्य में फीडबैक प्राप्त होने पर उसे सम्मिलित करते हुए प्रस्तुतीकरण को पुनः प्रेषित किया जायेगा।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,
12/7/2023
(संयुक्ता समद्दार)
आयुक्त

29

7

संलग्नक–7

का0 (टे...
Email addr...

कार्यालय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0

द्वितीय तल, नगर निगम भवन, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद (उ0प्र0)

पत्रांक: 202 /ई.ओ.आर.सी. /एन0सी0आर0/2023–24 दिनांक: 18-8-2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन,
लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ।

विषयः–हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0 के माध्यम से ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरीडोर परियोजना (पलवल–नोएडा–डासना–बागपत –सोनीपत) तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया आवास एंव शहरी नियोजन अनुभाग–2, लखनऊ के पत्र सं0–65एन0सी0आर0/आठ–2–2023–688/2023 दिनांक 17 अगस्त, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत पत्र के माध्यम से परिवहन के वैकल्पिक साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरीडोर परियोजना (पलवल–नोएडा–डासना–बागपत –सोनीपत) के सम्बन्ध में संस्तुति सहित आख्या तथा एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण (पी.पी.टी.) शासन को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकरण में वांछित आख्या प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुतकीरण का प्रथम ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 137/ई.ओ.आर.सी./एन0सी0 आर0/2023–24 दिनांक 12.07.2023 द्वारा शासन को प्रेषित कर दिया गया था।

उपरोक्त प्रेषित पत्र दिनांक 12.07.2023 के साथ प्रस्तुतीकरण (पी0पी0टी0) के प्रथम ड्राफ्ट की प्रति पत्र के साथ पुनः संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। मण्डलायुक्त, मेरठ द्वारा हितधारकों से इस परियोजना के परिप्रेक्ष्य में फीडबैक प्राप्त होने पर उसे सम्मिलित करते हुए प्रस्तुतीकरण को अद्यतन कर पुनः प्रेषित किया जायेगा।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(संयुक्ता समद्दार)
आयुक्त
OIC

पत्र संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपिः–मण्डलायुक्त, मेरठ को उक्त पत्र की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
OIC

30

संलग्नक–7A

प्राथमिकता

संख्या-82 NCR/आठ-2-2023-688/2023

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

(1) आयुक्त,
एन०सी०आर० (उ०प्र० प्रभाग)
गाजियाबाद।

(2) आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक- 29 सितम्बर, 2023

विषय- हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि० के माध्यम से इस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरीडोर परियोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-987/आठ-2-2023-688/2023, दिनांक 26.05.2023 तथा पत्र संख्या [illegible]/आठ-2-2023-688/2023, दिनांक 17.08.2023 के क्रम में आयुक्त, एन०सी०आर० (उ०प्र० प्रभाग) के पत्र संख्या-202/डी.जी.आर.सी./एन०सी०आर०/2023-24, दिनांक 18.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें। [illegible] निर्देश दिये गये हैं कि परियोजना के वैकल्पिक साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में संस्तुति सहित आख्या तथा एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण (पी०पी०टी०) शासन को उपलब्ध कराया जाय। कृपया है कि वांछित आख्या सम्प्रति शासन को प्राप्त नहीं हुयी है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया परियोजना के वैकल्पिक साधनों [illegible] प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में संस्तुति सहित आख्या तथा एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण (पी०पी०टी०) शासन को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि शासन स्तर पर विचारार्थ [illegible]

भवदीय,

([illegible] कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

संलग्नक–7B

का० (टेलीफैक्स) ☏0120–4292946
Email address: ncrcellup@gmail.com

कार्यालय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0

द्वितीय तल, नगर निगम भवन, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद (उ0प्र0)

पत्रांकः 296 / ई.ओ.आर.सी. / एन0सी0आर0 / 2023–24 दिनांकः 25-10-2023

सेवा में,

विशेष सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः–हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0 के माध्यम से ईस्टर्न आर्बिटल रेल कोरीडोर परियोजना (पलवल–नोएडा–डासना –बागपत–सोनीपत) तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–82एनसीआर / आठ–2–2023–688 / 2023 दिनांक 29 सितम्बर, 2023, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के माध्यम से परिवहन के वैकल्पिक साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में संस्तुति सहित आख्या तथा एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण (पी0पी0टी0) शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परिवहन एवं रेल से सम्बन्धित विषय पर कार्यालय में विशेष अध्ययन हेतु स्टाफ उपलब्ध न होने के कारण यह कार्यवाही सम्भव नहीं है। फिजिविलटी स्टडी में आर.एफ.पी. में वैकल्पिक साधनों अध्ययन को भी "स्कोप ऑफ वर्क" में रखा जाना श्रेयकर होगा। तदनुसार संशोधित पी0पी0टी0 संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीया,

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

25/10/2023
(संयुक्ता समद्दार)
आयुक्त

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपिः–आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

25/10/2023
आयुक्त
o/c

4. <u>मद संख्या–04</u>

उ0प्र0 प्रभाग की उपक्षेत्रीय योजना–2041 को तैयार करने के सम्बन्ध में।

4.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा–17 (1) के अंतर्गत समस्त सहभागी राज्यों द्वारा उपक्षेत्रीय योजना को तैयार किया जाता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में एन0सी0आर0 के उ0प्र0 प्रभाग के छः जिलों (गाजियाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, हापुड़, बागपत एवं गौतमबुद्धनगर) हेतु वर्तमान में प्रभावी उ0प्र0 उपक्षेत्रीय योजना–2021 को तैयार किया गया था, जिसे एन0सी0आर0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 01.07.2013 में अनुमोदित किया गया है।

4.2 उ0प्र0 प्रभाग में नये जिले मुजफ्फरनगर एवं शामली क्रमशः वर्ष 2015 एवं 2018 में सम्मिलित किए गये, जिनकी उपक्षेत्रीय योजना–2021 को एन0सी0आर0पी0बी0, नई दिल्ली की बैठक दिनांक 12.10.2021 (कार्यवृत्त **संलग्नक–8**) में अनुमोदित किया जा चुका है। अनुमोदनोपरांत जिला मुजफ्फरनगर एवं शामली की उप क्षेत्रीय योजना–2021 को दिनांक 08.01.2022 में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की वेबसाईट पर अपलोड भी किया जा चुका है।

4.3 अतः उपरोक्त उल्लेखित विवरण के अनुसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र की उपक्षेत्रीय योजना–2021 एन0सी0आर0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित है।

4.4 उप–क्षेत्रीय योजना–2041 की संरचना हेतु एन0सी0आर0 सेल कार्यालय द्वारा RFP & RFQ Document तैयार किया गया है, जिसे आयुक्त, एन0सी0आर0, उ0प्र0 गाजियाबाद के पत्रांक 315/उ.क्षे.यो–2041/एन0सी0आर0/2022–23दिनांक 28.12.2022 **(संलग्नक–9)** के माध्यम से प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को निरीक्षणोंपरांत अग्रिम निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित किया गया।

4.5 अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र सं0–494/आठ–2–23–01 एनसीआर/2023 दिनांक 22 मार्च, 2023 के साथ संलग्न मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–2131/वा.नि./एन.सी. आर./क्षे.यो.–2041/2022–23 दिनांक 28 फरवरी, 2023 में वर्णित अभिमत से अवगत कराते हुये प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये।

4.6 कार्यालय आयुक्त, एन0सी0आर0, उ0प्र0 में सम्पन्न समीक्षा बैठक दिनांक 05.06.2023 में उप–क्षेत्रीय योजना–2041 को तैयार करने हेतु विभिन्न सैक्टर्स से सम्बन्धित समस्त डाटा उपलब्ध कराने हेतु सर्व समस्त विकास/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निर्देशित किया गया।

4.7 क्षेत्रीय योजना–2041 अनुमोदित होने के उपरान्त उप–क्षेत्रीय योजना–2041 को तैयार करने हेतु RFP & RFQ को जारी किया जायेगा।

अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 प्रभाग की उपक्षेत्रीय योजना–2041 को तैयार करने से सम्बन्ध में स्थिति कमेटी के समक्ष संज्ञानार्थ/अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

Minutes of the 41st Board Meeting of the NCRPB held under the Chairmanship of Shri Hardeep Singh Puri, Hon'ble Minister, Housing & Urban Affairs and Chairman, NCRPB on 12-10-21 at 04:00 PM through Video-Conferencing.

The Member Secretary, NCRPB welcomed the Chairman and all Members of the Board, other participants and officers present in the meeting (**Annexure-I**).

2. Secretary, HUA briefed the members about the agenda points of the meeting and indicated that key focus of the special meeting was to decide on taking forward the activity of Draft Regional Plan 2041 for NCR for consideration and approval for inviting objections/suggestions from public.

3. Member Secretary, NCRPB thereafter updated the Board with the agenda wise action taken on the decisions of the previous meeting and presented the agenda items for information, discussion and deliberations of the members.

4. The following Agenda Items were taken up for discussion:

AGENDA ITEM NO. 41/1: CONFIRMATION OF THE MINUTES OF 40TH MEETING OF THE BOARD HELD ON 31.08.2021

Minutes of the 40th Meeting of the Board held on 31.08.2021 were confirmed as circulated.

AGENDA ITEM NO. 41/2: ACTION TAKEN REPORT ON THE DECISIONS TAKEN IN 40th MEETING OF THE NCR PLANNING BOARD

Board was informed that out of the 19 items, under the agenda in Last Board meeting, no further action was required for 6 items, action was being taken by the Board Secretariat/States under 11 items while 2 items were being presented as separate agenda items.

UP reiterated their earlier request that NCZ delineation in SRP 2021 for the two newly added additional districts of UP Sub region districts may be done under RP-2041 for SRP 2041. It was pointed out by UP that no NCZ violation notice has been issued by NCRPB for these districts and further, the current RP-2021 and SRP 2021 are going to expire in next three months. ***This was discussed and agreed to by the Board. It was also agreed to apply the same principle to all newly added districts of NCR (including 4 districts of Haryana and one district of Rajasthan) for which no notice was issued in the past by NCRPB.***

AGENDA ITEM NO. 41/3: STATUS OF DELINEATION OF NATIONAL CAPITAL REGION

The Board was apprised about the meeting and discussion held under the Chairmanship of Secretary (HUA) on 06.09.21 based on the decisions of the last Board meeting. The revised NCR Delineation Option prepared on the basis of decision of the above meeting dated 06-09-21 was presented before the Board and discussed at length. Further, the Hon'ble Chief Minister of Haryana described the rationale for their proposal for 50 km from Delhi. Hon'ble Minster UP stated that they have plans to take RRTS upto Muzaffarnagar, Shamli. Hon'ble Minister Rajasthan expressed that entire district of Alwar and Bharatpur should remain as part of NCR; in addition to this, part area of Virat Nagar tehsil, district Jaipur along NH-8 may also be included in NCR as requested

संलग्नक–9

का0 (टेली[illegible]) [illegible]
Email address: ncrcellup@gmail.com

कार्यालय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0

द्वितीय तल, नगर निगम भवन, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद (उ0प्र0)

पत्रांक: 315 /उ.क्षे.यो.–2041 /एन0सी0आर0/2022–23 दिनांक: 28-12-2022

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2,
उ0प्र0 शासन, लाल बहादुर शास्त्री भवन,
लखनऊ–226010

विषयः–उ0प्र0 प्रभाग की उप–क्षेत्रीय योजना–2041 को तैयार किए जाने हेतु कन्सलटैन्ट के चयन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया शासन के पत्र सं0–99एनसीआर/आठ–2–2022–01एनसीआर/ 2017 दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सदस्य सचिव, एन0सी0आर0 योजन बोर्ड, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 22.11.2022 को आहूत एन0सी0आर0 प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग सेल की बैठक के कार्यवृत्त (छायाप्रति संलग्न) में उ0प्र0 सरकार से सम्बन्धित बिन्दुओं पर समयान्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर शासन को अगवत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सन्दर्भ मे प्रश्नगत कार्यवृत्त में वर्णित एजेण्डा सं0–4 (Status of preparation of Sub Regional Plan-2041) के सापेक्ष निर्णय लिया गया है कि "***....Chairperson advised all the Cells that for prepartaion of their respective Sub-Regional Plans for perspective year 2041 (SDRP-2041) each cell should start the process of hiring consultants. Necessary advertisement for preparation of SRPs 2041 should be issued by 10th December 2022....***"

बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में अवगत कराना है कि नवसृजित जनपद मुजफ्फरनगर एवं शामली की उप–क्षेत्रीय योजना–2021 हेतु बनाए गए RFP & RFQ के आधार पर उ0प्र0 प्रभाग की उप–क्षेत्रीय योजना–2041 हेतु RFP & RFQ Document तैयार किया गया है, जो अनुमोदन हेतु पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना–2041 का अनुमोदन नहीं हुआ है, जिसका उल्लेख उप–क्षेत्रीय योजना–2041 के लिए तैयार RFP & RFQ Document में किया गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उप–क्षेत्रीय योजना–2041 हेतु तैयार RFP & RFQ Document का परीक्षण कराते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

सादर,

भवदीय,
Roamphes!
(रिग्जियान सैम्फिल)
आयुक्त

5. मद संख्या–05

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली परियोजना (Rapid Regional Transit System) के सम्बन्ध में।

5.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सहभागी राज्यों की सहमति के उपरान्त प्रथम चरण में क्रियान्वित किये जाने हेतु आर.आर.टी.एस. योजना के 3 कोरीडोर (दिल्ली–सोनीपत–पानीपत, दिल्ली–गुडगांव– रेवाडी–अलवर एवं दिल्ली–गाजियाबाद– मेरठ) चयनित किये गये थे। उ0प्र0 शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–53 एनसीआर/आठ–2–17–14 एनसीआर/ 10 टीसी दिनांक 19 मई, 2017 **(संलग्नक–10)** के द्वारा दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कोरीडोर रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) से सम्बन्धित डी.पी.आर. एवं प्रस्तावित परियोजना पर राज्य सरकार की सहमति प्रदान की गयी एवं प्रस्तावित परियोजना में राज्य सरकार के अंशदान के रूप में निर्धारित कुल रु0 4304.00 करोड़ के सापेक्ष टोकन मनी के रूप में वर्ष 2017–18 के बजट में रु0 100.00 करोड का प्राविधान किया गया था।

5.2 तदोपरान्त उ0प्र0 शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–198934/2022/04/2022 फाईल न0 8–2099/69/2021–22 दिनांक 05 अगस्त, 2022 **(संलग्नक–11)** के माध्यम से अवगत कराया गया है कि दिल्ली–गाजियाबाद –मेरठ आर.आर.टी.एस. परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1306.00 करोड में से स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि रू0 1106.00 करोड के सापेक्ष रू0 450.00 करोड़ आहरित कर प्रबन्ध निदेशक, एन.सी.आर.टी.सी., नई दिल्ली को अवमुक्त कराये जाने हेतु राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

5.3 परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–I/227096/ 2022/05/2022-2 Mp/-8-2099/69/2021-22 दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 **(संलग्नक–12)** के माध्यम से उ0प्र0 सरकार के अंश के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 656 करोड़ के अन्तर्गत रू0 350.00 करोड़ आहरित करने की राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तत्पश्चात आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–I/272335/2023/01/2023 File no.m 8-2099/69/2021-2 दिनांक 09 फरवरी, 2023 **(संलग्नक–13)** के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु उ0प्र0 सरकार के अंश के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 306.00 (रू0 तीन सौ छः करोड़ मात्र) आहरित कर प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, को अवमुक्त कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदया द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–03/2023/387404/2023 File no.8-2099/69/2021-2 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 **(संलग्नक–13A)** के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1306.00 (रू0 तेरह सौ छः करोड़ मात्र) के सापेक्ष स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि रु0 956.00 करोड़ में से रु. 350.00 करोड़ आहरित कर प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, को अवमुक्त कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदया द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–04/2023/414220/2023 File no.8-2099/69/2021-2 दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 **(संलग्नक–13B)** के

माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1306.00 (रू0 तेरह सौ छः करोड़ मात्र) के सापेक्ष स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि रु0 606.00 करोड़ में से रु. 350.00 करोड़ आहरित कर प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, को अवमुक्त कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदया द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

5.4 आर.आर.टी.एस. परियोजना को मेरठ से मुजफ्फरनगर तक विस्तार करने हेतु फिजीबिलिटी स्ट्डी कराये जाने के लिए सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली से अनुरोध किए जाने के लिए आयुक्त, एन0सी0आर0, उ0प्र0 का पत्रांक 244 दिनांक 13.07.2021 **(संलग्नक–14)** के माध्यम से प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सुझाव/अभिमत प्रेषित किया गया। तत्क्रम में आवास अनुभाग–2, लखनऊ के पत्र संख्या–60एन0सी0आर0 /आठ–2–2021 दिनांक 12 अगस्त, 2021 **(संलग्नक–15)** के द्वारा सदस्य सचिव, एन0सी0आर0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् एन0सी0आर0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र सं0–Y-13/3/2021-NCRPB(9102020) Dated: 08-10-2021 **(संलग्नक–16)** के माध्यम से आवश्यक ट्रैफिक स्टड़ी अपने स्तर से कराने अथवा आर.आर.टी.एस. की कार्यदायी संस्था एन0सी0आर0टी0सी0, (National Capital Region Transport Corporation) नई दिल्ली से यथावश्यक सहयोग प्राप्त करने से से संबंधित निर्देश/सुझाव उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया। उपरोक्त के अनुक्रम में प्रश्नगत कॉरीडोर हेतु वांछित ट्रैफिक स्टडी कार्यदायी संस्था एन0सी0आर0टी0सी0, नई दिल्ली से कराए जाने के सम्बन्ध में शासन का पत्र संख्या– 510/आठ–2–2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 **(संलग्नक–17)** प्रबन्ध निदेशक, एन0सी0आर0टी0सी0, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।

5.5 आर.आर.टी.एस. परियोजना के दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कोरीडोर की अद्यतन स्थिति एन.सी.आर.टी.सी., नई दिल्ली के ई–मेल पत्र संख्या–NCRTC /GoUP/11-D Date: 21-08-2023 **(संलग्नक–18)** द्वारा दिनांक 31.07.2023 तक की वित्तीय और भौतिक प्रगति उपलब्ध करायी गयी है, जिसके अनुसार भौतिक प्रगति–61.08%, तथा वित्तीय प्रगति–54.07% पूर्ण होने से अवगत कराया गया।

5.6 परियोजना की अध्यावधिक स्थिति के अनुसार प्राथकिता अनुभाग–साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक (17 किमी0) पर सभी निर्माण कार्य एवं सिस्टम इंस्टॉलेशन संबंधित कार्य पूर्ण करते हुये रेपिड रेल के ट्रॉयल का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। आर.आर.टी. एस. के दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कॉरीडोर के प्रथम चरण (साहिबावाद से दुहाई तक) का उद्घाटन मा0 प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिनांक 20.10.2023 को किया जा चुका है एवं जनसामान्य हेतु संचालित है।

अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आर.आर.टी.एस. कॉरीडोर परियोजना की अद्यतन स्थिति कमेटी के समक्ष संज्ञानार्थ/ अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

८२

संलग्नक–10

महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्या–53NCR / आठ–2–2017–14NCR/10T.C

प्रेषक,

सदा कान्त,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन कार्पोरेशन लि0,
भारत सरकार, अगस्त क्रान्ति मार्ग,
नई दिल्ली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 19 मई, 2017

विषय–दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–NCRTC/RRTS/2016/ 14/ CS-SG -दिनांक 09–12–2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कॉरीडोर से सम्बन्धित **DPR** प्रेषित करते हुए उस पर राज्य सरकार की अनुमति प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कॉरीडोर रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) सम्बन्धी **DPR एवं प्रस्तावित परियोजना पर राज्य सरकार की सहमति प्रदान की जाती है।** साथ ही प्रस्तावित परियोजना में राज्य सरकार के अंशदान के रूप में निर्धारित कुल रू0 4304.00 करोड़ के सापेक्ष टोकन मनी के रूप में वर्ष 2017–18 के बजट में रू0 100.00करोड़ का प्रावधान कराया जा रहा है।

भवदीय,

(सदा कान्त)
अपर मुख्य सचिव।

Addl.Comm.
Comm
25/5/2017

C.I.P.
29.5.17

Add.Comm
29/5/17

43

(134)

संख्या- 52 NCR (1)/आठ-2-17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-- सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली।

2-- सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

3-- आयुक्त, एन0सी0आर0, उ0प्र0 प्रभाग, गाजियाबाद।

4-- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(जे0पी0सिंह)
संयुक्त सचिव।

NCR-13 (526) 11.P

I/198934/2022

File No.8-2099/69/2021- -2-

संलग्नक–11

74
05/08/22

235
8/8/22

198934
I/ /2022/04/2022-File No-8-2099/69/2021-2

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम,
नई दिल्ली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक- 05 अगस्त, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- NCRTC/Fin./Fund/Delhi-Meerut/UP/54 A, दिनांक 22.07.2022 तथा परियोजना की स्वीकृति विषयक आदेश संख्या-1/2019/617/आठ-2-2019-05एन0सी0आर0/17, दिनांक 07.03.2019 एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में धनराशि स्वीकृति विषयक आदेश संख्या I/185024/2022/03/2022, File No.-8-2099/69/2021-2 दिनांक 01.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करें। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-02 "लेखाशीर्षक-4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना-30-निवेश/ऋण" में प्राविधानित धनराशि रू0 1306.00 करोड़ में से स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि रू0 1106 करोड़ के सापेक्ष रू0 450.00 करोड़ (रू0 चार सौ पचास करोड़ मात्र) आहरित कर प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को अवमुक्त कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

(1) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप समयान्तर्गत सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी एन0सी0आर0टी0सी0 की होगी। प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाए।

(2) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 तथा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोपराइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा समस्त कार्य परियोजना की डी.पी.आर., डी.पी.आर. परिशिष्ट, इसकी संशोधित योजना, जिसका अनुमोदन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया गया है की शर्तों के अनुरूप ही सुनिश्चित

Addl. Comm.
OMM.
05/08/2022
CCP
Addl. Comm 08.08.22
08/08/2022
AE/Ms Rachana
45
8/8/22
ASO
Skrana
08/08/22
AE

कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पी०एल०ए०/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) एन०सी०आर०टी०सी० यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उत्तर प्रदेश सरकार को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(10) एन०सी०आर०टी०सी० द्वारा परियोजना की मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं सभी सम्बन्धित हितधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) परियोजना हेतु अवशेष किश्त/धनराशि की मांग करते समय निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा बी०एम०-15 प्रपत्र पर मांग कार्ययोजना के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

(12) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के वाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(13) एन०सी०आर०टी०सी० द्वारा परियोजना स्वीकृति/धन अवमुक्त सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेशों की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई- 8-48-X-2022-2023 दिनांक 01 अगस्त, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by नितिन रमेश गोकर्ण
Date: 03-08-2022 20:46:59
Reason: Approved (नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या- I/198934/2022/ 1/2022-File No-8-2099/69/2021-2 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय) उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) उ०प्र०, प्रयागराज।
3. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, वाह्य सहायतित परियोजना, ऊर्जा, परिवहन, नगर विकास,

संलग्नक—12

I/ 227096 /2022/ 05 /2022-File No-8-2099/69/2021-2

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम,
नई दिल्ली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 19 अक्टूबर, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-NCRTC/Fin./Fund/Delhi-Meerut/UP/54-A, दिनांक 08.10.2022 तथा परियोजना की स्वीकृति विषयक आदेश संख्या-1/2019/617/आठ-2-2019- 05 एन0सी0आर0/17, दिनांक 07.03.2019 एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में धनराशि स्वीकृति विषयक आदेश संख्या-I/185024/2022/03/2022, File No.-8-2099/69/2021-2 दिनांक 01.07.2022 तथा संख्या-I/198934/2022/04 /2022-File No-8-2099/69/2021-2 दिनांक 05 अगस्त, 2022 का संदर्भ ग्रहण करें। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-02 "लेखाशीर्षक-4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना-30-निवेश/ऋण" में प्राविधानित धनराशि रू0 1306.00 करोड़ में से स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि रू0 656 करोड़ के सापेक्ष रू0 350.00 करोड़ (रू0 तीन सौ पचास करोड़ मात्र) आहरित कर प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को अवमुक्त कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप समयान्तर्गत सम्पादित कराये जायं ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी एन0सी0आर0टी0सी0 की होगी। प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाएं।

(2) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 तथा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा समस्त कार्य परियोजना की डी.पी.आर., डी.पी.आर. परिशिष्ट, इसकी संशोधित योजना, जिसका अनुमोदन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया गया है की शर्तों के अनुरूप ही सुनिश्चित

322

कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) एन0सी0आर0टी0सी0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा मे दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उत्तर प्रदेश सरकार को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(10) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा परियोजना की मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं सभी सम्बन्धित हितधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) परियोजना हेतु अवशेष किश्त/धनराशि की मांग करते समय निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा बी0एम0-15 प्रपत्र पर मांग कार्ययोजना के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

(12) स्वीकृति धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के वाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(13) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा परियोजना स्वीकृति/धन अवमुक्त सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेशों की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-182-X-2022-2023 दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by नितिन रमेश गोकर्ण
Date: 19-10-2022 ...:52:30
Reason: Approved
प्रमुख सचिव

संख्या-1/ 227096 /2022/ 05 /2022-File No-8-2099/69/2021-2 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, वाह्य सहायतित परियोजना, ऊर्जा, परिवहन, नगर विकास, गृह, वित्त, औद्योगिक विकास, राजस्व, सिंचाई तथा नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0 प्रभाग, गाजियाबाद।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
9. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
12. आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ।
13. जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ/गाजियाबाद।
14. प्रबंध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0।
15. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
16. नगर आयुक्त, मेरठ/गाजियाबाद।
17. उपाध्यक्ष, मेरठ/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
18. लोडल अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
19. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
20. समूह महाप्रबंधक, (वित्त) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश की प्रति सभी सम्बन्धित को ई-मेल/फैक्स/डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।
21. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संलग्नक–13

I/272335/2023 File No.8-2099/69/2021- -2-

I/272335/2023/ 01 /2023-File No-8-2099/69/2021-2

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम,
नई दिल्ली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक- 9 फरवरी, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-NCRTC/Fin./Fund/Delhi-Meerut/UP/54-A, दिनांक 17.01.2023, परियोजना की स्वीकृति विषयक आदेश संख्या-1/2019/617/आठ-2-2019-05 एन0सी0आर0/17, दिनांक 07.03.2019 एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में धनराशि स्वीकृति विषयक आदेश संख्या-I/185024/2022/03/2022, File No.-8-2099/69/2021-2 दिनांक 01.07.2022, आदेश संख्या- I/198934/2022/04 /2022-File No-8-2099/69/2021-2 दिनांक 05.08.2022 तथा आदेश I/227096/2022/05 /2022-File No-8-2099/69/2021-2 दिनांक 19.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करें। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-02 "लेखाशीर्षक-4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना-30-निवेश/ऋण" में प्राविधानित धनराशि रू0 1306.00 करोड़ में से स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि रू0 306.00 करोड़ (रू0 तीन सौ छः करोड़ मात्र) आहरित कर प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को अवमुक्त कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों एव प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप समयान्तर्गत सम्पादित कराये जायं ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी एन0सी0आर0टी0सी0 की होगी। प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाएं।

(2) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 तथा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा समस्त कार्य परियोजना की डी.पी.आर., डी.पी.आर. परिशिष्ट, इसकी संशोधित योजना, जिसका अनुमोदन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया गया है की शर्तों के अनुरूप ही सुनिश्चित कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा

गजियान सैम्फिल (आई.ए.एस.)
GZIAN SAMPHEAL (I.A.S.)
आयुक्त
COMMISSIONER
एन.सी.आर.उ0प्र0/National Capital Region
उ0प्र0 सरकार/Govt of Uttar Pradesh
गाजियाबाद/Ghaziabad

आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरुप किया जायेगा।
(7) एन0सी0आर0टी0सी0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
(9) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरुप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उत्तर प्रदेश सरकार को निर्धारित प्रारुप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
(10) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा परियोजना की मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निर्धारित प्रारुप पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं सभी सम्बन्धित हितधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी।
(11) परियोजना हेतु अवशेष किश्त/धनराशि की मांग करते समय निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा बी0एम0-15 प्रपत्र पर मांग कार्ययोजना के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।
(12) स्वीकृति धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।
(13) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा परियोजना स्वीकृति/धन अवमुक्त सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेशों की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-498-X-2022-2023 दिनांक 06 फरवरी, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

Signed by नितिन रमेश गोकर्ण
Date: 07-02-2023 17:35:55
Reason: Approved
(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या- I/272335/2023/ 01 /2023-File No-8-2099/69/2021-2 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार.(लेखा परीक्षा) उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, वाह्य सहायतित परियोजना, ऊर्जा, परिवहन, नगर विकास, गृह, वित्त, औद्योगिक विकास, राजस्व, सिंचाई तथा नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0 प्रभाग, गाजियाबाद।

8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
9. निदेशक, वित्तीय एवं साख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
12. आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ।
13. जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ/गाजियाबाद।
14. प्रबंध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0।
15. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
16. नगर आयुक्त, मेरठ/गाजियाबाद।
17. उपाध्यक्ष, मेरठ/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
18. नोडल अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
19. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
20. समूह महाप्रबंधक, (वित्त) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश की प्रति सभी सम्बन्धित को ई-मेल/फैक्स/डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।
21. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शीतला प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या- 03 /2023/387404/2023-File No-8-2099/69/2021-2

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम,
नई दिल्ली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक- 14 सितम्बर, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-NCRTC/Fin./Fund/Delhi-Meerut/UP/54-A, दिनांक 23.08.2023, परियोजना की स्वीकृति विषयक आदेश संख्या-1/2019/617/आठ-2-2019-05 एन0सी0 आर0/17, दिनांक 07.03.2019 एवं अंतिम वित्तीय स्वीकृति विषयक आदेश संख्या-869/2023/2/2023, File No.-8-2099/69/2021-2 दिनांक 09.05.2023 संदर्भ ग्रहण करें। वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-02 ''लेखाशीर्षक-4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना-30-निवेश/ऋण'' में प्राविधानित धनराशि रू0 1306.00 करोड़ के सापेक्ष स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि रू0 956 करोड़ में से रू0 350.00 करोड़ (रू0 तीन सौ पचास करोड़ मात्र) आहरित कर प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को अवमुक्त कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप समयान्तर्गत सम्पादित कराये जायं ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी एन0सी0आर0टी0सी0 की होगी। प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाएं।

(2) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/ दस- 2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 तथा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा समस्त कार्य परियोजना की डी.पी.आर., डी.पी.आर. परिशिष्ट, इसकी संशोधित योजना, जिसका अनुमोदन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया गया है की शर्तों के अनुरूप ही सुनिश्चित कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत

I/387404/2023

शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) एन0सी0आर0टी0सी0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक उत्तर प्रदेश सरकार को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(10) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा परियोजना की मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं सभी सम्बन्धित हितधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) परियोजना हेतु अवशेष किश्त/धनराशि की मांग करते समय निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा बी0एम0-15 प्रपत्र पर मांग कार्ययोजना के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

(12) स्वीकृति धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(13) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा परियोजना स्वीकृति/धन अवमुक्त सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेशों की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-541-X-2023-2024 दिनांक 11 सितम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by नितिन रमेश गोकर्ण
Date: [illegible] 11:35:24
नितिन रमेश गोकर्ण
Reason: Approved
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 03 /2023/ 387404 /2023-File No-8-2099/69/2021-2 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, वाह्य सहायतित परियोजना, ऊर्जा, परिवहन, नगर विकास, गृह, वित्त, औद्योगिक विकास, राजस्व, सिंचाई तथा नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0 प्रभाग, गाजियाबाद।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
9. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

10.निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
11.मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
12.आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ।
13.जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ/गाजियाबाद।
14.प्रबंध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0।
15.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
16.नगर आयुक्त, मेरठ/गाजियाबाद।
17.उपाध्यक्ष, मेरठ/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
18.नोडल अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
19.लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
20.समूह महाप्रबंधक, (वित्त) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश की प्रति सभी सम्बन्धित को ई-मेल/फैक्स/डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।
21.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शीतला प्रसाद)
अनु सचिव।

संलग्नक—13 B

File No.8-2099/69/2021- -2-

414220/2023 549/551

505
30-10-2023

120
30/10/23

संख्या-04/2023/414220/2023-File No-8-2099/69/2021-2

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम,
नई दिल्ली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक-26 अक्टूबर, 2023

विषय- वितीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-NCRTC/Fin./Fund/Delhi-Meerut/UP/54-A, दिनांक 11.10.2023, परियोजना की स्वीकृति विषयक आदेश संख्या-1/2019/617/आठ-2-2019-05 एन0सी0आर0/17, दिनांक 07.03.2019 एवं अंतिम वित्तीय स्वीकृति विषयक आदेश संख्या-3/2023/387404/2023, File No.-8-2099/69/2021-2 दिनांक 14.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करें। वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-02 ''लेखाशीर्षक-4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना-30-निवेश/ऋण'' में प्राविधानित धनराशि रू0 1306.00 करोड़ के सापेक्ष स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि रू0 606 करोड़ में से रू0 350.00 करोड़ (रू0 तीन सौ पचास करोड़ मात्र) आहरित कर प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को अवमुक्त कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों, एवं विशिष्टियों के अनुरूप समयान्तर्गत सम्पादित कराये जायं ताकि उच्च गुणवता सुनिश्चित हो सके। कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी एन0सी0आर0टी0सी0 की होगी। प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाएं।

(2) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/ दस- 2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 तथा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वितीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा समस्त कार्य परियोजना की डी.पी.आर., डी.पी.आर. परिशिष्ट, इसकी संशोधित योजना, जिसका अनुमोदन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया गया है की शर्तों के अनुरूप ही सुनिश्चित कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

AI, Comm
27/10
Comm
27/10/23
AXE
30.10.23
M/s Rachna

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) एन0सी0आर0टी0सी0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक उत्तर प्रदेश सरकार को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(10) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा परियोजना की मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं सभी सम्बन्धित हितधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) परियोजना हेतु अवशेष किश्त/धनराशि की मांग करते समय निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा बी0एम0-15 प्रपत्र पर मांग कार्ययोजना के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

(12) स्वीकृति धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(13) एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा परियोजना स्वीकृति/धन अवमुक्त सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेशों की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के ''लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना-30-निवेश/ऋण'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8- 779 -X-2023-2024 दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by नितिन रमेश गोकर्ण
Date: 20-10-2023 22:13:39
Reason: Approved

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-04 /2023/ 414220 /2023-File No-8-2099/69/2021-2 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, वाह्य सहायतित परियोजना, ऊर्जा, परिवहन, नगर विकास, गृह, वित्त, औद्योगिक विकास, राजस्व, सिंचाई तथा नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0 प्रभाग, गाजियाबाद।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।

9. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
12. आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ।
13. जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ/गाजियाबाद।
14. प्रबंध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0।
15. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
16. नगर आयुक्त, मेरठ/गाजियाबाद।
17. उपाध्यक्ष, मेरठ/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
18. नोडल अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
19. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
20. समूह महाप्रबंधक, (वित्त) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश की प्रति सभी सम्बन्धित को ई-मेल/फैक्स/डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।
21. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शीतला प्रसाद)
अनुलग्नक।

अनुलग्नक।

60N.C.R./3

संलग्नक—14

का० (टे
Email add

कार्यालय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0

द्वितीय तल, नगर निगम भवन, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद (उ0प्र0)

पत्रांक: 245 /आर.आर.टी.एस. /एन0सी0आर0/2021–22 दिनांक: 13-07-2021

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
लाल बहादुर शास्त्री भवन,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः—आर0आर0टी0एस0 परियोजना को मेरठ से मुजफ्फरनगर तक विस्तार किए जाने हेतु फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.) में दिल्ली—मेरठ (सराय काले खाँ, नई दिल्ली से मोदीपुरम, मेरठ) को मुजफ्फरनगर तक विस्तार हेतु फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार किये जाने की सम्बन्ध में इस कार्यालय से दूरभाष पर हुई वार्ता का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अवगत कराना है कि जिला मुजफ्फरनगर एवं शामली क्रमशः दिनांक 24.11.2015 एवं 16.04.2018 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए हैं। दिल्ली से मेरठ तक आर. आर.टी.एस. की प्रस्तावना तैयार करते समय मुजफ्फरनगर एन0सी0आर0 में सम्मिलित नहीं था।

उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 शासन द्वारा मुजफ्फरनगर एवं शामली (विस्तारित क्षेत्र) की उपक्षेत्रीय योजना—2021 (Sub Regional Plan-2021) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली को शासन के पत्र संख्या—80एनसीआर/आठ–2–20–11एनसीआर/16 दिनांक 03 अक्टूबर, 2020 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। उपक्षेत्रीय योजना—2021 के ट्रान्सपोर्ट अध्याय में पृष्ठ सं0—117 (छायाप्रति संलग्न) पर रेल प्रस्तावों (**Rail Proposals**) के **Second Phase** के अन्तर्गत मेरठ से मुजफ्फरनगर को आर.आर.टी. एस. से जोड़े जाने की प्रस्तावना उल्लेखित की गयी है।

रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.) परियोजना हेतु विभिन्न रूट्स की फिजीबिलिटी स्टडी पूर्व में भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के स्तर पर प्रारम्भ की गयी थी।

अतः आर.आर.टी.एस. के मेरठ से मुजफ्फरनगर विस्तार हेतु फिजीबिलिटी स्टडी कराये जाने के लिये सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली से अनुरोध किया जाना उचित होगा।

भवदीय,

13-07-2021

(प्रभात कुमार सारंगी)
आयुक्त

19/7/2021

63

15

संलग्नक—15

प्राथमिकता

संख्या-60NCR /आठ-2-2021

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड,
इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक- 12 अगस्त, 2021

विषय- दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर0आर0टी0एस0 कॉरीडोर) का विस्तार जनपद मुजफ्फर नगर तक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री संजीव कुमार बलियान, मा0 राज्यमंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.01.2020 तथा 30.07.2020 पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार के पत्र संख्या-81 एनसीआर/आठ-2-2020-01 सीएम/2020, दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर0आर0टी0एस0 कॉरीडोर) का विस्तार जनपद मुजफ्फर नगर तक किये जाने का प्रस्ताव आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली को संदर्भित किया गया था। भारत सरकार के पत्र दिनांक 24.02.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर का विस्तार मुजफ्फनर नगर तक किये जाने हेतु यातायात के अन्य विकल्पों के आगामी 30 वर्षों का प्रतिस्पर्धात्मक विस्तृत अध्ययन मेट्रो नीति 2017 के तहत कराया जाना होगा।

2- अतएव इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि कृपया दिल्ली-मेरठ आर0आर0टी0एस0 कॉरीडोर का विस्तार मुजफ्फनर नगर तक किये जाने हेतु यातायात के अन्य विकल्पों के आगामी 30 वर्षों का प्रतिस्पर्धात्मक विस्तृत अध्ययन अरबन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एण्ड कैपिसिटी बिल्डिंग स्कीम की गाइडलाइन्स एवं अन्य सुसंगत नियमों के अधीन कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। उक्त प्रस्तावित रूट पर वर्तमान में यातायात के उपलब्ध साधनों तथा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित/विचाराधीन यातायात के अन्य विकल्पों को भी अध्ययन के समय संज्ञान में लिया जाना उचित होगा ।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
Signed by दीपक कुमार
Date: 10-08-2021 18:29:10
Reason: Approved
(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

16

संलग्नक—16

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
NATIONAL CAPITAL RE
प्रथम तल, कोर–4 बी / 1st Floo
भारत पर्यावास केन्द्र / India Habitat Centre,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 / Lodhi Road, New Delhi-110003
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय / Ministry of Housing and Urban Affairs
दूरभाष / Phone: 011-24642284, 24642287 फैक्स / Fax: 011-24642163

आज़ादी का अमृत महोत्सव

BY SPEED POST/EMAIL

Y-13/3/2021-NCRPB (9102020)

Dated: 08-10-2021

To,
Shri Deepak Kumar,
Principal Secretary,
Housing & Urban Planning Department,
Govt. of Uttar Pradesh, 3rd Floor, Bapu Bhawan,
Uttar Pradesh Secretarial,
Lucknow-226001, Uttar Pradesh.

Sub.: Extension of Delhi-Meerut Regional Rapid Transit System (RRTS) Corridor up to Muzaffarnagar - reg.

Sir,

Please refer your letter No.60/NCR/8-2 2021 dated 12-08-2021 on the subject of "Extension of Delhi-Meerut Regional Rapid Transit System Corridor up to Muzaffarnagar."

2. In this respect, it may be noted that Muzaffarnagar is a metro town and NCRPB is already considering a policy in its DRP 2041, recommending that necessary steps be taken to strengthen connectivity amongst CMAs, Metro Cities and Regional Centres through Air, Rail, RRTS and NH/ Expressways. Further, the DRP 2041, is also proposing that the Metros and RRTS (existing /proposed) should connect with the proposed ORCs to make reticular grids, and Muzaffarnagar happens to be part of proposed Orbital Rail Corridor III. Needless to mention, the necessary feasibility studies shall be required for the same.

3. It is also observed that MoHUA, in line with its response vide letter dated 12.02.2021, has again specifically conveyed to GoUP vide its letter dated 16.03.2021 that:
"Since the urban transport is a State subject, such detailed traffic study is to be carried out by the concerned State Governments. The Ministry extends financial support up to 80% for carrying out such kind of detailed traffic study to assess possible alternatives. Govt. of Uttar Pradesh may plan for detailed traffic survey along with alternative analysis on Meerut to Muzaffarnagar corridor for further action. Based on the outcome of detailed traffic study report a Detailed Project Report (DPR) should be prepared for the most appropriate transport system, by the concerned State Government for seeking approval of Central Government".

4. Hence, NCRPB also suggests that the Govt. of UP may get the necessary study done as advised by MoHUA and may take help of the financial support extended by MoHUA under its Urban Transport Planning Scheme (UTP Scheme), for carrying out the required traffic study, to assess possible alternatives. Govt. of UP could also approach to NCRTC, for the purpose, as it is specifically concerned with implementation of RRTS projects in NCR.

This issues with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully,

Deputy Director (Tech)

12836/USMS/21
JS(SKS)
20.10.2021
(विजय कुमार विश्वकर्मा)
अपर निजी सचिव
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

66

17

0587/2022 | श्री/सं | नियोजन
18/4/2022

संलग्नक—17

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम,
गतिशक्ति भवन, नई दिल्ली।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक- 18 अप्रैल, 2022

विषय- दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर0आर0टी0एस0 कॉरीडोर) का विस्तार जनपद मुजफ्फर नगर तक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2018/Stg.Plg/VIP/2 दिनांक 01.10.2020 का संदर्भ ग्रहण करें। दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर0आर0टी0एस0 कॉरीडोर) का विस्तार जनपद मुजफ्फर नगर तक किये जाने के सम्बन्ध में यातायात के अन्य विकल्पों सहित प्रतिस्पर्धात्मक विस्तृत अध्ययन विस्तृत अध्ययन मेट्रो नीति 2017, अरबन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एण्ड कैपिसिटी बिल्डिंग स्कीम की गाइडलाइन्स एवं अन्य सुसंगत नियमों के अधीन कराया जाता है। इस सम्बन्ध में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-K-1411/22/2018-MRTS दिनांक 24.02.2021 (छायाप्रति संलग्न), पत्र संख्या-K-14011/6/2021-UT-IV दिनांक 30.06.2021 (छायाप्रति संलग्न) तथा एन0सी0आर0पी0बी0 के पत्र संख्या-Y-13/3/2021-NCRPB(9102020), दिनांक 08.10.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त निर्देश/सुझाव प्राप्त हुए हैं।

2- इस सम्बन्ध में भारत सरकार तथा एन0सी0आर0पी0बी0 के उपर्युक्त संदर्भित पत्रों की छायाप्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर0आर0टी0एस0 कॉरीडोर) का विस्तार जनपद मुजफ्फर नगर तक किये जाने हेतु भारत सरकार तथा एन0सी0आर0पी0बी0 के सुझाव/निर्देश के अनुसार यातायात के अन्य विकल्पों के आगामी 30 वर्षों का प्रतिस्पर्धात्मक विस्तृत अध्ययन एन0सी0आर0टी0सी0 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार अरबन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एण्ड कैपिसिटी बिल्डिंग स्कीम की गाइडलाइन्स एवं अन्य सुसंगत नियमों के अधीन कराने का कष्ट करें। अध्ययन के समय इस तथ्य का ध्यान रखा जाना श्रेयस्कर होगा कि प्रस्तावित रूट पर वर्तमान में यातायात के कौन-कौन साधन उपलब्ध हैं तथा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य यातायात विकल्प प्रस्तावित/विचाराधीन तो नहीं है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(संजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

upgovtdan.nic.gov.in / jnpoddan office.go

संलग्नक—18

G20

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
National Capital Region Transport Corporation Limited
गति से प्रगति

दिनांक: 21.08.2023

NCRTC/GoUP/11-D

सेवा में,

प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार, बापू भवन,
लखनऊ-226001

विषय: दिल्ली-मेरठ-गाजियाबाद आर.आर.टी.एस कॉरिडोर की दिनांक 31.07.2023 तक की वित्तीय और भौतिक प्रगति।

महोदय,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ, आर.आर.टी.एस कॉरिडोर की दिनांक 31.07.2023 तक की वित्तीय और भौतिक रिपोर्ट सूचनार्थ संलग्न है।

धन्यवाद।

भवदीय,

(जयेश कुमार)
मुख्य-अभियंता/सामान्य

प्रतिलिपि:
ई-मेल

1. ctcpup@gmail.com
2. sohousing1@gmail.com
3. awasanubhag2@gmail.com

Registered & Corporate Office:
गतिशक्ति भवन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
GatiShakti Bhawan, INA, New Delhi-110023
CIN: U60200DL2013GOI256716
Phone: +91-11-24566700
E-mail: contactus@ncrtc.in
ncrtc.in

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम

Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS Project progress: July 2023

अनुलग्नक

Title of Project	Expected date of completion	Sanctioned Cost (in Rs. Crore)	Expected Cost (in Rs. Crore)	Physical progress (%)	Financial progress (%)	Project progress (as on 31.07.2023)	
						Description	Present Status of work
Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS Corridor	Jun-25	30,274	30,274	61.8% (as on 31.07.2023)	54.07% (as on 31.07.2023)	1. Civil Packages	• All construction and system installation activities in the 17 Km long Priority Section (Sahibabad to Duhai depot) have been completed and ready for public commissioning. • CMRS sanction for opening of Priority Section for public carriage of passengers has been received on 26.06.2023. • 7 Tunnel Boring Machines (सुदर्शन) were deployed, out of which, tunnelling work with 6 TBMs have been completed and tunnelling work with 1 TBM is under progress in Delhi underground section. Tunnelling work is completed in Meerut underground section. • Viaduct erection in Stage-2 section is complete. Civil construction activities including architectural finishing works in stations and track installation works are progressing as per schedule. • In balance section, construction activities and system installation works are progressing as per schedule.
						2. System wide packages	• Ten trainsets have been received. Trainsets for priority section are ready. Intexrated testing and commissioning of S&T and Rolling Stock systems are in progress in depot for the balance trainsets. • Installation, testing and commissioning of Signaling & Telecom, Platform Screen Doors (PSD) and AFC System completed in priority section. Service trails are done by DB-RRTS. • Detailed Design and installation of Signaling, Telecom, LTE & PSD of Stage-2 is in progress. • Installation, Testing and Commissioning of Electrical System, Air conditioning & Ventilation System, Fire Fighting & Fire Alarm System including all elevators, escalators serving from Concourse to Platform and in Entries/ Exits (three in Sahibabad, one each in Ghaziabad & Guldhar and two in Duhai) have been completed in Priority Section. • Detailed Design of E&M System, Lifts & Escalators of Stage-2 have been completed, and installation works are in progress. • Precast slabs for 98 Track-km length have been produced. Track installation work completed for main line and depot in priority

Title of Project	Expected date of completion	Sanctioned Cost (in Rs. Crore)	Expected Cost (in Rs. Crore)	Physical progress (%)	Financial progress (%)	Project progress (as on 31.07.2023)	
						Description	Present Status of work
							section. Total 67 Track-Km track installation completed in main line • Energization and commissioning of entire Priority Section OHE comprising of main line OHE and Duhai depot OHE have been completed. • Ghaziabad and Murad Nagar Receiving Substation (RSS) along with 220kV EHV cable system have been commissioned. Foundation works for RSS at Sarai Kale Khan & Shatabdi Nagar is in progress. • Energization of 33kV HT cabling on the Mainline and Duhai Depot is completed. Energization of all Auxiliary Sub-Stations (ASS) of Priority section is completed viz. Sahibabad, Ghaziabad, Guldhar & Duhai and Duhai Depot ASS. • In Section from Duhai to Meerut South (stage-2), Power Supply and OHE works are in progress.
						3. Rate fixation of government land	Sanction order for rate of transfer of govt land required for the project issued on 17.12.2021 as per which govt. land required for the project will be handed over on token lease of Rs.1/yr. for 99 years. Lease agreements have been submitted to concerned departments for further necessary action and have been successfully executed with GDA, MDA & UPPTCL. Meeting in this regard was held by PS/Housing on 14.03.2023 & 29.03.2023, wherein concerned govt. departments have been directed to expedite.
						4.Transit oriented Development & Value Capture Financing	**A. Transit Oriented Development & Additional Purchasable FAR:** GoUP, Development Authorities of Ghaziabad and Meerut (GDA, MDA) have revised their draft Masterplans (2031) indicating the TOD Zones (Influence Zones and Special Development Areas) of the RRTS project. Certain errors / omissions have been noticed in the draft Master Plans (with TOD Zones). Since these issues have a direct implication on some of the parcels of NCRTC and other areas in the Influence Zones of some stations, NCRTC has formally submitted its objections / observations as a part of the Public Consultation process. The matter was

Title of Project	Expected date of completion	Sanctioned Cost (in Rs. Crore)	Expected Cost (in Rs. Crore)	Physical progress (%)	Financial progress (%)	Project progress (as on 31.07.2023)	
						Description	Present Status of work
						Sustainability of the RRTS	Commissioner Meerut vide letter dated 17.01.2023. Vide letter dated 30.01.2023 Office of Commissioner of Meerut, requested DMs of Ghaziabad and Meerut to carry out the necessary action in this regard. NCRTC vide its letter dated 20.02.2023 requested the DMs of Ghaziabad and Meerut to provide a suitable time so that the proposal could be explained in detail. Reminder letters was issued on 27.03.2023. A meeting was held with DM Meerut and MDA on 31.03.2023 in which MDA was asked to respond to the request of NCRTC. MDA has submitted its response to Commissioner Meerut and has shown its inability to hand over the land. The land can only be given to NCRTC in lieu of the cost of land i.e., Rs. 1088 Cr. as demanded by MDA in their response. Commissioner Meerut has communicated the same to NCRTC vide letter dt. 27.04.2023 In meeting dt. 16.05.2023 with DM Ghaziabad and UP Awas Vikas Parishad, UPAVP stated that allocation on permanent basis of the land admeasuring 26.3 acres in Vasundhara would not be feasible. Regarding the UPSRTC land parcel at Sahibabad, it was stated by UPSRTC that bid process for the development of the said land and surrounding land (on PPP basis) was ongoing, hence the said land can not be allocated to NCRTC. DM Ghaziabad suggested that NCRTC may participate in the aforementioned bids. In the HPC meeting dated 12.07.2023, it was advised that since allocation of these land parcels do not feature in the project DPR, further action is not justified and, NCRTC explore alternate revenue possibilities for financial sustainability.
						7. Acquisition of Land for Modipuram Depot	Sale deed of 21.33 ha land for Modipuram depot has been executed as per the revised rates finalized by the Rate Fixation Committee under direct purchase policy of U.P.G.O dated 19.03.2015. Notification under Section-4 under RFCTLARR Act 2013 has been issued for balance

Title of Project	Expected date of completion	Sanctioned Cost (in Rs. Crore)	Expected Cost (in Rs. Crore)	Physical progress (%)	Financial progress (%)	Project progress (as on 31.07.2023)	
						Description	Present Status of work
							29.4175 Ha. on 02.02.2023. Notification under section 11 issued on 28.04.2023.
						8. Acquisition of Private land under RFCTLARR Act 2013 for entry/exit of stations falling in Ghaziabad and Meerut district	**Ghaziabad district:** Section 23 published on 05.07.2023 for 1.56 ha private land required for construction of entry/exit of Muradnagar, Modinagar South and Modinagar North stations. Award of land under Section 38 is awaited. **Meerut district:** Section 23 has been issued by DM/ Meerut, publication of which is awaited in gazette of Uttar Pradesh. Award of land under section 38 is awaited.

****

6. मद संख्या–06

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उ0प्र0 प्रभाग से सटे दिल्ली एवं हरियाणा प्रभाग के मध्य इन्टर स्टेट रोड़ कनेक्टीविटी के सम्बन्ध में।

6.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उ0प्र0 प्रभाग में आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देने तथा प्रभाग के सन्तुलित एवं सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के आलोक में उ0प्र0 प्रभाग से सटे दिल्ली राज्य एवं हरियाणा प्रभाग के मध्य मार्ग व्यवस्था के माध्यम से कनैक्टीविटी को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

6.2 उ0प्र0 प्रभाग की अनुमोदित उपक्षेत्रीय योजना–2021 के पैरा–5.9.2 **(संलग्नक–19)** में क्षेत्रीय मार्ग परिवहन नेटवर्क और यातायात में सुधार करने के लिये प्रस्तावित सुझावों के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–IV में यह सुझाव दिया गया है कि "अन्य राज्यों के साथ अर्न्तसम्बद्धता को उत्तर प्रदेश राज्य सीमा पर विभिन्न अभिमुख स्थलों पर मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के द्वारा बढ़ाया जायेगा, पुलों को भी उसी अनुसार चौड़ा किया जायेगा।"

6.3 एन.सी.आर. योजना बोर्ड, नई दिल्ली की दिनांक 15.06.2016 को सम्पन्न 36वीं बोर्ड बैठक **(संलग्नक–20)** में विभिन्न अर्न्तराज्जीय कनैक्टिविटी सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार–विमर्श किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि समस्त अर्न्तराज्जीय कनैक्टिविटी सम्बन्धी प्रस्तावों पर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर समस्त सहभागी राज्यों के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर समस्त मुद्दों पर विचार–विमर्श कर निस्तारित कर लिया जाये।

6.4 मद संख्या–6 के उपबिन्दु संख्या–i से vii पर वर्णित परियोजनाओं के सम्बन्ध में उ0प्र0 के विभिन्न विभागों (यथा–लोक निर्माण विभाग एवं नौएडा) से कार्यवाही अपेक्षित है, जिसको लेकर एन0सी0आर0 योजना बोर्ड के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 22.11.2022 को Committee of Transport Secretaries/Commissioners (CoTS) की बैठक सम्पन्न हुई, **(कार्यवृत्त संलग्नक–21)** जिसमें प्रश्नगत महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किये जाने हेतु उ0प्र0 सरकार के विभिन्न विभागों से यथावश्यक औपचारिकताएं/कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न अभिकरणों द्वारा कनैक्टीविटी सम्बन्धी प्रस्तावित परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति एवं सुझाव निम्नानुसार है:–

i) **UER-I, Delhi to Khekra City till NH-57 in U.P.**

उपरोक्त कनैक्टिविटी परियोजनायें उ.प्र. उपक्षेत्रीय योजना–2021 में प्रस्तावित की गयी हैं। UER-I, Delhi to Tronica City till NH-57 in U.P के सम्बन्ध में सदस्य सचिव, एन0सी0आर0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 22.11.2022 को सम्पन्न हुई Committee of Transport Secretaris/Commissioner (CoTS) की बैठक में अवगत कराया गया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित भूमि लैण्ड पूलिंग पॉलिसी के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन है। दिनांक 19.04.2023 को सम्पन्न Committee of Transport Secretaris/Commissioner (CoTS) की बैठक में जीएनसीटीडी और उ0प्र0 सरकार के मध्य समन्व्य स्थापित कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुयी राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी के मद संख्या–6 (i) **UER-I, Delhi to Khekra City till NH-57 in U.P.** में लिये गये निर्णय के सापेक्ष कार्यवाही हेतु लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 को कार्यालय द्वारा पत्र संख्या–219 दिनांक 29.08.2023 **(संलग्नक–22)** प्रेषित किया गया।

ii) **UER-II, Delhi to Tronica City till NH-57 in U.P.**

UER-II, Delhi to Tronica City till NH-57 in U.P के सम्बन्ध में सदस्य सचिव, एन0सी0आर0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 22.11.2022 को सम्पन्न हुई Committee of Transport Secretaries/Commissioner (CoTS) की बैठक में एन0एच0ए0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि इस परियोजना हेतु 484 वृक्षों को काटने की अनुमति मुख्य सचिव, जी.एन.सी.टी., नई दिल्ली के स्तर पर विचारधीन है।

iii) **Construction of second bridge on Yamuna River near Kalindi Kunj-NOIDA (120 m downstream)**

नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा second bridge on Yamuna River near Kalindi Kunj-NOIDA (120 m downstream) का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

iv) **Elevated road along Shahdara drain-alignment form Chilla Regulator (near Mayur Vihar), Sector-14A to MP-3 road (Mahamaya Flyover in NOIDA.**

इस सम्बन्ध में नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्रांक नौएडा/ व0प्र0 (व0स0–2)/ 2023/1690 दिनांक 21.06.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि नोएडा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश ब्रिज कार्पोरेशन लि0 के मध्य दिनांक 18.01.2019 को M.O.U गठित हुए M.O.U की शर्तों के अनुसार चिल्ला रेगुलेटर, दिल्ली (निकट मयूर विहार), सैक्टर–14ए से एम.पी.–3 रोड (महामाया फ्लाई ओवर) नौएडा को जोड़ने हेतु शाहदरा ड्रेन के किनारे एलीवेटेड रोड की परियोजना प्रस्तावित है। उक्त परियोजना हेतु धनराशि रु. 60531.62 लाख के सापेक्ष M.O.U की शर्तों के अनुसार उक्त परियोजना के निर्माण हेतु 50 प्रतिशत धनराशि नौएडा प्राधिकरण एवं 50 प्रतिशत धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था। उत्तर प्रदेश ब्रिज कार्पोरेशन लि0 द्वारा प्रेषित किये गये Revised Estimate का आई.आई.टी. से परीक्षण उपरान्त धनराशि रु. 78731.82 लाख लागत आयी है। उक्त परियोजना के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 50 प्रतिशत (39365.91 लाख) धनराशि का प्राविधान भारत सरकार की Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24 के भाग–1 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कराये जाने का निर्णय लिया गया है जिसकी स्वीकृति उत्तर प्रदेश राज्य सरकार केबिनेट मीटिंग में दी गयी है। इस परियोजना का ओवरऑल सुपरविजन नौएडा द्वारा किया जायेगा तथा परियोजना का कार्य उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा निविदा आमंत्रित करते हुये निष्पादित किया जायेगा।

v) **Construction of bridge on Yamuna River near sector-149A & sector-150 Noida Connecting Tilori Village, Faridabad in Haryana Sub-region.**

सदस्य सचिव, एन0सी0आर0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 19.09.2022 को सम्पन्न हुई Committee of Transport Secretaris/Commissioner (CoTS) की बैठक में हरियाणा द्वारा अवगत कराया गया कि सेक्टर–167 एवं एन.एच.–2 को जोड़ने हेतु पुल का निर्माण प्रस्तावित है एवं लगभग 15 कि0मी0 की दूरी पर डाउन स्ट्रीम में यमुना नदी पर एक पुल निर्माणाधीन है, जिससे सेक्टर 149–ए एवं 150 की कनैक्टिीविटी सम्बन्धी अपेक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। प्रश्नगत परियोजना निर्माण से संबंधित वर्तमान अपेक्षाएं उपरोक्त पुलों/मार्गों द्वारा पूरी हो रही है। अतः इस पुल के निर्माण कार्य को आगामी चरण हेतु रखा जा सकता है।

vi) **Construction of bridge on Yamuna river near sector-168 & sector-167A Noida Connecting Lalpur Village, Faridabad in Haryana Sub-region.**

सैक्टर–168 एवं 167ए के सम्बन्ध में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्रांक नौएडा/अ.मु.का.अ.(एम)/व.प्र.–व.सं.–9/2023/128 दिनांक 17.01.2023 **(संलग्नक–23)** के द्वारा सहमति प्रेषित की गयी थी, जिसे इस कार्यालय द्वारा एन0सी0आर0 योजना बोर्ड को ई–मेल के माध्यम से दिनांक 20.04.2023 को प्रेषित किया गया। उपरोक्त के क्रम में लोक निर्माण विभाग, हरियाणा के पत्रांक 100696 दिनांक 26.06.2023, जो चीफ कोऑर्डिनेटर प्लानर, एन.सी.आर. सेल, हरियाणा को सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, के द्वारा अवगत कराया गया है कि हरियाणा सरकार ने भी Construction of bridge on Yamuna river near sector-168 & sector-167A Noida Connecting Lalpur Village, Faridabad in Haryana Sub-region परियोजना पर अनुमति प्रदान कर दी गयी है। उक्त परियोजना से सम्बन्धित डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु कन्सलटैन्ट की नियुक्ति का कार्य हरियाणा सरकार द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है।

vii.) **Bridge over Yamuna river between Chhaprauli (Baghpat) and Hathwala Village, Panipat in Haryana Sub-region.**

इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बागपत के पत्रांक 1702/23ए/लो0नि0 वि0–बागपत/2023–24 दिनांक 29.08.2023 **(संलग्नक–24)** के द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश दिनांक 23.03.2023 के द्वारा भूमि अध्याप्ति हेतु रु0130.47 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उ0प्र0 की सीमा के अन्तर्गत पडने वाले मार्ग 764.50 मीटर लम्बाई में लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 द्वारा केवल भूमि अधिग्रहण कया जाना है। समस्त निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, हरियाणा द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। भूमि अधिग्रहण हेतु कुल 31 कास्तकार आच्छादित हैं। जिलाधिकारी, बागपत द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु दरों का अनुमोदन किया जा चुका है। रजिस्ट्री की कार्यवाही की जा रही है। लोक निर्माण विभाग, हरियाणा के अधीन कार्य स्थल पर कार्य प्रगति में है।

अतः उ0प्र0 प्रभाग से सटे दिल्ली एवं हरियाणा प्रभाग के मध्य मार्ग व्यवस्था की अद्यतन स्थिति कमेटी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

S.No	Name of Road/ Link	Approx. Distance in km	Action	Description
	Bridge			
12	Muradnagar-Rawali- Surana-Baghpat Road	40	1.5/ 2 lane to 4 laning	It is a connecting link of NH 58 & SH 57. NH 58 is proposed for 6 lane & SH 57 is under construction for 4 lane. The proposed road will help the smooth flow of Regional traffic.
13	Banthla Dhikauli Baghpat Road	30	1/ 2 lane to 4 laning	The proposed road will ease to the Regional traffic on SH 57 coming from Ghaziabad
14	Dadri- Pilkhuwa Road	30	1/ 2 lane to 4 laning	It is a connecting link of NH 24 & NH 91. Both are 4 lane. The proposed road will help the smooth flow of regional traffic.
15	Sakauti (NH 58)- Phulauda- Mawana-Parikshitgarh-Kithaur- Hapur	-	2 lane to 4 lane	It is a connecting link of NH 58, NH 235/ 24 & NH 119. The proposed road will help the smooth flow of Regional traffic.
16	Garhmukteshwar-Tigri- Gajraula	-	2 lane to 4 lane New bridge on River Ganga	It is an important road in the light of tourist traffic during Kartik Mela.
17	UP Border- to Sonepat- Gohana Road	-	2 lane to 4 lane	Road is already 2 lane in Haryana is being widened to 4 lane from Sonepat to Gohana upto UP border. The alignment of road in UP portion will also be widened.
1	Khekra (on SH 57)- up to Yamuna	-	SH 4/6 laning Bridge over Yamuna	The proposed roads / bridges will open this area for economic development.
1	Hapur By-pass (NH 24 to NH 334)	-	4/6 laning	The proposed By-pass intersecting NH 58 and NH 334 will help the smooth flow of Regional traffic.
1	ROB on Mohan nagar Loni Road	-	4 lane ROB	-
2	ROB on Surana-Baghpat Road	-	4 lane ROB	-
3	ROB on Modi nagar Hapur Road	-	4 lane ROB	-
4	ROB in Pilkhuwa on Bhojpur Road	-	4 lane ROB	-
5	RUB on Kadrabad Rori Road	-	2 lane RUB for light vehicle	-

The proposals mentioned above are shown on Map 5-11 and Map 5-12.

Rural Linkages

It is proposed to develop and maintain all lower hierarchy roads connecting all Sub-regional centres, Service centres, Central villages, Basic villages and other villages with a population of more than 249 persons (Census 2001) with all weather motorable metalled roads in a phased manner.

5.9.2 Proposed Suggestions for improving regional road transportation network & traffic

i. Road transportation planning should necessarily entail Master Plan level planning and detailing for future expansion of the towns. In this regard instead of merely making

77

bypasses, ring roads in outer concentric circles should be proposed to ease the congestion created by mixing of urban local and regional traffic.

ii. Special road engineering needs to be undertaken on those roads where there are frequent traffic jams.

iii. Land acquisition for new roads should be considered after exploring the lower order existing rural network of the region which are of good standard under PMGSY and are presently not running to full capacity.

iv. Interconnectivity with other States would be enhanced by widening and strengthening the roads at different converging points on the UP State border. The bridges would also be widened accordingly.

v. The standards for roads with pavements, drainage, service ducts, service roads, under passes etc would be enforced so as to ensure right of way for all types of users.

vi. Transit Oriented Development (TOD) would be encouraged to promote public life and social interactions through safe and attractive public spaces. This would be done through high density closest to new transport corridors so as to encourage compact vertical development.

vii. In addition to the physical infrastructure being created, it is important that the utilisation of this infrastructure is optimized through eco-friendly compliant norms for vehicles by eliminating outdated tempos in both towns and cities. This could be done by ensuring mobility for all in rural and urban areas akin to the successful effort of Alwar Vahini in Alwar district. This was done by introducing green public transport through private initiative and government facilitation. Details of Alwar Vahini project are given in Annexure 5-7.

viii. In order to improve healthy last mile connectivity, it is important that right to walk of pedestrian through proper design of footpaths is mandated in the Master Plans. These designs should be pedestrian and disabled friendly. In addition cycling pathways should be demarcated for public bicycling sharing system (Ref. ncrpb.nic.in; Right to Walk and Bicycle Friendly Cities: Using Public Bicycle Sharing System to Facilitate a Shift).

ix. In order to improve quality of journey on Highways the experience of the traveller should be memorable. In order to do so large scale transport facility centres at the important urban centres which include motels, eating joints, medical facilities, repair and maintenance centre etc and small scale facility center/ booths at every urban centre or at specific distance needs to be developed.

x. All Expressways, National Highways and State Highways should have police patrolling to enhance their security. Police Modernisation scheme would be utilised to enhance the safety, security and response time in the Sub-region.

xi. UP tops the States of India in road accidents fatalities. This is on account of either unsafe/ unfit vehicles plying on the roads or poor driving skills. In order to reduce fatal accidents is is proposed that the Inspection and Certification (I&C) regimen under the regulations finalized by Automotive Research Association of India (ARAI), Pune are used for giving fitness certificates based on testing which is outsourced. This will create employment through establishment of workshops. In addition, it is also proposed that the Driver Training and Driving Testing Centres (DTTC) are setup which will have spin-offs in providing trained drivers through imparting driving skills and reducing road accidents.

संलग्नक–20

MINUTES OF THE
36TH MEETING OF THE
NCR PLANNING BOARD

**Meeting held on 15.06.2016 at Hall no. 1,
Ground Floor, Vigyan Bhawan,
Maulana Azad Road, New Delhi**

**National Capital Region Planning Board
Ministry of Urban Development (Govt. of India)
New Delhi**

Core IV-B, First Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi
Phone: - 24603138, Fax: - 24642163

12. AGENDA ITEM NO. 12: EXTENSION OF THE GENERAL POOL ACCOMMODATION FACILITY TO ALL THE STAFF/OFFICERS OF THE BOARD

It was decided that the matter may be referred to the Ministry of Urban Development separately.

(Action: NCRPB)

13. AGENDA ITEM NO. 13: REVISION OF DELEGATION OF POWERS RELATING TO MEMBER SECRETARY

Board approved the Agenda relating to revision of delegation of Powers to the Member Secretary, NCRPB as Chairman of Project Sanctioning & Monitoring Group-II and for the appointment of part-time Advisors/Experts/Consultants.

(Action: NCRPB)

14. SUPPLEMENTARY AGENDA 1: ISSUES RELATED TO IMPLEMENTATION OF INTER-STATE CONNECTIVITY ROADS/ LINKAGES IN NCR

Member Secretary, NCRPB informed that Govt. of Haryana has requested for facilitating certain road links which will improve inter-state connectivity between Haryana, U.P. and Delhi.

Additional Chief Secretary, T&CPD, Govt. of Haryana made a presentation regarding the inter-state connectivity issues.

After detailed discussions and deliberations, the Board decided that the matter will be examined holistically, in a separate meeting under the chairmanship of Secretary, MoUD to resolve the issues of inter-state connectivity between Haryana, U.P. and Delhi.

(Action: MoUD, NCRPB and NCR participating States)

15. SUPPLEMENTARY AGENDA 2: INCREASE IN LOAN REPAYMENT PERIOD IN RESPECT OF METRO RAIL PROJECTS TO BE FINANCED BY NCR PLANNING BOARD

After detailed discussions and deliberations, Board approved the proposal for increase in the loan repayment period from 10 years to 20 years, including moratorium period of 5 years for the repayment of principal, for all existing and new metro rail projects to be funded by NCRPB as a policy.

(Action: NCRPB)

82

संलग्नक–21

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD
प्रथम तल, कोर-4 बी / 1st Floor, Core-4 B,
भारत पर्यावास केन्द्र / India Habitat Centre,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 / Lodhi Road, New Delhi-110003
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय / Ministry of Housing and Urban Affairs
दूरभाष / Phone: 011-24642284, 24642287 फैक्स / Fax: 011-24642163

File No. Y-13/14/2020-E 9100134

Dated: 24.11.2022

Sub.: Minutes of the meeting of Committee of Transport Secretaries/Commissioners (CoTS) held on 22.11.2022 at 11.30 AM under the Chairpersonship of Member Secretary, NCR Planning Board in the office of NCR Planning Board, New Delhi.

A meeting of the Committee of Transport Secretaries/Commissioners (CoTS) was held under the Chairpersonship of Member Secretary, NCR Planning Board on 22.11.2022.

2. Minutes of the aforesaid meeting are enclosed for information and necessary action.

(Abhijeet Samanta)
Dy. Director (Tech.)

To

Members:

1. **Principal Secretary,** Transport Department, Government of Haryana, 2nd Floor, 30 Bays Building, Sector-17B, Chandigarh-160017 (acs.transport-hry@gov.in)
2. **Principal Secretary,** Transport Department, Sachivalaya, Vidhan Sabha Marg, Lucknow-226001 (pstup2016@gmail.com)
3. **Principal Secretary-cum-Commissioner,** Transport Department, Government of NCT-Delhi, 5/9, Under Hill Road, Delhi-110054 (commtpt@nic.in)
4. **Principal Secretary,** Transport Department, Parivhan Bhawan, Shakar Marg, 22, Godam Circle, Jaipur-302005 (acs-home@rajasthan.gov.in)
5. **Director (Urban Transport Division),** Ministry of Housing and Urban Affairs, Nirman Bhawan, New Delhi-110011 { ravi.prakash1@gov.in}

Nodal Departments from NCR States:

6. **Addl. Chief Secretary,** Department of Urban Development, Govt. of NCT-Delhi, 9th & 10th Level, Delhi. Secretariat, I.P. Estate, New Delhi - 110002 (email: psud@nic.in).
7. **Principal Secretary,** Town & Country Planning Department, Govt. of Haryana, Haryana Mini Secretariat, Sector-17, Chandigarh-160017 {email: pstcpharyana4@gmail.com}
8. **Principal Secretary,** Housing & Urban Planning Department, Govt. of Uttar Pradesh, Bapu Bhawan, Vidhan Sabha Marg, Lucknow, Uttar Pradesh-226001{email: psawasup@gmail.com}
9. **Principal Secretary,** Urban Development & Housing, Govt. of Rajasthan, 2nd Floor, Main Building, Govt. Secretariat, Jaipur-320005, Rajasthan (acs.udh@rajasthan.gov.in) (0141- 2227215).

Special Invitee:

10. **Secretary,** Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, 1st Floor, World Trade Centre, Babar Road, New Delhi-110001. secretary@pngrb.gov.in

11. **Member Secretary,** Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas (CAQM), 17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, STC Building, Tolstoy marg, New Delhi-110 001. (arvind.nautiyal@gov.in)
12. **Managing Director,** National Capital Region Transport Corporation, GatiShakti Bhawan, INA New Delhi-110023 (md.office@nerte.in) 011-24666700
13. **Managing Director,** DMRC Ltd., Metro Bhawan, Fire Brigade Lane, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 (mdmetro@dmrc.org)
14. **Joint Advisor,** Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, 1st Floor, World Trade Centre, Babar Road, New Delhi-110001 with a request to arrange and invite all CGD entities operational in NCR as discussed in CoTS meeting of 19.09.2022 (k.kituappa@pngrb.gov.in).
15. **General Manager (O&M-Marketing),** Indraprastha Gas Limited, IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, Sector 9, R.K.Puram, New Delhi - 110022 **rakesh.agrawal@igl.co.in**
16. **Vice Chairman**, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023 {email: vcdda@dda.org.in , 24697900,24699479}
17. **Principal Secretary,** Public Works Department (PWD), Govt. of NCT-Delhi, NCR Planning & Monitoring Cell, 5th Level, "B" Wing, Delhi Sachivalaya, New Delhi-110002 {email: pspwd@nic.in , Fax-23392295}
18. **Chairman,** National Highways Authority of India (NHAI), G 5&6, Sector-10, Dwarka-75, {email: chairman@nhai.org } 25076503, 25093605 (F). Through his nominee.
19. **Chief Executive Officer**, GMDA, Plot No. 3, Sector 44, Near HUDA City Centre Metro Station, Gurugram, Haryana. 0124-2392611 or 0124-2392711 (ceo.gmda@gov.in)
20. **District Magistrate**, South Delhi, M.B. Road, Saket, New Delhi-110068. 011-2953025 (dcsouth@nic.in)
21. **Addl. Commissioner (Planning),** UTTIPEC, 5th Floor, Vikas Minar, New Delhi- 110002. {email: asplguttipeegisdda@gmail.com , Tele-fax 011-23379042}.
22. **Addl. Chief Secretary,** Department of Urban Development, Govt. of NCT-Delhi, 9th & 10th Level, Delhi. Secretariat, I.P. Estate, New Delhi - 110 002 (email: psud@nic.in).
23. **Principal Secretary,** Town & Country Planning Department, Govt. of Haryana, Haryana Mini Secretariat, Sector-17, Chandigarh-160017 {email: pstcpharyana4@gmail.com }
24. **Chief Coordinator Planner**, NCR Planning and Monitoring Cell, Govt. of Haryana, HUDA Complex, Sector-6, Panchkula, Harayna-134108 {email: tcpharyana7@gmail.com }

Copy for kind information to: **PS to Member Secretary,** NCR Planning Board.

MINUTES OF THE COMMITTEE OF TRANSPORT SECRETARIES/ COMMISSIONERS (CoTS) MEETING HELD ON 22.11.2022 AT 11:30 AM IN THE MAPLE HALL AT INDIA HABITAT CENTRE, LODHI ROAD, NEW DELHI.

List of participants is at Annexure-I. After a brief round of introductions, Deputy Director (Tech), NCRPB apprised the participants about the aspects that were to be discussed in the meeting. Brief of agenda wise discussions and decisions made thereof, are as presented below:

AGENDA ITEM NO.1: Confirmation of Minutes of last CoTS Meeting held on 03.10.2022.

1. The Committee noted that no comments have been received on the Minutes of its meeting held on 03.10.2022 and confirmed the Minutes of the CoTS Meeting held on 03.10.2022.

AGENDA ITEM NO. 2: Action Taken on Decisions of last CoTS Meeting held on 03.10.2022.

2. Discussing the action taken and receipts from Sates and PNGRB, since last meeting, it was apprised that while GNCT of Delhi had formally informed about site visit of Spcl. Secretary, Delhi on the Road link issue being discussed later, Haryana had also provided the status of its CNG buses (2561), BS VI buses (1099) and CNG stations (231) in Haryana districts of NCR. In addition, PNGRB had also shared an updated status of operation CNG stations (913) and proposed CNG stations (264) in NCR.

Decision:

Committee decided that the PNGRB may share its data with necessary coordinates so that NCRPB team can get the same mapped for better analysis of the same in a spatial arrangement. PNGRB representative was requested to share the same with a week.

(Action: PNGRB; NCRPB)

AGENDA ITEM NO. 3: Implementation of Combined Reciprocal Common Transport Agreement (CRCTA)- Clean Fuel Transport Infrastructure in NCR

3. Review of Status of Clean Fuel Transport Infrastructure in NCR and Action Plan of NCR states for developing appropriate CNG/EV infrastructure in NCR:

3.1 State wise actions taken on decisions and directions of earlier meetings, were discussed.

3.2 Representative from Delhi informed that it had 7329 CNG and 300 EV buses, 3400 EV charging points, 04 bus depots electrified and plan to take the figure to 21 (15 govt. and 6 cluster) by 2024 and 39 (22 govt. and 17 cluster), by 2025. Further, 100 sites have been identified for providing EV charging facility under which 694 fast charging points will be covered. The details shall be shared with NCRPB.

3.3 He informed that requisite letter for BS VI buses from October 2022 was withdrawn and States were requested to make attempts to follow the same by October 2023. After getting updates from Delhi, following was decided:

Decisions:

i) NCT Delhi may formally submit its status of:

a) *provide updates on total number of fuel stations with breakup of CNF stations, Petrol/ diesel only stations and Hybrid stations as the case may be.*
b) *Cross check PNGRB data of 458 CNG stations in Delhi as in July 2022*
c) *provide updates on EV charging infrastructure in Delhi with Action Plan on same*

ii) *Tpt. Department, Delhi NCT Delhi may sit with UP on the issue of Bus routes being /been decided in Delhi without information and discussion with concerned departments of GoUP.*

iii) *Delhi may provide Action Plan for its EV buses EV infrastructure, formally*

3.4 Representative from Haryana assured that updates on CNG fuel stations/ pumps, CNG Depots, CNG buses and BS VI buses in Haryana sub region of NCR shall be provided soon.

Following was accordingly decided.

Decisions:

Transport Department, Haryana to

i) *cross check the information on CNG fuel stations/ pumps, CNG Depots, CNG buses and BS VI buses in Haryana sub region of NCR and provide necessary updates*

ii) *expedite submission of necessary Action Plan for developing appropriate CNG/EV infrastructure being requested since last two meetings, which may include plans for select cities /towns in NCR; plans for environment friendly STU buses in NCR and may start with districts abutting Delhi, in two weeks*

3.5 Representative from Rajasthan assured that updates on CNG fuel stations/ pumps, CNG Depots, CNG buses and BS VI buses in Haryana sub region of NCR shall be provided soon.

3.6 It was apprised that to increase the CNG vehicles in Rajasthan the draft CNG policy had been prepared and submitted on 20.09.2022 for consideration. It was informed that the state is in process of issuing its CNG policy by December 2022. Further, Rajasthan, in its budget for the year of 2019-20 had announced an Electric Vehicles policy which has been notified and enforced since 01.09.2022.

3.7 However, there is no proposal for conversion to CNG buses from diesel buses in Rajasthan.

Following was accordingly decided:

Decisions:

Transport Department, Rajasthan to

i) *make efforts to expedite the process of considering Rajasthan Subregion as an exception to encourage CNG infrastructure.*

ii) *expedite submission of its Action Plan for developing appropriate CNG/EV infrastructure being requested since last two meetings, which may include plans for select cities /towns in NCR; plans for environment friendly STU buses in NCR, in two weeks*

iii) *try to have maximum CNG buses for its NCR region and those destined for Delhi/NCR*

iv) *try and add CNG conversion related subsidies in the State's soon to be issued policy on CNG*

v) *form a team and visit Maharashtra RTC who were informed to have converted 1200 buses to CNG as per Haryana, in an earlier meeting, which were running safely and successfully*

3.8 Representative from Uttar Pradesh, expressed their inability to adhere to Delhi's request to ensure BS VI buses entering Delhi by October 2023, citing limited availability of buses in the State. He however indicated that they could attempt to have 2/3rd target by December 2023 and may be rest by December 2024. They assured that data on CNG stations, EVs, BS VI etc. was being crosschecked and updates shall be provided within a week.

3.9 On the aspect of conversion of existing buses to CNG, it was informed that little action was being taken on same owing to risks involved and earlier decisions.

3.10 It was also suggested that if Haryana agrees, UP can propose bus routes through KMP expressway (EPE &WPE) around Delhi, bypassing Delhi for non-Delhi destined buses.

Following was decided after deliberations:

Decisions:

i) *UP and especially Transport Department, UP to*
   a. *expedite submission of its Action Plan being requested since last two meetings, which may include plans for select cities /towns in NCR; plans for environment friendly STU buses in NCR and may start with districts abutting Delhi, in two weeks*
   b. *have regular meetings with neighboring states regarding diverting non Delhi/NCR destined traffic(esp. trucks) from entering NCR*
   c. *Concerned officers from UP may form a team and visit Maharashtra RTC who were informed to have converted 1200 buses to CNG as per Haryana, in an earlier meeting, which were running safely and successfully*

ii) *PNGRB was requested to talk to operators in UP subregion of NCR and especially Yamuna Expressway to provide access for CNG stations*

iii) *UP may circulate a letter through PNGRB to have Universal Fuel Dispenser/ combination of car and bus fuel dispenser preference, for its CNG stations, if it desires so.*

iv) *UP and Haryana may jointly formulate Bus routes as suggested by UP, through the KMP expressway (EPE and WPE), bypassing Delhi for non-Delhi destined buses.*

3.11 Matter of CLU for environmentally friendly fuel was taken up separately. NCR Cells of states updated the Committee on the action taken by them in this regard. It was observed that not much progress could be made either by NCR Cell, Haryana or from UP on the subject. After deliberations, following was decided. UP submitted that as petrol pump was a commercial activity and land in Noida was costlier than Greater Noida, subsidy on land for the purpose. Haryana mentioned that GMDA had a policy where in access to petrol pump was being given from two sides, one for CNG and other for petrol and the same shall be shared.

3.12 CCP, NCR Cell, Rajasthan informed that the effort has been made through e-mail and letters regarding land available for CNG stations in Bhiwadi which appears to be RIICO only. Chairperson directed to share the copy of the letters and e-mails with NCRPB.

Decisions:

i) *NCRPB to take up the matter of CLU regarding CNG infrastructure in Haryana subregion with T&CP, Haryana*

ii) *NCR Cell Rajasthan was requested to share its emails/correspondences made to its concerned department with NCRPB*

iii) *DDA to share its Policy on petrol pumps/CNG along with minutes and agenda copies with NCRPB on related subsidy for land*

iv) ***GMDA to share its two side policy for petrol pumps to cater to CNG and petrol/diesel, with NCRPB so that same can be looked into for taking up for implementation across NCR, as applicable.***

AGENDA ITEM NO.4: Issues related to Interstate connectivity road/linkages in NCR.

4. Road links related to Interstate connectivity road/linkages in NCR were taken up for discussion thereafter through a short presentation and Link-wise decisions are as below

I. UER-I, Delhi to Khekra City till NH-57 and UER-II, Delhi to Tronica City till NH-57 in Uttar Pradesh

4.1 With regards to pending permission of felling tree/plantation of 484 numbers, for UER-II, Spcl. Secretary, UD, Delhi apprised the matter was at the highest level and would probably be sent to LG office.

4.2 Regarding UER-I and III, it was suggested that concerned PWD or other road development agencies of GNCTD and Go UP should coordinate w.r.t. the said required bridge proposals for UER-I & III, as was discussed in previous meeting.

Decision:

i) The Committee noted the absence of representation from NHAI, but again urged for timely completion of the works be ensured.

(Action: NHAI)

ii) NCRPB to write to Delhi Government w.r.t pending permissions for felling tree/plantation of 484 numbers

(Action: NCRPB)

iii) The Committee recalled the updates provided that the UER I and UER III links that they were in active consideration under DDA/UTTIPEC and various options were under contemplation in this regard. It suggested that concerned PWD or other road development agencies of GNCTD and Go UP should coordinate w.r.t. the said required bridge proposals for UER-I & III

(Action: DDA/UTTIPEC)

II. Road from Ring Road (Inder Lok Metro Station) & existing Yamuna Canal Link Road up to Haryana Border

4.3 After brief deliberation, Chairperson expressed her displeasure over the NOC issues pending despite several meetings and directions, to PWD, Haryana, Irrigation Dept., Haryana and PWD, Delhi.

Decision:

i) The Committee noted the status and decided that the link be deferred till the NOC issue is resolved

(Action: PWD, Irrigation Dept. & NCR Cell, Haryana ; GNCT of Delhi)

III. Upgrading Gwal Pahari Mandi Gadaipur- Jaunpur road up to Andheria Mor in Delhi

4.4 Spl. Secy., Urban Development (GNCTD) updated the Committee regarding his site visit made as per decisions of the earlier meeting. UTTIPEC representative informed that its observations were yet to be replied to by PWD, Delhi, following which they can take up the matter to its Executive Committee meeting and thereafter to Governing Body meeting, which is chaired by Hon'ble LG, Delhi.

Decision:

After detailed deliberations it emerged that matter was still to be expedited by PWD,Delhi and UTTIPEC, to yield results. UTTIPEC assured to expedite in principle approval and thereafter detailed khasrawise report will be submitted by PWD, Delhi. Spl. Secretary, Urban Development, Delhi to pursue with all concerned.

(Action: NCRPB; UTTIPEC; PWD, GNCT of Delhi)

IV. Kalindi By-pass road from Ashram Chowk, Delhi to Faridabad By-pass :

4.5 Committee noted that there was no representation from MoRTH/NHAI and deferred the matter.

(Action: MoRTH/ NHAI)

V. Elevated road along Shahdara drain-alignment form Chilla Regulator (near Mayur Vihar), Sector-14A to MP-3 road (Mahamaya Flyover) in Noida.

4.6 Representative from UP updated the committee on the matter.

Decision:

The Committee recalled the earlier discussion on the matter and suggested that while it is noted that NOIDA Authority was now pursuing the project under Gati Shakti, CEO, NOIDA and PWD, Delhi should discuss the aspect and resolve the issue for early completion of the road project on which expenditure of Rs. 90 crores already appears to have been incurred by NOIDA as had been informed by representative from U.P.

(Action: NHAI; NOIDA; NCR Cell, UP; PWD, Delhi)

VI. 80 m Dwarka Link in Zonal Plan K-II connecting Gurgaon (through NPR having a width of 150m with 30 m wide green belt)

4.7 Spl. Secy., Urban Development (GNCTD) updated that issue of tree felling permission was at the Minister level and would probably be sent to Hon'ble LG office for permissions.

Decision:

After detailed deliberations its emerged that matter was still to be expedited by NHAI and as permissions for tree felling were still pending, NCRPB may in parallel write to Delhi in this regard.

(Action: Spcl Secretary, UD, Delhi; NHAI; NCRPB)

VII. 75 m wide road link connecting Gurgaon area with Najafgarh road

4.8 It was reiterated that in order to facilitate proper connectivity to Gurugram with Delhi at Najafgarh road, the portion of missing link land falling in Delhi is required to be acquired urgently for development/widening of road by the Delhi Government. However, response from GNCT Delhi still awaited.

4.9 Spl. Secy., Urban Development (GNCTD) informed that matter was looked into and apart from few religious structures, necessary permissions were given and work could be started.

The Committee noted the status

(Action: Spcl Secretary, UD, Delhi; NCR Cell, Haryana)

VIII. Bridge connecting Sector 168 & 167-A, Noida with Lalpur Village, Faridabad

4.10 Chairperson informed that as per NHAI, they were treating the links as spurs to NH2 and NH24. However, on the issue of realignment, NOIDA and PWD, Haryana have to meet and resolve the issue. NCR Cell UP may coordinate the matter. The meeting could be held in Delhi, within a week, where in representative from NCRPB could also be invited.

Decision:
Meeting be held amongst NOIDA, PWD,Haryana, FMDA ; NCR Cell of Haryana and UP to resolve the alignment issue, within a week and expedite the process.

(Action: FMDA; NCR Cell, Haryana, UP; NOIDA)

IX. Bridge Over Yamuna between Chhaprauli and Hathwala (Village Panipat, Haryana)

4.11 Shri S. C. Gaur, CCP, NCR Cell, that PWD,UP has informed that the project was in progress and an issue had cropped on a 90 m stretch due to litigation in UP side for which diversion road alignment proposal had been sent to UP government. He informed that matter was being followed up for fast approval of change in alignment but the matter was still at GoUP level, pending approval.

Decision:
After detailed deliberations its emerged that matter was still to be expedited at State level, and NCR Cell UP may follow up.

(Action: PWD, UP; NCR Cell,UP; NCRPB)

X. Mehrauli-Gurgaon Road to be developed as NH-236

4.12 Haryana informed that as was decided earlier, Haryana Tourism was taking requisite steps to handover land to NHAI. Director General, Tourism Department had requested Chairperson, NHAI to intimate land requirement and khasra details.

Committee decided to defer the matter as NHAI representation was not there.

(Action: NHAI; GoHaryana)

XI. Existing Gurgaon-Mehrauli road linking Nelson Mandela T-point (Near Vasant Kunj Flyover) through Delhi ridge.

4.13 After detailed discussions, Committee decided that matter should be dropped from the current platform and Delhi and Haryana may resolve their end keeping in mind the environmentally sensitive areas in the location.

Committee decided to drop the matter

(Action: Govt. of Haryana)

AGENDA ITEM No. 5: Action points under Policy published by CQAM in July 2022

5. Discussion on action points under Policy published by CAQM in July 2022

5.1 Member Secretary, Commission for Air Quality Management (CAQM) mentioned that the issue of Air Pollution is important aspect for NCR and all recommendations with respect to transportation strategy as recommended in the Policy published by CQAM in July 2022 to curb Air Pollution in the National Capital Region.

5.2 MS, CAQM talked about importance of the integrated transit service application and facilitation at all service points, ticketing, time tabling, routing and various associated applications. He suggested that NCRPB could take initiate or coordinate the transit oriented integrated applications. He mentioned that the recommendations regarding Integrated Transit service application and Multi Model integration along Metro/RRTS routes in NCR cities is a long term strategy. Graded Response Action Plan (GRAP) is for air quality and immediate action to be taken in emergency. It was clarified that the policy is not part of the GRAP Action Plan which is mandatory, however efforts to have a consensus on the policy need to be made.

5.3 MS, CAQM emphasized that it is very important for NCR states to lay an elaborate road map on not only Transport but all sectors referred in its report on CAQM, published in July 2022. States could work towards having a capping on number of non-environment friendly fuel run buses with age bracket from outside NCR, to start with. States need to make concerted efforts with time frames. He appreciated and thanked MS, NCRPB for efforts being made through its COTS platform to take up this agenda.

5.4 Specific to NCRPB related policies in Policy published by CAQM in July 2022, the policy interventions on a) Integrated transit service application States and b) Implementation of multi-modal integration (MMI) along metro/RRTS routes in NCR cities, were discussed in detail.

5.5 Representatives from DMRC and NCRTC shared their views and actions being taken. It was discussed that Multi Modal Integration is categorized by two key features i.e. first is Integration of

mass transport modes with each other like RRTS, Metro, Railway and Buses and Second Integration of mass transport modes with other "feeder" modes such as feeder buses, taxis, shared-mobility services like car sharing, bike sharing, walking, and cycling to provide first and last mile connectivity at all interchange points.

5.6 It emerged that availability of both static data and dynamic data from all stake holders, be it STUs, DMRC, NCRTC, DTC, to even IPTs, e ricks, private operators, etc. were key to a have integrated transit service application.

5.7 Chairperson emphasized that while various initiatives are being taken by private and public entities, the key role of the current platform would be to improve upon and add value to the process. While on technology part, the suggestions from DMRC and NCRTC and the State Transport Departments regarding integration of transport would be required. While NCRPB's CRCTA talks about single point taxation, need for clean fuel, aggregator guidelines etc., the policy under CAQM should be towards ease of public movement.

NCR states may share their decisions, information and a road map

Decisions:

i) ***States, DMRC, NCRTC all were requested to submit a small proposal on the same so that a combined draft can be worked on and a separate meeting could be planned for the same.***

ii) ***Need to establish a separate Cell so nodal from all four STUs, NCRTC, DMRC, CAQM, NCMS, and State Transport Departments etc. may be identified and they may provide with respective information. CAQM assured to request NCRPB to do it formally.***

iii) ***NCR States may meanwhile submit their Action Taken reports and comments /suggestions on the Policy of CAQM discussed in the meeting to both NCRPB and CAQM***

5.8 Chairperson thanked the participants for their valuable inputs and suggestions and directed all concerned to look in to the decisions and directions of the meeting. States were also requested to come up with their respective Aggregator policy for discussions in next meetings.

5.9 The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

24/11/22

(Archana Agrawal)

Chairperson

Place: New Delhi

92

ANNEXURE-I

PARTICIPANTS OF COMMITTEE OF TRANSPORT SECRETARIES/ COMMISSIONERS (CoTS) MEETING HELD ON 22.11.2022 AT 11:30 AM AT MAPPLE HALL INDIA HABITAT CENTRE LODHI ROAD, NEW DELHI.

Sl. No.	Members/ Rep. Attended the Meeting
1.	Ms. Archana Agrawal, Member Secretary , NCRPB in Chair
CAQM	
2.	Shri Arvind Kumar Nautiyal, Member Secretary, CAQM
CoTS Member/Representatives	
2.	Shri N. R. Choyal, Jt. Commissioner (Transport), Jaipur Rajasthan
3.	Ms. Sunita Verma , Dy. Transport Commissioner, Transport Department, Meerut
4.	Shri Jitender Gahlawat, District Transport Officer, Deptt., Haryana
5.	Shri Vinod Kumar Yadav, DC, Transport, GNCTD
Govt. of Uttar Pradesh	
6.	Shri S. C. Gaur, CCP, NCR Cell, Ghaziabad, Govt. of Uttar Pradesh
7.	Shri Arun Kumar Varshney, RTO Ghaziabad, Govt. of Uttar Pradesh.
8.	Shri A.K. Singh, RM (Ghaziabad), UPSRTC
9.	Shri Shivam Kasana, Asstt. Engineer, NCR Cell UP Ghaziabad
Govt. of Haryana/GMDA	
10.	Shri Devendra Nimbokar, CCP, NCR Cell
11.	Ms. P. Sardana, GM, GMDA
12.	Shri Charandeep Singh Rana, Executive Engineer, PWD (B & R) Gurgaon
Govt. of Rajasthan	
13.	Shri O.P. Pareek, CTP (NCR), NCR Cell, Rajasthan
14.	Ms. Rani Jain, RTO, Alwar, Rajasthan
15.	Shri Vivek Yadav, Asstt. Town Planner, NCR Cell, Rajasthan
GNCT of Delhi	
16	Shri K.S. Meena, Spl. Secretary, UD, GNCTD
17.	Shri Sharvan Kumar, SE, PWD, (South)
18.	Shri G.S. Rawat, Joint Director, UD Deptt., GNCTD
19.	Shri P.S. Chauhan, Ex. Engineer, PWD, GNCTD
20.	Ms. Anupma Chhakravarty, SDM (HQ.) South
21.	Shri Santosh Kumar Executive Magistrate Mehrauli
22.	Shri Harish Kumar, Kanungo, SDM Office Mehrauli
DDA/UTTIPEC	
25.	Shri K. Srirangan, Commissioner (Plg.) DDA
26.	Shri Hoshiar Singh, AE (Civil), DDA
27.	Shri Kamal Gupta, Dir./IC, DDA

Govt. of Delhi	
28.	Ms. Priyanka Kumari, ADM South
CGD	
29.	Shri Abhimanyu Das, Chief Manager, HPCL, CGD, Sonipat, Jind
30.	Shri Amit Kumar Sam, Associate Vice President, Haryana City Gas (Bhiwadi)
31.	Shri Rakesh Kumar, ED Torrent, Jaipur, Alwar
IGL Delhi	
32.	Shri Deepchand Jain, GM (Projects)
33.	Shri Rakesh Agrawal, GM (Mktg. & O&M)
DMRC	
34.	Ms. Papiya Sarkar, Chief Architect
35	Shri Saleem Ahmad, Executive Director
36.	Shri Manish Yadav, JGM, Operations
DDA/UTTIPEC	
37.	Ms. Manju Paul, Addl. Commissioner, UTTIPEC/DDA
38.	Shri Uttam Gupta, Director (Plg.), UTTIPEC
NCRTC	
39	Shri Samir Sharma, Multi Model Integration Expert
40.	Shri Shambhu Nath Singh, Manager (Environment)
NCRPB	
41	Shri Jagdish Parwani Director (A&F), NCRPB
42	Shri Abhijeet Samanta, Dy. Director (Technical)
43	Shri Satyabir Singh, Assistant Director (Technical)

22

संलग्नक–22

Email address: ncrcellup@gmail.com

कार्यालय ...युक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0

द्वितीय तल, नगर निगम भवन, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद (उ0प्र0)

पत्रांकः 219 /इ.स्टे.कनै0/एन0सी0आर0/2023–24 दिनांकः 29.8.2023

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
मेरठ।

विषयः–**UER-I, Delhi to Khekra City till NH-57 in U.P.** की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न हुयी राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी के मद संख्या–6 (i) **UER-I, Delhi to Khekra City till NH-57 in U.P.** में लिये गये निर्णय .... *"UER-I, के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को निर्देश दिये गये कि UER-I, को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेस–वे से जोड़े जाने एवं अन्य मार्गों से कनैक्टिविटी के सम्बन्ध में परीक्षण करते हुए एन0एच0आई0 से सम्पर्क स्थापित कर कार्यवाही करें एवं एन0सी0आर0 योजना बोर्ड तथा एन0सी0आर0 सेल, उ0प्र0 गाजियाबाद को भी अवगत करायें"।*

उक्त निर्णय के सापेक्ष कार्यवाही किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 को निर्देशित किया गया था। अवगत कराना है कि शीघ्र ही निकट भविष्य में स्टेयरिंग कमेटी की बैठक होना प्रस्तावित है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त निर्णय के सापेक्ष *UER-I,* के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति एवं कृत कार्यवाही से एन0सी0आर0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली के साथ–साथ इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

28/8/23

(एस0सी0 गौड़)
चीफ कोऑर्डिनेटर प्लानर

O/C 53

संलग्नक–23

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य पशासनिक भवन, सैक्टर–6, नौएडा, गौतमबुद्ध नगर, 201301

पत्रांक–नौएडा/अ.मु.का.अ.(एम)/व.प्र.–व.स.–9/2023/ 128
दिनांक 17/1/23

चीफ कोऑर्डिनेटर प्लानर
कार्यालय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0
द्वितीय तल, नगर निगम भवन,
नवयुग मार्किट, गाजियाबाद, (उ0प्र0)
ई–मेल–ncrcellup@gmail.com

विषय :– सैक्टर–167ए एवं 168 के मध्य 75.00मी0 चौडे एफ0एन0जी0 मार्ग के संरेखण में यमुना नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक परियोजना के सम्बन्ध में एन0सी0आर0 प्लानिंग बोर्ड की दिनांक 22.11.2022 को एक बैठक हुई, जिसमें उपरोक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विचार विमर्श किया गया। उक्त बैठक के जारी कार्यवृत्त के बिन्दु सं0 b (iii) & b (iv) निम्न प्रकार है–

b (iii) The construction of approach road of Yamuna bridge towards Uttar Pradesh be carried out by NOIDA and all costs in this regard be borne by NOIDA.

b (iv) The construction cost of Yamuna bridge/guide bunds be shared equally by both Haryana & NOIDA and land acquisition done by respective Government. The construction work to be executed by Haryana PWD (B&R)

उक्त दोनों बिन्दुओं पर प्राधिकरण की सहमति चाही गयी है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यवृत्त में उपरोक्तानुसार उल्लेखित बिन्दु सं0 b (iii) & b (iv) पर प्राधिकरण सहमत है।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(मानवेन्द्र सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के सादर अवलोकनार्थ।
2. आयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0 गाजियाबाद को सूचनार्थ।
3. उप महाप्रबन्धक–सिविल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर, पी0डब्लू0डी0 (B&R) निर्माण सदन, गुरूग्राम, हरियाणा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. निदेशक (A&F), एन0सी0आर0 प्लानिंग बोर्ड, इन्डिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

24

संलग्नक—24

346
04-9-2023

कार्यालय अधिशासी अभि[ंयन्ता]
[प्रान्तीय] खण्ड, लो0 नि0 विभाग, बागपत
(E-Mail ID- pdpwdbaghpat@gmail.com)

पत्रांक 1702/23A/लो0नि0वि0—बागपत/2023—24 दिनॉक 29/08/2023

सेवा में,

चीफ कोऑर्डनैटर प्लानर,
कार्यालय आयुक्त
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,
गाजियाबाद, उ0प्र0।

विषयः— जनपद बागपत मे यमुना नदी पर टाण्डा कुर्डी नांगल साई मन्दिर छपरौली बडौत मार्ग (उ0प्र0) तथा बिलासपुर खोजकीपुर मार्ग जनपद पानीपत (हरियाणा) के मध्य सेतु निर्माण हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्रांक संख्या 18/2023/001-550-23-2-2023-121(सा0)/2022 दिनांक 10.07.2023 द्वारा रू0 130.47 लाख की धनराशि भूमि अध्याप्ति हेतु अवमुक्त की गयी है।

उ0प्र0 की सीमा के अन्तर्गत पड़ने वाले मार्ग 764.50 मी0 लम्बाई में लो0नि0वि0 उ0प्र0 द्वारा केवल भूमि अधिग्रहण किया जाना है। समस्त निर्माण कार्य लो0नि0वि0 हरियाणा द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। भूमि अधिग्रहण हेतु कुल 31 कास्तकार आच्छादित हैं। जिलाधिकारी बागपत द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु दरों का अनुमोदन किया जा चुका है। रजिस्ट्री की कार्यवाही की जा रही है। लोक निर्माण विभाग, हरियाणा के अधीन कार्यस्थल पर कार्य प्रगति में है।

सूचनार्थ प्रेषित।

(अतुल कुमार)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,बागपत।

पत्रांक / /लो0नि0वि0—बागपत/2023—24 दिनॉक / /2023

प्रतिलिपि—

1. अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, करनाल वृत्त, लो0नि0वि0, (भवन एवं मार्ग), करनाल को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड (भवन व मार्ग), लो0नि0वि0, पानीपत को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक अभियन्ता—चतुर्थ, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. सम्बन्धित अवर अभियन्ता/श्री अरविन्द कुमार, विभागीय अमीन, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

AE/ Ms Rachana & Ms Bhawana

97

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत

4/9/23
540 4/9/23

7. <u>मद संख्या–07</u>

क्षेत्रीय योजना –2041 (ड्राफ्ट) के सम्बन्ध में।

7.1 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (NCRPB Act, 1985) के अंतर्गत क्षेत्रीय योजना तैयार की जाती है। वर्तमान में क्षेत्रीय योजना–2021 सम्पूर्ण एन0सी0आर0 में प्रभावी है, जिसे वर्ष 2005 में अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा क्षेत्रीय योजना–2041 (ड्राफ्ट) तैयार की गयी है, जिसमें उ0प्र0 प्रभाग के कुल 08 जनपद (गाजियाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, हापुड़, बागपत, गौतमबुद्धनगर, मुजफ्फरनगर एवं शामली) तथा 02 काउन्टर मैग्नेट एरिया बरेली एवं कानपुर–लखनऊ सम्मिलित हैं।

7.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 पत्र दिनांक 06.01.2021 के द्वारा क्षेत्रीय योजना–2041 की ड्राफ्ट रिपोर्ट उ0प्र0 शासन, लखनऊ को अभिमत/सुझाव प्राप्त करने हेतु प्रेषित की गयी। तदोपरान्त आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 23 मार्च, 2021 के माध्यम से सभी विभागों से अभिमत/सुझाव प्राप्त करने हेतु क्षेत्रीय योजना–2041 की ड्राफ्ट रिपोर्ट को विभागीय वेबसाईट (<u>www.awas.up.nic.in</u>) पर अपलोड किया गया।

7.3 क्षेत्रीय योजना–2041 (ड्राफ्ट) पर उ0प्र0 के विभिन्न विभागों यथा–आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, खेल विभाग तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय योजना–2041 (ड्राफ्ट) के सम्बन्ध में अपने सुझाव एन0सी0आर0पी0बी0, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये हैं।

7.4 एन0सी0आर0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली की बोर्ड बैठक दिनांक 12.10.2021 में क्षेत्रीय योजना–2041 ड्राफ्ट को जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु अनुमोदित किया गया। तदोपरान्त क्षेत्रीय योजना–2041 (ड्राफ्ट) पर दिनांक 09.12.2021 से दिनांक 07.01.2022 तक जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में करने के साथ–साथ एन0सी0आर0पी0बी0 की विभागीय वेबसाईट (www.ncrpb.nic.in) पर जनसामान्य के सुलभ–सन्दर्भ हेतु अपलोड भी किया गया।

7.5 मा0 मुख्यमन्त्री, उ0प्र0 शासन के समक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की क्षेत्रीय योजना–2041 के मसौदे पर प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसका कार्यवृत्त **(संलग्नक–25)** पर प्रस्तुत है।

7.6 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली की दिनांक 05.07.2022 को आयोजित होने वाली 42वीं बैठक में क्षेत्रीय योजना–2041 (ड्राफ्ट) को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना था, जो अपरिहार्य कारणोंवश स्थगित हो गई। एन0सी0आर0पी0बी0 की आगामी बोर्ड बैठक शीघ्र सम्भावित है।

अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय योजना–2041 (ड्राफ्ट) की अद्यतन स्थिति कमेटी के समक्ष संज्ञानार्थ/अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्नक–25

मा0 मुख्यमन्त्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 15.07.2022 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की क्षेत्रीय योजना-2041 (ड्राफ्ट) पर किये गये प्रस्तुतीकरण का कार्यवृत्त।

उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण में निम्न अधिकारीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री दुर्गाशंकर मिश्र, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. श्री एस.पी. गोयल, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. श्री अजय चौहान, सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
6. श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. श्री रवि जैन, निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
8. श्री सतीश चन्द्र गौड, चीफ कोऑर्डिनेटर प्लानर, एन0सी0आर0 सेल, उ0प्र0, गाजियाबाद।

2. बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की क्षेत्रीय योजना-2041 (ड्राफ्ट)पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली की कार्यप्रणाली तथा उ0प्र0 प्रभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। एन0सी0आर0 क्षेत्रीय योजना-2041 (ड्राफ्ट) के विभिन्न अध्यायों की प्रस्तावनाओं विशेष रूप से ट्रान्सपोर्ट, जनसंख्या विवरण तथा सेटलमेंट पैटर्न के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। क्षेत्रीय योजना-2041 (ड्राफ्ट) की मुख्य विशेषताएं निम्नवत अवगत करायी गयीं:-

2.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल क्षेत्रीय योजना-2041 (ड्राफ्ट) के अनुसार कुल 55083 वर्गकिमी0 है, जिसमें एन0सी0टी0 दिल्ली के कुल क्षेत्रफल(1,483 वर्गकिमी0)के साथ हरियाणा का (25,327 वर्गकिमी0), राजस्थान का (13,447वर्गकिमी0) तथा उत्तर प्रदेश कुल क्षेत्रफल (14826 वर्गकिमी0)समाहित किया गया है। यह क्षेत्र एक गतिशील क्षेत्र है, जो विकास की सम्भावनाओं को बढ़ाता है।

2.2 उत्तर प्रदेश प्रभाग के कुल 08 जिले यथा-गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, मुजफ्फरनगर एवं शामली क्षेत्रीय योजना-2041 (ड्राफ्ट) में शामिल किए गए हैं।

2.3 क्षेत्रीय योजना-2041 (ड्राफ्ट) में कुल 13 अध्याय सम्मिलित किए गए हैं। दो नये अध्याय "भविष्य-तैयार नागरिक आधारभूत संरचना" एवं "स्मार्ट एवं डिजिटल एनसीआर (रा.रा.क्षे.)" सम्मिलित किये गए हैं।

2.4 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आबादी वर्ष 2011 में 474 लाख आंकलित की गई है तथा वर्ष 2041 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जनसंख्या 1130 लाख अनुमानित है। नियोजन की दृष्टि से प्रश्नगत योजना में बड़े स्तर पर आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा दिया गया है।

2.5 उत्तर प्रदेश खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया गया है। उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट के विकास को भी क्षेत्रीय योजना-2041 (ड्राफ्ट) का भाग बनाया गया है। दिल्ली में प्रस्तावित एलिवेटेड रिंग रोड को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने तथा गाजियाबाद व नोएडा की वर्तमान में निर्मित एलिवेटेड रिंग रोड के प्रस्ताव को समाहित किया गया है।

2.6 ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं, सामुदायिक सुविधाओं तथा उपयोगिताओं के विकास किए जाने के प्रयास पर बल दिया गया है।

3. प्रस्तुतीकरण के उपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

3.1 उ0प्र0 प्रभाग में सी.एन.सी.आर. के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र को किसी न किसी प्राधिकरण का भाग बनाए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाए।

3.2 लखनऊ प्रदेश की राजधानी होने के कारण इसका प्रभाव आस-पास के क्षेत्र पर पड़ता है, अतः लखनऊ के प्रभाव क्षेत्र को चिन्हांकित किया जाय एवं तत्क्रम में लखनऊ विकास क्षेत्र की सीमा में आस-पास के नगरों एवं ग्रामों को सम्मिलित करते हुए विस्तार किया जाय।

3.3 लखनऊ, गोरखपुर एवं वाराणसी विकास क्षेत्र के नियोजित विकास हेतु सम्बन्धित विकास क्षेत्रों की सीमा विस्तार का प्रस्ताव तैयार किया जाए।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2
संख्या- 1248 /आठ-2-22-93एन.सी.आर./19टी.सी.
लखनऊ : दिनांक 26 अगस्त, 2022

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
5- निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
6- आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, 3 एवं 10, उ0प्र0 शासन।
7- आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उ0प्र0 प्रभाग, गाजियाबाद।
8- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

8. मद संख्या–08

क्षेत्रीय योजना–2021 एवं उ0प्र0 प्रभाग की उपक्षेत्रीय योजना–2021 के प्रस्तावों के अनुरूप विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

8.1 एन.सी.आर सैल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली की क्षेत्रीय योजना–2021 तथा उ0प्र0 प्रभाग की उपक्षेत्रीय योजना–2021 के नीतियों/ प्रस्तावों के उल्लंघन से सम्बन्धित मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु उ0प्र0 प्रभाग के औद्योगिक/विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद में बैठक की जाती है तथा बैठक की कार्यवृत्त सर्व सम्बन्धितों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। उपरोक्त से प्राप्त मासिक रिपोर्ट को कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली को समय–समय पर प्रेषित किया जाता है। अवगत कराना है कि नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा माह जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक की मासिक रिपोर्ट प्रेषित किया जाना शेष है।

अतः क्षेत्रीय योजना–2021 एवं उ0प्र0 प्रभाग की उपक्षेत्रीय योजना–2021 के प्रस्तावों के अनुरूप विकास कार्य कराये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव कमेटी के समक्ष संज्ञानार्थ/अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

का० (टेलीफैक्स) ☎0120–4292948
Email address: ncrcellup@gmail.com

कार्यालय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0

द्वितीय तल, नगर निगम भवन, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद (उ0प्र0)

पत्रांकः 179 /मासिक प्रगति/एन0सी0आर0/2023–24 दिनांकः 01-8-2023

सेवा में,

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
   औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
   नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस–वे।

2. उपाध्यक्ष,
   विकास प्राधिकरण,
   गाजियाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, खुर्जा, हापुड–पिलखुआ,
   बागपत–बड़ौत–खेकडा, मुजफ्फरनगर।

विषयः–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली की क्षेत्रीय योजना–2021 एवं उ0प्र0 प्रभाग की उपक्षेत्रीय योजना–2021 की नीतियों के उल्लंघन से सम्बन्धित मासिक रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु आयोजित की जानी वाली बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली की क्षेत्रीय योजना–2021 एवं उ0प्र0 प्रभाग की उपक्षेत्रीय योजना–2021 की नीतियों के उल्लंघन से सम्बन्धित मासिक रिपोर्ट प्रेषित करने के सम्बन्ध में माह के प्रथम सोमवार को उ0प्र0 प्रभाग के औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ इस कार्यालय में आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उ0प्र0 की अध्यक्षता में बैठक की जाती है।

उक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि मासिक प्रगति आख्या के सम्बन्ध में दिनांक 07.08.2023 को समय 11:00 बजे आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उ0प्र0 की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई है। कृपया तदानुसार बैठक में ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0 सी0 गौड)
चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर आयुक्त, एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

1/8/23
चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर

Seen

A

105

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की क्षेत्रीय योजना–2021 एवं उ0प्र0 प्रभाग की उपक्षेत्रीय योजना–2021 की नीतियों के उल्लंघन से सम्बन्धित मासिक रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपर आयुक्त, एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद की अध्यक्षता में आहूत समीक्षा बैठक दिनांक 07.08.2023 को समय 11:00 बजे कार्यालय आयुक्त, एन.सी.आर. सेल, द्वितीय तल, नगर निगम भवन, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्तः–

बैठक में उपस्थित सदस्यों की उपस्थितिः–

1. श्री एस0सी0 गौड़, चीफ कोऑर्डिनेटर प्लानर, एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद।
2. श्री नीरज गुप्ता, अवर अभियन्ता, बागपत–बड़ौत–खेकडा विकास प्राधिकरण।
3. श्री शिवम कसाना, सहायक अभियन्ता, एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की क्षेत्रीय योजना–2021 एवं उ0प्र0 प्रभाग की उपक्षेत्रीय योजना–2021 की नीतियों के उल्लंघन से सम्बन्धित प्राप्त रिपोर्टस के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा बैठक अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रारम्भ की गयी। बैठक में मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माह ससमय प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

1. उ0प्र0 प्रभाग के गाजियाबाद (जनवरी से मई एवं जुलाई, 2023 तक), बुलन्दशहर (जनवरी से जून, 2023 तक), खुर्जा (जनवरी से जुलाई, 2023 तक), हापुड–पिलखुआ (जनवरी से जून, 2023 तक), बागपत–बडौत–खेकडा (जनवरी से जुलाई, 2023 तक), मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण (जनवरी से जुलाई, 2023 तक), यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जनवरी से जुलाई, 2023 तक) तथा मेरठ विकास प्राधिकरण (जनवरी से जून, 2023 तक) द्वारा मासिक रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। अवगत कराना है कि नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा की माह जनवरी से जुलाई–2023 तक तथा हापुड–पिलखुआ, बुलन्दशहर एवं मेरठ विकास प्राधिकरण की माह जुलाई, 2023 की मासिक रिपोर्ट प्रेषित किया जाना शेष है।

(कार्यवाहीः–समस्त विकास प्राधिकरण एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

2. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 03.07.2023 को सम्पन्न हुई Committee of Transport Secretaries/Commissioners (CoTS) की बैठक में प्रदत्त निर्देशों के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रभाग के समस्त जिलों के निजी एवं सरकारी अस्पतालों/मेडिकल कॉलेज/नर्सिंग होम एवं Trauma Centre, से सम्बन्धित वांछित सूचना संलग्न प्रारूप पर भरकर 03 कार्यदिवस में डाक प्रति के साथ–साथ कार्यालय की ई–मेल (ncrcellup@gmail.com) पर उपलब्ध कराने हेतु उ0प्र0 प्रभाग के समस्त विकास प्राधिकरण एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरण से कार्यालय के पत्रांक 185 दिनांक 08.08.2023 के माध्यम से पुनः अनुरोध किया गया है। बैठक में उपस्थिति सदस्य को उपरोक्त से सम्बन्धित सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण/अभिकरण)

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली की दिनांक 24.05.2023 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में एन0सी0आर0पी0बी द्वारा विकसित Geo-Portal PARIMAN की लेयर्स में डाटा अपडेट करने हेतु उ0प्र0 प्रभाग के समस्त जनपदों से सूचनायें वांछित हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रभाग के विकास प्राधिकरण एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरण से सूचनाओं को प्रेषित करने हेतु कार्यालय के पत्रांक 163 दिनांक 27.07.2023 के माध्यम से अनुरोध किया गया है। बैठक में मास्टर प्लान की Shape file कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु पुनः निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही समस्त प्राधिकरण/अभिकरण)

4. उ0प्र0 प्रभाग की उपक्षेत्रीय योजना–2041 को तैयार करने हेतु प्रभावी/प्रस्तावित महायोजनाओं के मानचित्र के Shape file विभिन्न सेक्टर्स यथा–जल, सीवेज़, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा व सामुदायिक सुविधाओं के नियोजन इत्यादि से सम्बन्धित समस्त डाटा कार्यालय को प्राथमिकता से उपलब्ध कराने हेतु पुनः निर्देशित किया गया ताकि क्षेत्रीय योजना–2041 के अनुमोदनोपरान्त उपक्षेत्रीय योजना–2041 को तैयार करने सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्र की जा सके।

(कार्यवाही:–समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण)

5. बैठक में उपस्थिति सदस्यों को यह अवगत कराया कि उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित विवरण के सम्बन्ध में अन्य कोई भी जानकारी आवश्यक होने पर श्री शिवम कसाना, सहायक अभियन्ता, एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद से उनके मो0 नं0 7838239936 पर सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

6. बैठक में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़–पिलखुआ, बुलन्दशहर, खुर्जा, एवं मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहे। बैठक में उपरोक्त अनुपस्थित सभी नोडल अधिकारी/प्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि उक्त से सम्बन्धित वांछित विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा कृपया आगामी बैठक में आवश्यक रूप से प्रतिभाग करें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

बैठक का उक्त कार्यवृत्त सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(एस0 सी0 गौड)
चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर
OIC R.

पत्रांक 189 /मासिक प्रगति/एन0सी0आर0/2023–24 दिनांकः 10-8-2023

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. आयुक्त, एन0सी0आर0 सेल उ0प्र0, गाजियाबाद को सूचनार्थ।
3. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़–पिलखुआ, बुलन्दशहर, खुर्जा, एवं मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण।
4. अपर आयुक्त, एन0सी0आर0 सेल उ0प्र0, गाजियाबाद को सूचनार्थ।
5. श्री नीरज कुमार गुप्ता, अवर अभियन्ता, बागपत–बडौत–खेकडा विकास प्राधिकरण।

चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर
OIC R.

107

9. मद संख्या–09

उ0प्र0 प्रभाग में भौतिक/सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली से वित्तीय ऋण लिये जाने के सम्बन्ध में।

9.1 उत्तर प्रदेश प्रभाग में कुल 57 परियोजनाएं **(संलग्नक–26)** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली से वित्त पोषित की गयी हैं, जिनकी कुल अनुमानित लागत रू0 9121.87 करोड़ **(संलग्नक–27)** हैं। उक्त समस्त 57 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं तथा वर्तमान में सभी परियोजनाएं संचालित हैं।

वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित तालिकानुसार **(संलग्नक–28)** वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है:–

Types of Project	Present Rate*
Priority Infrastructure Projects viz. Water Supply, Sewerage, Sanitation, Drainage and Solid Waste Management	7.00% p.a.
Roads, ROBs & Flyover, RUB, Expressways, Affordable/EWS Housing	7.00% p.a.
Metro/Rapid Rail/RRTS	7.00% p.a.
Power Sector Projects – Generation, Transmission and Distribution	7.50% p.a
Land Development Projects – Residential/Industrial/Commercial and other Infrastructure viz. Technical / Medical Institutions	8.50%p.a
* ***In addition, a rebate of 0.25% by reduction in interest rate, for timely payment of loan installments, strictly as per repayment schedule, is available.***	

9.2 उ0प्र0 प्रभाग में नई परियोजनाओं का चिन्हांकन करने तथा एन0सी0आर0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली की वित्तीय सहायता से परियोजनाओं को विकसित/क्रियान्वित करने हेतु आयुक्त, एन0सी0आर0, उ0प्र0 के पत्र संख्या–176/न्यू फंडिंग/एन.सी.आर./2022–23 दिनांक 24.08.2022 **(संलग्नक–29)** के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न विभागों से अनुरोध किया गया है। तदोपरान्त समस्त सम्बन्धित विभागों/अभिकरणों को अनुस्मारक पत्र सं0–316 दिनांक 28.12.2022 **(संलग्नक–30)** एवं अनुस्मारक द्वितीय पत्रांक 233 दिनांक 11.09.2023 **(संलग्नक–31)** को पुनः प्रेषित किया गया।

अतः उ0प्र0 प्रभाग में भौतिक/सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव कमेटी के समक्ष संज्ञानार्थ/ अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

Total Projects

Rs. in Crore

	Estimated Cost	Sanctioned Amount	Released Amount
Total Completed Projects	9121.87	3462.23	3013.45
57 Projects			
Total-57	**9121.87**	**3462.23**	**3013.45**

List of Completed Infrastructure projects with loan assistance from NCRPB (as on 30.06.2022)

Amount in Crore

S.No.	Name of the Projects	Implementing Agency	Final Cost	Loan Sanctioned	Actual Loan Amount released
	Sewerage Sector Projects				
1	Improvement of drainage network, Ghaziabad	Ghaziabad Development Authority	1.24	0.93	0.75
2	Sewage rehabilitation scheme	Nagar Nigam, Meerut	4.77	3.58	2.23
3	Improvement of drainage network	Nagar Nigam, Meerut	2.12	1.59	1.59
4	Improvement of supplementary drainage network	Nagar Nigam, Meerut	2.50	1.88	1.88
5	Improvement of drainage system (Nagar Nigam area)	Nagar Nigam Ghaziabad	1.60	1.20	1.20
6	Construction of 20 MLD Sewage Treatment Plant and Pumping Station at Ecotech-III, Greater Noida	GNIDA	28.15	17.70	17.70
7	Construction of 15 MLD Sewage Treatment Plant and Pumping Station at Ecotech-II, Greater Noida	GNIDA	21.17	14.36	14.36
	SEWERAGE PROJECTS IN UTTAR PRADESH		**61.55**	**41.24**	**39.71**
	Land Development Projects				
8	Development of Integrated Indl.Township, Tronica City, Loni	UP State Industrial Development Corporation	230.00	20.00	20.00
9	Vasundhara residential infrastructure development scheme, Ghaziabad	UP Housing Development Board	45.95	34.50	18.75
10	Development of Begum Bagh bridge area, Meerut	Meerut Development Authority	1.12	0.50	0.50
11	Commercial complex scheme at Garhmukteshwar road, Meerut	UP Housing Development Board	2.92	0.62	0.32
12	Scheme no. 6 (Residential scheme between Meerut and Garhmukteshwar road, in front of Medical College)	UP Housing Development Board	14.51	4.01	3.55
13	Residential scheme between Meerut - Hapur and Meerut - Garhmukteshwar road, Meerut	UP Housing Development Board	12.96	3.41	1.90
14	Development of residential scheme of Pallavpuram, Meerut	Meerut Development Authority	15.25	7.40	6.25
15	Hathkargha Nagar (Lohia Nagar) work-cum-shelter scheme, Meerut	Meerut Development Authority	15.16	6.10	6.10
16	Scissors manufacturing work-cum-shelter scheme, Meerut	Meerut Development Authority	1.52	0.68	0.68
17	Sports goods manufacturing and trading complex, Meerut	Meerut Development Authority	10.03	4.02	4.02
18	Development of residential scheme of Shatabdi Nagar sector 4(c), Meerut	Meerut Development Authority	10.14	5.07	5.07
19	Scheme for marketability of assets created by Meerut Development Authority	Meerut Development Authority	42.10	15.38	15.38
20	Residential scheme of Shatabdi Nagar (sectors 2, 4B, 5, 6 & 8)	Meerut Development Authority	10.73	5.05	5.05
21	Shatabdi Nagar new township development scheme	Meerut Development Authority	53.12	16.50	16.50
22	Development of Vedvyaspuri residential scheme, Meerut	Meerut Development Authority	29.50	8.85	8.85
23	Residential and commercial scheme between Meerut and Hapur road	UP Housing Development Board	2.25	1.39	0.89
24	Industrial development scheme at Udyogpuram, Meerut	Meerut Development Authority	12.00	5.00	5.00
25	Residential scheme of Preet Vihar	Hapur Pilkhua Development Authority	19.09	10.04	10.04
26	Internal development of residential sector Delta - I	GNIDA	28.93	11.79	11.79
27	Internal development of residential sector Delta - II	GNIDA	29.11	10.00	10.00
28	Internal development of residential sector Delta - III	GNIDA	17.53	4.40	4.40
29	Internal development of residential scheme of Swarna Nagari	GNIDA	36.36	12.00	12.00
30	Infrastructure development scheme of Greater NOIDA	GNIDA	70.29	50.00	50.00
31	Development of Toy City industrial scheme at Surajpur	GNIDA	20.23	5.00	5.00
32	Development of Udyog Vihar industrial scheme	GNIDA	76.25	15.00	15.00
33	Development of Lal Taalab commercial scheme, Bulandshahr	Bulandshahr Khurja Development Authority	0.49	0.37	0.37
34	Development of Raichandi commercial scheme, Khurja	Bulandshahr Khurja Development Authority	0.94	0.47	0.47
35	Yamunapuram Office cum commercial complex, Bulandshahr	Bulandshahr Khurja Development Authority	1.12	0.56	0.56
36	Yamunapuram residential scheme, phase II, Bulandshahr	Bulandshahr Khurja Development Authority	24.08	11.37	11.37
37	Development of commercial complex, Harishchandra Vikas Kendra, Bulandshahr	Bulandshahr Khurja Development Authority	0.55	0.41	0.41
38	Ganga Nagar Residential scheme Phase III	Meerut Development Authority	40.46	30.18	30.18
39	Kalindi Kunj residential scheme, Bulandshahr, UP	Bulandshahr Khurja Development Authority	57.35	33.27	33.27
40	Anand Vihar Housing Scheme at Hapur	Hapur Pilkhua Development Authority	178.40	133.80	50.00
41	Ganga Nagar residential scheme, Bulandshahr	Bulandshahr Khurja Development Authority	69.14	48.09	35.09
	LAND DEVELOPMENT PROJECTS IN UTTAR PRADESH		**1179.58**	**515.23**	**398.76**
	Other Sector Projects				
42	**Improvement of Street Lights**	Nagar Nigam Ghaziabad	**2.45**	**1.83**	**1.83**

	Transport Sector Projects				
43	Improvement of road network	Nagar Nigam, Meerut	7.85	5.89	5.89
44	Improvement or road network, Ghaziabad	Nagar Nigam Ghaziabad	11.26	8.45	8.45
45	NOIDA - Greater NOIDA expressway	GNIDA	66.29	49.72	49.72
46	Raw water conveyance Main from intake at Dehra to WTP site at Palla G Noida	GNIDA	183.19	137.39	83
47	Primary Treatment Works at Dehra (Ghaziabad), 210 MLD Water Treatment Plant at Palla (Greater Noida) and Allied Works	GNIDA	121.48	87.16	87.16
48	Project of Metro connection between Noida and Greater Noida (29.707 km)	NMRC	5503.00	1587.00	1430.00
49	Development of Six lane Elevated Road (Hindon) in Ghaziabad, Uttar Pradesh by GDA	Ghaziabad Development Authority	1147.60	700.00	700.00
	TRANSPORT PROJECTS IN UTTAR PRADESH		**1416.19**	**901.45**	**847.06**
	Water Sector Projects				
50	Improvement & Development of Water Supply in newly developed areas of Meerut City	Nagar Nigam, Meerut	4.95	3.71	3.71
51	Improvement of water supply scheme/ system in trans-Hindon area, Ghaziabad	Nagar Nigam Ghaziabad	2.23	1.28	1.28
52	Improvement of water supply scheme/ system in cis-Hindon area, Ghaziabad	Nagar Nigam Ghaziabad	3.07	1.55	1.55
53	Improvement of existing water supply system	Nagar Nigam Ghaziabad	2.00	1.24	1.24
54	Augmentation of water supply of trans-Hindon area by carriage of 50 cusecs of water from Upper Ganga canal	Ghaziabad Development Authority	86.80	38.65	3.75
	WATER SUPPLY PROJECTS IN UTTAR PRADESH		**99.05**	**46.43**	**11.53**
	Power Sector Projects				
55	Strengthening of Transmission & Distribution Network of Meerut Division by UPPCL	U.P. Power Corporation Ltd.	299.89	224.89	140.40
	POWER PROJECTS IN U.P.		**299.89**	**224.89**	**140.40**
	TOTAL PROJECTS IN UTTAR PRADESH		**3058.71**	**1731.07**	**1439.29**
	Completed PROJECTS IN CMA towns				
	PROJECTS IN UTTAR PRADESH -CMA town Bareilly				
56	Residential and Transport Nagar schemes, Bareilly	Bareilly Development Authority	339.31	20.00	20.00
57	Ram Ganga Nagar residential scheme in Bareilly	Bareilly Development Authority	99.37	37.00	37.00
	Total PROJECTS IN UTTAR PRADESH -CMA town Bareilly		**438.68**	**57.00**	**57.00**
		Grand Total	**9121.87**	**3462.23**	**3013.46**

Types of Project	Present Rate*
Priority Infrastructure Projects viz. Water Supply, Sewerage, Sanitation, Drainage and Solid Waste Management	7.00% p.a.
Roads, ROBs & Flyover, RUB, Expressways, Affordable/EWS Housing	7.00% p.a.
Metro/Rapid Rail/RRTS	7.00% p.a.
Power Sector Projects – Generation, Transmission and Distribution	7.50% p.a
Land Development Projects – Residential/Industrial/Commercial and other Infrastructure viz. Technical / Medical Institutions	8.50%p.a
**** In addition, a rebate of 0.25% by reduction in interest rate, for timely payment of loan installments, strictly as per repayment schedule, is available.***	

संलग्नक–29

का0 (टेलीफैक्स) 0120–4292946
Email address: ncrcellup@gmail.com

कार्यालय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0

द्वितीय तल, नगर निगम भवन, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद (उ0प्र0)

पत्रांक: 176 /न्यू फंडिंग/एन0सी0आर0/2022–23 दिनांक: 24-8-2022

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2. प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग, नियोजन विभाग,
ऊर्जा विभाग, पर्यटन विभाग,

3. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं
यमुना एक्सप्रेस–वे।

5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 एक्सप्रेस–वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

6. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

7. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद, हापुड़–पिलखुवा, मेरठ,
बुलन्दशहर, खुर्जा, बागपत–बडौत,
मुजफ्फरनगर एवं शामली।

8. प्रबन्ध निदेशक,
नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन,
नोएडा।

9. जिलाधिकारी,
जनपद–गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर,
गौतमबुद्धनगर, बागपत, मुजफ्फरनगर एवं शामली

विषयः–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उ0प्र0 प्रभाग में भौतिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली से नई परियोजनाओं को वित्त पोषित कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अवगत कराना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उ0प्र0 प्रभाग के समग्र विकास/भौतिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने के लिए प्रभाग में कार्यरत विभिन्न विभागों/अभिकरणों को उनकी परियोजनाओं हेतु सरल प्रक्रिया अपनाते हुये दीर्घ कालिक (10–20 वर्ष) ऋण अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा ऋण वापसी हेतु 2/3/5 वर्ष का मॉरीटोरियम अवधि भी प्रदान किया जाता है।

क्रमशः...2/–

वर्तमान मे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित तालिकानुसार वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है:-

Types of Project	Present Rate*
Priority Infrastructure Projects viz. Water Supply, Sewerage, Sanitation, Drainage and Solid Waste Management	7.00% p.a.
Roads, ROBs & Flyover, RUB, Expressways, Affordable/EWS Housing	7.00% p.a.
Metro/Rapid Rail/RRTS	7.00% p.a
Power Sector Projects – Generation, Transmission and Distribution	7.50% p.a
Land Development Projects – Residential/Industrial/Commercial and other Infrastructure viz. Technical / Medical Institutions	8.50%p.a

** In addition, a rebate of 0.25% by reduction in interest rate, for timely payment of loan installments, strictly as per repayment schedule, is available.*

अवलोकनीय है कि उ.प्र. प्रभाग में विभिन्न प्राधिकरणों/अभिकरणों/विभागों द्वारा भौतिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने हेतु अनेक प्रकार की परियोजनाओं की पहचान कर एन.सी.आर. योजना बोर्ड, नई दिल्ली की वित्तीय सहायता से क्रियान्वित किया जाता रहा है। एन.सी.आर. के अन्य प्रतिभागी राज्य भी विभिन्न भौतिक अवस्थापना परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एन.सी.आर. योजना बोर्ड, नई दिल्ली की इस सुविधा से लाभान्वित होते रहे हैं।

उक्त के क्रम में यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि पूर्व में भी उ0प्र0 प्रभाग के विभिन्न प्रमुख प्राधिकरणों/विभागों/अभिकरणों (यथा–गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर–खुर्जा विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, उ.प्र. पॉवर कॉर्पोरेशन, जल निगम, पर्यटन विभाग इत्यादि) द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारियों की सहमति के उपरान्त प्राथमिकता के आधार अपने विभाग से सम्बन्धित 57 परियोजनाओं का वित्त पोषण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा कराया गया है। उक्त परियोजनाओं में 54 पूर्ण हो चुकी हैं तथा 03 परियोजनाएं वर्तमान में कियान्वित हैं।

अतः अनुरोध है कि अपने प्राधिकरण/अभिकरण/विभाग के समग्र एवं समुचित विकास को दृष्टिगत रखते हुए भौतिक अवस्थापना सुविधाओं हेतु परियोजनाओं का चिन्हीकरण करने का कष्ट करें ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली की उपरोक्तानुसार वर्णित ब्याज दरों के आधार पर परियोजनाओं का वित्त पोषण कराया जा सके।

भवदीय,

(संयुक्ता समद्दार)
आयुक्त

पृ0सं0 176 /उक्त/एन0सी0आर0/2022–23 दिनांक 24-8-2022

ई-मेल प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ।
3. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ।
4. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, इंडिया हैबीटेट सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली।

24/8/2022
आयुक्त

संलग्नक–30

अनुस्मारक–प्रथम

का0 (टेलीफैक्स) ☎0120–4292946
Email address: ncrcellup@gmail.com

कार्यालय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0

द्वितीय तल, नगर निगम भवन, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद (उ0प्र0)

पत्रांक: 316 /न्यू फंडिंग/एन0सी0आर0/2022–23 दिनांक: 28-12-2022

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2. प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग, नियोजन विभाग,
ऊर्जा विभाग, पर्यटन विभाग,

3. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं
यमुना एक्सप्रेस–वे।

5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 एक्सप्रेस–वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

6. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

7. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद, हापुड़–पिलखुवा, मेरठ, बुलन्दशहर, खुर्जा, बागपत–बडौत, मुजफ्फरनगर एवं शामली।

8. प्रबन्ध निदेशक,
नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन,
नोएडा।

9. जिलाधिकारी,
जनपद–गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर,
गौतमबुद्धनगर, बागपत, मुजफ्फरनगर एवं शामली

विषयः–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उ0प्र0 प्रभाग में भौतिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली से नई परियोजनाओं को वित्त पोषित कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या–176 दिनांक 24 अगस्त, 2022 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में पुनः अवगत कराना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उ0प्र0 प्रभाग के समग्र विकास/भौतिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने के लिए प्रभाग में कार्यरत विभिन्न विभागों/अभिकरणों को उनकी परियोजनाओं हेतु सरल प्रक्रिया अपनाते हुये दीर्घ कालिक (10–20 वर्ष) ऋण अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा ऋण वापसी हेतु 2/3/5 वर्ष का मॉरीटोरियम अवधि भी प्रदान किया जाता है।

क्रमशः....2/–

वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित तालिकानुसार वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है:--

Types of Project	Present Rate*
Priority Infrastructure Projects viz. Water Supply, Sewerage, Sanitation, Drainage and Solid Waste Management	7.00% p.a.
Roads, ROBs & Flyover, RUB, Expressways, Affordable/EWS Housing	7.00% p.a.
Metro/Rapid Rail/RRTS	7.00% p.a.
Power Sector Projects – Generation, Transmission and Distribution	7.50% p.a
Land Development Projects – Residential/Industrial/Commercial and other Infrastructure viz. Technical / Medical Institutions	8.50%p.a
**** In addition, a rebate of 0.25% by reduction in interest rate, for timely payment of loan installments, strictly as per repayment schedule, is available.***	

अवलोकनीय है कि उ.प्र. प्रभाग में विभिन्न प्राधिकरणों/अभिकरणों/विभागों द्वारा भौतिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने हेतु अनेक प्रकार की परियोजनाओं की पहचान कर एन.सी.आर. योजना बोर्ड, नई दिल्ली की वित्तीय सहायता से क्रियान्वित किया जाता रहा है। एन.सी.आर. के अन्य प्रतिभागी राज्य भी विभिन्न भौतिक अवस्थापना परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एन.सी.आर. योजना बोर्ड, नई दिल्ली की इस सुविधा से लाभान्वित होते रहे हैं।

उक्त के क्रम में यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि पूर्व में भी उ0प्र0 प्रभाग के विभिन्न प्रमुख प्राधिकरणों/विभागों/अभिकरणों (यथा–गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर–खुर्जा विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, उ.प्र. पॉवर कॉर्पोरेशन, जल निगम, पर्यटन विभाग इत्यादि) द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारियों की सहमति के उपरान्त प्राथमिकता के आधार अपने विभाग से सम्बन्धित 57 परियोजनाओं का वित्त पोषण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा कराया गया है। उक्त परियोजनाओं में 54 पूर्ण हो चुकी हैं तथा 03 परियोजनाएं वर्तमान में क्रियान्वित हैं।

अतः पुनः अनुरोध है कि अपने प्राधिकरण/अभिकरण/विभाग के समग्र एवं समुचित विकास को दृष्टिगत रखते हुए भौतिक अवस्थापना सुविधाओं हेतु परियोजनाओं के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः--उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

राजेश प्रकाश 28.12.22

(राजेश प्रकाश)
अपर आयुक्त

पृ0सं0...../उक्त/एन0सी0आर0/2022–23 दिनांकः.....

प्रतिलिपिः--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ।
3. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ।
4. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, इंडिया हैबीटेट सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, एन0सी0आर0 सेल, उ0प्र0 गाजियाबाद को अवलोकनार्थ।

राजेश प्रकाश
अपर आयुक्त 28.12.22

118

संलग्नक–31

अनुस्मारक–द्वितीय
का0 (टेलीफैक्स) 0120–4292946
Email address: ncrcellup@gmail.com

कार्यालय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0

द्वितीय तल, नगर निगम भवन, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद (उ0प्र0)

पत्रांकः 233 /न्यू फंडिंग/एन0सी0आर0/2023–24 दिनांकः 11-9-2023

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
   लोक निर्माण विभाग,
   उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव,
   नगर विकास विभाग, नियोजन विभाग,
   ऊर्जा विभाग, पर्यटन विभाग,
   उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक,
   उ0प्र0 जल निगम,
   लखनऊ।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
   औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
   नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं
   यमुना एक्सप्रेस–वे।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
   उ0प्र0 एक्सप्रेस–वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
   उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
   लखनऊ।
6. आवास आयुक्त,
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
7. उपाध्यक्ष,
   विकास प्राधिकरण,
   गाजियाबाद, हापुड़–पिलखुवा, मेरठ, बुलन्दशहर, खुर्जा,
   बागपत–बड़ौत, मुजफ्फरनगर एवं शामली।
8. प्रबन्ध निदेशक,
   नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन,
   नोएडा।
9. जिलाधिकारी,
   जनपद–गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर,
   गौतमबुद्धनगर, बागपत, मुजफ्फरनगर एवं शामली

विषयः–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उ0प्र0 प्रभाग में भौतिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली से नई परियोजनाओं को वित्त पोषित कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या–176 दिनांक 24 अगस्त, 2022 (संलग्नक–1) एवं पत्र संख्या–316 दिनांक 28.12.2022 (संलग्नक–2) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में पुनः अवगत कराना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उ0प्र0 प्रभाग के समग्र विकास/भौतिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने के लिए प्रभाग में कार्यरत विभिन्न विभागों/अभिकरणों को उनकी परियोजनाओं हेतु सरल प्रक्रिया अपनाते हुये दीर्घ कालिक (10–20 वर्ष) ऋण अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा ऋण वापसी हेतु 2/3/5 वर्ष का मॉरीटोरियम अवधि भी प्रदान किया जाता है।

क्रमशः 2/–

वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित तालिकानुसार वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है:—

Types of Project	Present Rate*
Priority Infrastructure Projects viz. Water Supply, Sewerage, Sanitation, Drainage and Solid Waste Management	7.00% p.a.
Roads, ROBs & Flyover, RUB, Expressways, Affordable/EWS Housing	7.00% p.a.
Metro/Rapid Rail/RRTS	7.00% p.a.
Power Sector Projects – Generation, Transmission and Distribution	7.50% p.a
Land Development Projects – Residential/Industrial/Commercial and other Infrastructure viz. Technical / Medical Institutions	8.50%p.a
**** In addition, a rebate of 0.25% by reduction in interest rate, for timely payment of loan installments, strictly as per repayment schedule, is available.***	

अवलोकनीय है कि उ.प्र. प्रभाग में विभिन्न प्राधिकरणों/अभिकरणों/विभागों द्वारा भौतिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने हेतु अनेक प्रकार की परियोजनाओं की पहचान कर एन.सी.आर. योजना बोर्ड, नई दिल्ली की वित्तीय सहायता से क्रियान्वित किया जाता रहा है। एन.सी.आर. के अन्य प्रतिभागी राज्य भी विभिन्न भौतिक अवस्थापना परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एन.सी.आर. योजना बोर्ड, नई दिल्ली की इस सुविधा से लाभान्वित होते रहे हैं।

उक्त के क्रम में यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि पूर्व में भी उ0प्र0 प्रभाग के विभिन्न प्रमुख प्राधिकरणों/विभागों/अभिकरणों (यथा—गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, हापुड—पिलखुवा विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर—खुर्जा विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, उ.प्र. पॉवर कॉर्पोरेशन, जल निगम, पर्यटन विभाग इत्यादि) द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारियों की सहमति के उपरान्त प्राथमिकता के आधार अपने विभाग से सम्बन्धित 57 परियोजनाओं का वित्त पोषण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा कराया गया है। उक्त परियोजनाओं में 55 पूर्ण हो चुकी हैं तथा 02 परियोजनाएं वर्तमान में क्रियान्वित हैं।

अतः पुनः अनुरोध है कि अपने प्राधिकरण/अभिकरण/विभाग के समग्र एवं समुचित विकास को दृष्टिगत रखते हुए भौतिक अवस्थापना सुविधाओं हेतु परियोजनाओं के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संयुक्ता समद्दार)
आयुक्त

पृ0सं0...../उक्त/एन0सी0आर0/2023—24 दिनांकः.....

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ।
3. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, इंडिया हैबीटेट सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली।

आयुक्त

10. मद संख्या–10

एन0सी0आर0 सेल, उ0प्र0 में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

10.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली की दिनांक 12.10.2021 को सम्पन्न हुई 40वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा नं0–40/7 (Continuation of NCR Planning & Monitoring Cells in NCR Participating States) के क्रम में लिये गये निर्णय (.....Board approved the proposal contained in the agenda that NCR Planning and Monitoring Cells be extended by 18 months from 01.04.2021 (i.e. till 30.09.22). Thereafter extension can be considered till 31.03.2025 subject to filling up at least 50% of current vacancies by June 2022.) के अंतर्गत एन0सी0आर0 प्लानिंग एवं मॉनिटरिंग सेल्स की निरन्तरता को दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 30.09.2022 (18 माह) तक बढ़ाया गया, तथा एन0सी0आर0 सेल्स के कम से कम 50% रिक्त पदों को भरे जाने के उपरांत ही उक्त निरन्तरता को दिनांक 31.03.2025 तक बढ़ाये जाने का उल्लेख किया गया।

10.2 उक्त के अनुपालन में इस कार्यालय के निम्नलिखित पत्रों के माध्यम से एन0सी0आर0 सैल, गाजियाबाद में रिक्त चल रहे पदों को भरने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन से अनुरोध किया गया:–

i. अर्द्धशा.पत्रांक 534/निरन्तरता/एन0सी0आर0/2021–22 दिनांक 27.10.2021 **(संलग्नक–32),**
ii. पत्र सं0 940/निरन्तरता/ एन0सी0आर0/2021–22 दिनांक 24.03.2022 **(संलग्नक–33)**
iii. अर्द्धशा0 पत्रांक–51/निरन्तरता/एन0सी0आर0/2022–23दिनांक 11.05.2022 **(संलग्नक–34)**

10.3 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गाजियाबाद में सृजित पदों के सापेक्ष प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों को भरने हेतु उ0प्र0 शासन के आवास एंव शहरी नियोजन अनुभाग–6 के पत्र संख्या–941/आठ–6–22–2टी0पी0/2019 दिनांक 09 जून, 2022 **(संलग्नक–35)** एवं पत्र सख्या–GOI-04/आठ–6–22–2टी0पी0/2019 दिनांक 23 जून, 2022 **(संलग्नक–36)** के माध्यम से मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद में अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।

10.4 उ0प्र0 शासन के उपरोक्त पत्रों के अनुपालन में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद में 50% रिक्त पदों के सापेक्ष कुल 06 पदों पर तैनाती की गयी थी, जिसमें से कुल 03 कर्मचारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया।

10.5 एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद में रिक्त पदों के 50% के सापेक्ष तैनाती किए जाने हेतु आयुक्त, एन0सी0आर0, उ0प्र0 के पत्रांक 304/निरंतरता/एन0सी0आर0/2022–23 दिनांक 08.12.2022 **(संलग्नक–37)** द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ तथा चीफ कोओर्डिनेटर प्लानर, एन0सी0आर0 सेल, उ0प्र0 के पत्रांक 319 दिनांक 30.12.2022 **(संलग्नक–38)** के माध्यम से मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से पुनः अनुरोध किया गया है।

10.6 एन0सी0आर0 सेल उ0प्र0 में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव स्टेयरिंग कमेटी की षष्ठम् बैठक दिनांक 27.01.2023 के मद संख्या–11 पर प्रस्तुत किया गया, जिस पर यह निर्णय लिया गया है कि ".....**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन सेल, उ0प्र0 में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में यथासम्भव तैनाती की**

कार्यवाही की अपेक्षा के साथ यह निर्देश दिये गये कि एन0सी0आर0 सेल के विभिन्न कार्यों/सेवाओं को आउटसोर्स के माध्यम से भी सम्पादित कराया जा सकता है।" सदस्य सचिव, एन.सी.आर. योजना बोर्ड, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 03.07.2023 को सम्पन्न हुई Committee of Transport Secretaries/ Commissioners (CoTS) की बैठक के कार्यवृत्त के मद संख्या–3 में लिये गये निर्णय... NCR Cells identify most fatal accidents related roads and identify closers helipads (at least one for each road). Appropriate hospitals should also be identified for golden hour trauma care with preference to hospitals with helipads in-house or close by. Any issues regarding approvals etc. for such helipads or hospitals and conveyed. A comprehensive Report be prepared in next 7 to 10 days and shared with NCRPB) के सापेक्ष इस कार्यालय से सम्बन्धित कार्यों यथा–GIS based map for Road Safety and Trauma Care Network in NCR and Mapping of Helipads/Heliports, Hospitals/Trauma Centre and other Medical related facilities को शीर्षप्राथमिकता/गुणवत्तापूर्ण ढंग से सम्पादित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। स्टेयरिंग कमेटी की षष्टम बैठक के निर्णय के अनुपालन में प्रश्नगत कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु इस कार्यालय के रिक्त चल रहें पदों के सापेक्ष जी.आई.एस. एक्सपर्ट की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध दिशा–निर्देश प्रदान करने हेतु आयुक्त, एन0सी0आर0, उ0प्र0 के पत्र सं0–204 दिनांक 21.08.2023 द्वारा उ0प्र0 शासन के अनुरोध किया गया है।

10.7 एन0सी0आर0 योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा एन0सी0आर0 सेल, उ0प्र0 हेतु सृजित कुल 30 पदों के सापेक्ष 16 पदों पर तैनाती है तथा 14 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण **(संलग्नक–39)** इसके अतिरिक्त उ0प्र0 शासन द्वारा अपर आयुक्त एवं सहायक समाजशास्त्री भी पद सहित एन0सी0आर0 सेल कार्यालय में कार्यरत हैं। इस प्रकार वर्तमान में कुल 18 पदों पर एन0सी0आर0 सेल, उ0प्र0 में कार्मिक कार्यरत हैं।

अतः एन0सी0आर0 सेल, उ0प्र0 के पदों की अद्यतन स्थिति के अनुसार रिक्त पदों को भरे जाने एवं जी.आई.एस. से संबंधित कार्यों के दृष्टिगत जी.आई.एस. एक्सपर्ट इत्यादि तकनीकी पदों को भरे जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव कमेटी के समक्ष संज्ञानार्थ/अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्नक–32

संयुक्ता समद्दार, आई.ए.एस.
आयुक्त
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0
उत्तर प्रदेश सरकार

दूरभाष सं0 : 0120–4292946 (का0)
ईमेल आई.डी. : s.samaddar@nic.in,
ncrcellup@gmail.com
द्वितीय तल, नगर निगम भवन,
नवयुग मार्केट गाजियाबाद (उ0प्र0)–201001

अर्द्धशा0पत्रांक: 534 /निरन्तरता/
एन.सी.आर./2021–22 दिनांक 27-10-202

कृपया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र संख्या–G-25020(1)/2003-04/NCRPB/Vol.V (Computer No 9103877) Dated 11-10-2021 , जो आपको सम्बोधित तथा अन्य के अतिरिक्त इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली की दिनांक 12.10.2021 को सम्पन्न हुई 40वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा नं0–40/7 (Continuation of NCR Planning & Monitoring Cells in NCR Participating States) के कम में लिये गये निर्णय के अंतर्गत में एन0सी0आर0 प्लानिंग एवं मॉनिटरिंग सेल्स की निरन्तरता को दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 30.09.2022 (18 माह) तक वर्तमान में बढ़ाया गया है, परन्तु एन0सी0आर0 सेल्स के कम से कम 50% रिक्त पदों को भरे जाने के उपरांत ही की उक्त निरन्तरता को दिनांक 31.03.2025 तक बढ़ाये जाने का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली की दिनांक 12.10.2021 को सम्पन्न हुई 40वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा नं0–40/7 (Continuation of NCR Planning & Monitoring Cells in NCR Participating States) के सन्दर्भ में इस कार्यालय का पत्र सं0–397/निरन्तरता/एन0सी0आर0/2021–22 दिनांक 10.09.2021 (छायाप्रति संलग्नकों सहित संलग्न) के माध्यम से रिक्त पदों का विवरण प्रेषित करते हुये वर्तमान में उ0प्र0 शासन द्वारा की जा रही चयन प्रक्रिया में से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत पदों की तालिका के कमांक–5, 6, 8 एवं 9 पर उल्लेखित नवीन चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों की तैनाती करने हेतु अनुरोध किया जा चुका है :–

S. No	Existing Designation	Proposed Designation	No. of posts Sanctioned	No. of vacant posts	No. of Filled Posts
1.	Commissioner	No Change	1	-	1
2.	Chief Coordinator	No Change	1	-	1
3.	Associate Planner	No Change	1	-	1
4.	Economic Planner	No Change	1	1	-
5.	**Assistant Town Planner**	**No Change**	2	2	-
6.	**Assistant Architect**	**Knowledge professional**	1	1	-
7.	Planning Assistant	Knowledge Professional	2	2	-
8.	**Assistant Engineer**	**Knowledge Professional**	1	1	-
9.	**Junior Engineer**	**GIS Expert**	1	1	-
10.	Research Assistant	Knowledge professional	2	2	-
11.	Planning Draftsman	Knowledge professional	2	1	1
12.	Investigator	Knowledge professional	2	1	1

.....2-

123

13.	Head Clerk-cum-Accountant	Accountant	1	-	1
14.	Computer Programmer	Multipurpose Informatics Assistant	1	1	-
15.	Stenographer (1 Sr 2 Jr.)	Multipurpose Informatics Assistant	3	2	1
16.	LDC	Multipurpose Informatics Assistant	1	-	1
17.	Typist	Multipurpose Informatics Assistant	1	-	1
18.	Driver	Driver	1	-	1
19.	Ferro Printer	Multi-Tasking Staff	1	1	-
20.	Chowkidar	Multi-Tasking Staff	1	1	-
21	Peon	Multi-Tasking Staff	3	-	3
	Total		30	17	13

अतः उपरोक्तानुसार पुनः अनुरोध है कि उक्त तालिका के कम सं0–**5, 6, 8** एवं **9** पर वर्णित पदों के सापेक्ष एन0सी0आर0 प्लानिंग एण्ड मॉनिटरिंग सेल में शीर्ष प्राथमिकता पर तैनाती करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवनिष्ठ,

27/10/21

(संयुक्ता समद्दार)

श्री दीपक कुमार, आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
लाल बहादुर शास्त्री भवन,
लखनऊ।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

उक्त पत्र की प्रति कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवनिष्ठ,

27/10/21

(संयुक्ता समद्दार)

श्रीमती अर्चना अग्रवाल, आई.ए.एस.,
सदस्य सचिव,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड,
इंडिया हैबीटेट सेन्टर, लोधी रोड,
नई दिल्ली।

संलग्नक–33

का0 (टेलीफैक्स) 0120–4292946
Email address: ncrcellup@gmail.com

कार्यालय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0

द्वितीय तल, नगर निगम भवन, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद (उ0प्र0)

पत्रांक: 940 /निरन्तरता/एन0सी0आर0/2021–22 दिनांक: 24-3-2022

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–6
उ0प्र0 शासन, लाल बहादुर शास्त्री भवन,
लखनऊ।

विषयः–एन0सी0आर0 सेल, उ0प्र0 गाजियाबाद में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक (ए एण्ड एफ), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के पत्रांक–G-25020(1)/2003-04/NCRPB/Vol.V (Computer no. 9103877) दिनांक 11.02.2022, जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि एन0सी0आर0 सैल, गाजियाबाद में रिक्त चल रहे पदों को जून, 2022 तक 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ भरने उपरान्त ही कार्यालय की निरन्तरता को 31.03.2025 तक बढाया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के अर्द्धशासकीय पत्रांक 534/निरन्तरता/एन.सी.आर./2021–22 दिनांक 27.10.2021 एवं पत्रांक 397/निरन्तरता/एन0सी0आर0/2021–22 दिनांक 10.09.2021 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ से एन0सी0आर0 सैल, गाजियाबाद में रिक्त चल रहे पदों को भरने हेतु अनुरोध किया जा चुका है। स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है:–

S.No	Existing Designation	Proposed Designation	No. of posts Sanctioned	No of Filled Posts	No. of vacant posts	Can be filld up by CTCP office
1	2	3	4	5	6	7
1.	Commissioner	No Change	1	1	-	-
2.	Chief Coordinator	No Change	1	1	-	-
3.	Associate Planner	No Change	1	1*	-	-
4.	Economic Planner	No Change	1	-	1	-
5.	Assistant Town Planner	No Change	2	-	2	2
6.	Assistant Architect	Knowledge Professional	1	-	1	1
7.	Planning Assistant	Knowledge Professional	2	-	2	2
8.	Assistant Engineer	Knowledge Professional	1	-	1	
9.	Junior Engineer	GIS Expert	1	-	1	1
10.	Research Assistant	Knowledge Professional	2	-	2	1
11.	Planning Draftsman	Knowledge Professional	2	1	1	1
12.	Investigator	Knowledge Professional	2	1	1	-
13.	Head Clerk-cum-Accountant	Accountant	1	1	-	-
14.	Computer Programmer	Multipurpose Informatics Assistant	1	-	1	-
15.	Stenographer (1 Sr 2 Jr.)	Multipurpose Informatics Assistant	3	1	2	1
16.	LDC	Multipurpose Informatics Assistant	1	1	-	-
17.	Typist	Multipurpose Informatics Assistant	1	1	-	1
18.	Driver	Driver	1	1	-	-
19.	Ferro Printer	Multi-Tasking Staff	1	-	1	-
20.	Chowkidar	Multi-Tasking Staff	1	-	1	-
21	Peon	Multi-Tasking Staff	3	3	-	-
		Total	30	13	17	10

*एन0सी0आर0 सैल, गाजियाबाद में सहयुक्त नियोजक के पद पर आंशिक रूप से तैनाती है।

इसी सन्दर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली की दिनांक 12.10.2021 को सम्पन्न हुई 40वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा नं0–40/7 (Continuation of NCR Planning & Monitoring Cells in NCR Participating States) के क्रम में लिये गये निर्णय (.....Board approved the proposal contained in the agenda that NCR Planning and Monitoring Cells be extended by 18 months from 01.04.2021 (i.e. till 30.09.22). Thereafter extension can be considered till 31.03.2025 subject to filling up at least 50% of current vacancies by June 2022.) के अंतर्गत एन0सी0आर0 प्लानिंग एवं मॉनिटरिंग सेल्स की निरन्तरता को दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 30.09.2022 (18 माह) तक वर्तमान में बढ़ाया गया है, परन्तु एन0सी0आर0 सेल्स के कम से कम 50% रिक्त पदों को भरे जाने के उपरांत ही उक्त निरन्तरता को दिनांक 31.03.2025 तक बढ़ाये जाने का उल्लेख भी किया गया है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि एन0सी0आर0 सैल, गाजियाबाद में रिक्त चल रहे पदों को जून, 2022 तक 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ भरने हेतु शीर्ष प्राथमिकता पर तैनाती करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी है। आपसे अनुरोध है कि कृपया पूर्व पृष्ठ पर तालिका के कॉलम '7' में वर्णित पदों पर उपलब्धता के आधार पर तैनाती करने हेतु कार्यालय मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को यथाआवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें। साथ ही एन0सी0आर0 सैल, गाजियाबाद में सहयुक्त नियोजक के पद पर आंशिक रूप से तैनाती है, को पूर्णकालिक करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

भवदीया,

23/3/2022

(संयुक्ता समददार)
आयुक्त

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
2. निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली को उनके उपरोक्त पत्रांक के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त

23/3/2022

संलग्नक–34

संयुक्ता समद्दार, आई.ए.एस.
आयुक्त
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0
उत्तर प्रदेश सरकार

दूरभाष सं0 : 0120–4292946 (का0)
ईमेल आई.डी. : s.samaddar@nic.in,
ncrcellup@gmail.com
द्वितीय तल, नगर निगम भवन,
नवयुग मार्केट, गाजियाबाद (उ0प्र0)–201001

अर्द्धशा0प.सं.: 31 /निरन्तरता/एन.सी.आर./2022–23
दिनांक: 11-05-22

कृपया इस कार्यालय के पूर्व अर्द्धशासकीय पत्रांक 534/निरन्तरता/एन.सी.आर./2021–22 दिनांक 27.10.2021 (संलग्नक–'1') एवं पत्र संख्या–940/निरन्तरता/एन.सी.आर./2021–22 दिनांक 24.03.2022 (संलग्नक–'2'), जो तत्कालीन प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को सम्बोधित एवं अन्य को पृष्ठांकित हैं, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

वर्णित पत्रों के माध्यम से कार्यालय की निरन्तरता को 31.03.2025 तक बढ़ाये जाने हेतु एन0सी0आर0 सैल, गाजियाबाद में रिक्त चल रहे पदों को जून, 2022 तक 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ भरने हेतु शीर्ष प्राथमिकता पर तैनाती करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया था।

इस सम्बन्ध में एन0सी0आर0 सेल, उ0प्र0 गाजियाबाद में एन0सी0आर0पी0बी0, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत पद एवं वर्तमान में रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है:–

S.No	Existing Designation	Proposed Designation	No. of posts Sanctioned	No. of Filled Posts	No. of vacant posts	Can be filled up by CTCP office
1	2	3	4	5	6	7
1.	Commissioner	No Change	1	1	-	-
2.	Chief Coordinator	No Change	1	1	-	-
3.	Associate Planner	No Change	1	1*	-	-
4.	Economic Planner	No Change	1	-	1	-
5.	Assistant Town Planner	Knowledge Professional	2	-	2	2
6.	Assistant Architect	Knowledge Professional	1	-	1	1
7.	Planning Assistant	Knowledge Professional	2	-	2	2
8.	Assistant Engineer	GIS Expert	1	-	1	-
9.	Junior Engineer	Knowledge Professional	1	-	1	1
10.	Research Assistant	Knowledge Professional	2	1	1	1
11.	Planning Draftsman	Knowledge Professional	2	1	1	1
12.	Investigator	Accountant	2	-	2	2
13.	Head Clerk-cum-Accountant	Multipurpose Informatics Assistant	1	1	-	-
14.	Computer Programmer	Multipurpose Informatics Assistant	1	-	1	-
15.	Stenographer (1 Sr 2 Jr.)	Multipurpose Informatics Assistant	3	1	2	2
16.	LDC	Multipurpose Informatics Assistant	1	1	-	-
17.	Typist	Driver	1	1	-	1
18.	Driver	Multi-Tasking Staff	1	1	-	-
19.	Ferro Printer	Multi-Tasking Staff	1	-	1	1
20.	Chowkidar	Multi-Tasking Staff	1	-	1	1
21	Peon		3	3	-	-
	Total		**30**	**13**	**17**	**13**

* वर्तमान में एन0सी0आर0 सैल, गाजियाबाद में सहयुक्त नियोजक के रिक्त पद पर आंशिक रूप में तैनाती की गयी है।

----------2-

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली की दिनांक 12.10.2021 को सम्पन्न 40वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा नं0–40/7 (Continuation of NCR Planning & Monitoring Cells in NCR Participating States) के क्रम में लिये गये निर्णय (...Board approved the proposal contained in the agenda that NCR Planning and Monitoring Cells be extended by 18 months from 01.04.2021 (i.e. till 30.09.22). Thereafter extension can be considered till 31.03.2025 subject to filling up at least 50% of current vacancies by June 2022.) के अंतर्गत एन0सी0आर0 प्लानिंग एवं मॉनिटरिंग सेल्स की निरन्तरता को दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 30.09.2022 (18 माह) तक वर्तमान में बढ़ाया गया है, परन्तु एन0सी0आर0 सेल्स के कम से कम 50% रिक्त पदों को भरे जाने के उपरांत ही उक्त निरन्तरता को दिनांक 31.03.2025 तक बढ़ाये जाने का उल्लेख भी किया गया है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया पूर्व पृष्ठ पर तालिका के कॉलम '7' में वर्णित पदों पर उपलब्धता के आधार पर तैनाती करने हेतु कार्यालय मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को यथाआवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

भवनिष्ठा,

(संयुक्ता समददार)

श्री नितिन रमेश गोकर्ण
आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

उक्त पत्र की प्रति कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

भवनिष्ठा,

(संयुक्ता समददार)

श्रीमती अर्चना अग्रवाल, आई.ए.एस.
सदस्य सचिव,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड,
इंडिया हैबीटेट सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

उक्त पत्र की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवनिष्ठा,

(संयुक्ता समददार)

श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव,
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

संलग्नक–35

शीर्ष प्राथमिकता / तत्काल
संख्या–941 / आठ–6–22–02टी0पी0 / 2019

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–6 **लखनऊ : दिनांक : 09 जून, 2022**

विषयः– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गाजियाबाद में सृजित पदों के सापेक्ष प्राथमिकता के आधार पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती किये जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गाजियाबाद के पत्र संख्या–534 / निरन्तरता / एन0सी0आर0 / 2021–22, दिनांक 27.10.2021, 17.05.2022, 24.03.2022 एवं दिनांक 11.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, योजना बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 11.02.2022 में उल्लेख है कि एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद में रिक्त चल रहे पदों को जून,2022 तक 50 प्रतिशत कर्मचारियों के पदों को भरने के उपरांत ही कार्यालय की निरन्तरता दिनांक 31.03.2025 तक बढ़ाने हेतु आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गाजियाबाद को निर्देशित किया गया है। तत्क्रम में आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 11.05.2022 में अंकित सूची के कॉलम–7 मे अंकित 13 रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही हेतु आपको शासन स्तर से निर्देशित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विभिन्न पत्रों में आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गाजियाबाद द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में एन0सी0आर0सेल, गाजियाबाद में रिक्त पदों पर तैनाती हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा यथावश्यक प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि किसी बिन्दु पर शासन के परामर्श की आवश्यकता हो तो मांग सकते हैं।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्याः–941(1) / आठ–6–22–02टी0पी0 / 19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गाजियाबाद को उनके पत्र संख्या–534 / निरन्तरता / एन0सी0आर0 / 2021–22, दिनांक 27.10.2021, 17.05.2022, 24.03.2022 एवं दिनांक 11.05.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
अनु सचिव।

160
01-7-2022

45
01/07/22

संलग्नक–36

अनुस्मारक–प्रथम

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

संख्या– 901-04 / आठ–6–22–02टी0पी0 / 2019

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–6 **लखनऊ : दिनांक : 23 जून, 2022**

विषयः– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गाजियाबाद में सृजित पदों के सापेक्ष प्राथमिकता के आधार पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती किये जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गाजियाबाद के पत्र संख्या–534 / निरन्तरता / एन0सी0आर0 / 2021–22, दिनांक 27.10.2021, 17.05.2022, 24.03.2022 एवं दिनांक 11.05.2022 तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के पत्र संख्या–वाई–17020 / 8 / 2021(सी0न0–9103877) दिनांक 17.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) के कम में शासन के पत्र संख्या–941 / आठ–6–22–02टी0पी0 / 2019, दिनांक 09 जून, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 11.05.2022 में अंकित सूची के कॉलम–7 मे अंकित 13 रिक्त पदों को भरने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने तथा यथावश्यक प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, वांछित सूचना / प्रस्ताव शासन में अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

3– इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, योजना बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 17.05.2022 की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उपर्युक्त संदर्भित द्वारा कार्यवाही करते हुए यथावश्यक प्रस्ताव शासन को 01 सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

Addl. Comm

Comm
30/6/2022
CLP.

संख्याः– 901-04 (1) / आठ–6–22–02टी0पी0 / 19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निदेशक(A&F)राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के पत्र संख्या–वाई–17020 / 8 / 2021(सी0न0–9103877) दिनांक 17.05.2022 के संदर्भ में।

(2) आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गाजियाबाद।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

Addl. Comm.
01/07/2022

AO / Mrs Rashika
130
4/7/22
CCP

4/7/22

संलग्नक–37

Email address: ncrcellup@gmail.com

कार्यालय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0

द्वितीय तल, नगर निगम भवन, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद (उ0प्र0)

पत्रांकः 304 /निरन्तरता/एन0सी0आर0/2022–23 दिनांकः 08-12-2022

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लाल बहादुर शास्त्री भवन,
लखनऊ।

विषयः–एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के पत्रांक Y-13/73/2022, दिनांक 18.10.2022, जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं अन्य के साथ–साथ आपको भी पृष्ठांकित किया गया था, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली की दिनांक 12.10.2021 को सम्पन्न हुई 40वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा नं0–40/7 (Continuation of NCR Planning & Monitoring Cells in NCR participating States) के क्रम में सितम्बर, 2022 तक रिक्त पदों के सापेक्ष एन0सी0आर0 सेल में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की तैनाती किये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में इस कार्यालय के अर्द्धशासकीय पत्रांक–534/निरन्तरता/एन.सी.आर./2021–22, दिनांक 27.10.021, पत्रांक–51/निरन्तरता/एन.सी.आर./2022–23, दिनांक 11.05.022 एवं पत्रांक–940/निरन्तरता/एन.सी.आर./2021–22, दिनांक 24.03.2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा एन0सी0आर0 सेल के रिक्त पदों पर तैनाती किये जाने हेतु उ0प्र0 शासन, लखनऊ से अनुरोध किया गया था। प्रश्नगत पत्रों के अनुक्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष कुल 06 पदों पर स्थानान्तरण किया गया था, जिसके उपरान्त कुल 03 कार्मिकों द्वारा ही कार्यभार ग्रहण किया गया। 02 कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तथा उनके द्वारा मा0 न्यायालय की शरण ली गयी है। जबकि 01 कार्मिक द्वारा आज पर्यन्त कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

प्रकरण में अद्यतन स्थिति यह है कि सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 22.11.2022 को सम्पन्न हुई Meeting of Review of NCR Planning & Monitoring Cells की बैठक के कार्यवृत्त (छायाप्रति संलग्न) में एन0सी0आर0 सैल, गाजियाबाद में रिक्त पदों के 50 प्रतिशत के सापेक्ष अभी भी रिक्त चल रहे 06 पदों पर तत्काल तैनाती किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतएव् आपसे अनुरोध है कि आप कृपया एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद में रिक्त पदों के 50 प्रतिशत के सापेक्ष तैनाती किये जाने हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 को अपने स्तर से निर्देशित करने का कश्ट करें।

संलग्नकः–

1. **Status of Vacant/Filled posts in NCR Cell, UP GZB.**
2. **Minutes of Meeting of Review of NCR Planning & Monitoring Cell**

भवदीय,

(रिग्जियान सैम्फिल)
आयुक्त

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपिः–

1– सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली को सम्पन्न बैठक दिनांक 22.11.2022 के कार्यवृत्त पत्रांक–Y-17020/8/2021 (E-9103788), दिनांक 25.11.2022 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
2– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त

संलग्नक–38

Email address: ncrcellup@gmail.com

कार्यालय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ0प्र0

द्वितीय तल, नगर निगम भवन, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद (उ0प्र0)

पत्रांकः 314 /निरन्तरता/एन0सी0आर0/2022–23 दिनांकः 30-12-22

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0
टीसीजी/1–ए–वी/5, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषयः–एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0–304/निरन्तरता/एन0सी0आर0/2022–23 दिनांक 08.12.2022, जो प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित एवं प्रतिलिपि आपको पृष्ठांकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

प्रकरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली की दिनांक 12.10.2021 को सम्पन्न हुई 40वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा संख्या–40/7 के क्रम में सितम्बर, 2022 तक रिक्त पदो के सापेक्ष एन0सी0आर0 सेल में 50 प्रतिशत कार्मिकों की तैनाती किये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

प्रश्नगत पत्रों के अनुक्रम में मुख्यालय द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष निम्न कार्मिकों को एन0सी0आर0 सेल में आप द्वारा स्थानान्तरण वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में कार्यभार ग्रहण करने हेतु स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये थे।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	स्थानान्तरण आदेश संख्या
1	श्री आशीष कुमार	मुख्य मानचित्रकार	पत्रांक 54/कैम्प/स्थाना.(23)/सी.टी.सी.पी./2021–22 दिनांक 14.07.2021
2	श्री अजयवीर सिंह	सहा0 वास्तुविद	पत्रांक 69/कैम्प/स्थाना.(23)/सी.टी.सी.पी./2021–22 दिनांक 21.06.2022
3	श्री ओ0पी0 मालवीय	अवर अभियन्ता	पत्रांक 102/कैम्प/स्थाना.(23)/सी.टी.सी.पी./2021–22 दिनांक 30.06.2022

मुख्यालय के कार्यालय आदेश संख्या–1473(रिट.याचिका)/2022–23 दिनांक 01.12.2022 द्वारा क्रमांक–3 पर अंकित कार्मिक श्री ओ0पी0 मालवीय, अवर अभियन्ता, विनियमित क्षेत्र, ललितपुर का स्थानान्तरण आदेश–102/कैम्प/ स्थाना.(23)/सी.टी.सी.पी./2021–22 दिनांक 30.06.2022 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है। अतः उपरोक्त कार्मिक के स्थान पर अन्य कार्मिक की तैनाती करने का कष्ट करें। क्रमांक–1 एवं 2 पर अंकित कार्मिकों द्वारा एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। कृपया इनकी तैनाती अथवा इनके स्थान पर अन्य कार्मिकों की तैनाती करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें साथ ही एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद में अन्य रिक्त पदों के सापेक्ष भी तैनाती करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0 सी0 गौड)
चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर

132

संलग्नकः–39

Status of Vacant and Filled posts against sanctioned post by NCRPB New Delhi, in NCR Cell, UP Ghaziabad

S. No	Existing Designation	Proposed Designation	No. of posts Sanctioned	No. of Filled Posts	No. of vacant posts
1.	Commissioner	No Change	1	1	-
2.	Chief Coordinator	No Change	1	1	-
3.	Associate Planner	No Change	1	1	-
4.	Economic Planner	No Change	1	-	1
5.	Assistant Town Planner	No Change	2	-	2
6.	Assistant Architect	Knowledge professional	1	-	1
7.	Planning Assistant	Knowledge Professional	2	-	2
8.	Assistant Engineer	Knowledge Professional	1	1	-
9.	Junior Engineer	GIS Expert	1	-	1
10.	Research Assistant	Knowledge professional	2	-	2
11.	Planning Draftsman	Knowledge professional	2	2	-
12.	Investigator	Knowledge professional	2	1	1
13.	Head Clerk-cum-Accountant	Accountant	1	1	-
14.	Computer Programmer	Multipurpose Informatics Assistant	1	-	1
15.	Stenographer (1 Sr 2 Jr.)	Multipurpose Informatics Assistant	3	1	2
16.	LDC	Multipurpose Informatics Assistant	1	1	-
17.	Typist	Multipurpose Informatics Assistant	1	1	-
18.	Driver	Driver	1	1	-
19.	Ferro Printer	Multi-Tasking Staff	1	1	-
20.	Chowkidar	Multi-Tasking Staff	1	-	1
21	Peon	Multi-Tasking Staff	3	3	-
	Total		**30**	**16**	**14**

उक्त तालिका के अतिरिक्त उ0प्र0 सरकार द्वारा अपर आयुक्त एवं सहायक समाजशास्त्री की तैनाती पद सहित कार्यालय में की गयी है, जो वर्तमान में तैनात हैं।

11. मद संख्या–11

अन्य मद।